Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २८ वां दिवस [संख्या २१

मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन,)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, समाज कल्याण, यातायात, आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, श्रम, जन-सम्पर्क एवं विद्युत--विभाग]

प्रश्न संख्या ५७९

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सारस्वत।

सस्पेंडेड पुलिस कर्मचारी जिला--चूरू

५८०. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) चूरू जिले में पब्लिक की शिकायतों पर सन् ६१-६२ में किन किन पुलिस कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया गया और अब तक उनमें से कितने सस्पेन्डेड हैं ?

(२) इन सस्पेन्डेड किये हुए व्यक्तियों में से किस किस की जांच करवाई गई ? कौन कौन निरपराध साबित हुए ? किस किस को डिसमिस किया गया और अन्य के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) कुल ४ पुलिस कर्मचारी मोअत्तिल किये गये थे। जिनमें से अब एक भी मोअत्तिल नहीं है।

(२) सब की जांच कराई गई, जिसमें सभी निरपराध साबित हुए।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अब कितना सस्पेन्ड होगया ?

श्री भीमसिंह : ४ सस्पेन्ड होया है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : वांका नाम वाम भी है के ?

श्री अध्यक्ष : नाम वाम जावण दो।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): कितने साल तक सस्पेन्ड रहे ?

श्री भीमसिंह : ६१-६२ में।

Page No 2

श्री अब्दुल जब्बार : कितना ड्यूरेशन रहा सस्पेन्शन का ?

श्री भीमसिंह : १-४-६२ से १-६-६२ तक।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या इसके बारे में कोई नियम है कि इतने अर्से से ज्यादा कोई सस्पेन्ड नहीं रह सकता ?

श्री भीमसिंह : २ साल का है ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इनमें ऐसे भी हैं जो दो साल से ज्यादा सस्पेन्डेड हैं ?

श्री भीमसिंह : नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : दूसरी जगह जो दो साल से अधिक सस्पेन्डेड है उनको वापिस रीइन्स्टेट करने की कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरी जगह का छोड़िये।

श्री विजयसिंह झाला : नियम बनाये हैं कि दो साल से ज्यादा सस्पेन्ड न रहें तो दूसरी जगह भी कार्यवाही होनी चाहिये ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : नियम है कि दो साल से ज्यादा सस्पेन्शन किसी का है तो इन्क्वायरी चालू रहें और उसको रीइन्स्टेट करते हैं। अगर वह जवाब ही नहीं देता है, जानबूझ कर देर करता है और इस वजह से दो साल मे जो इन्क्वायरी पूरी हो जानी चाहिये वह पूरी नहीं हो सकती है तो वहां समय ज्यादा लग जाता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : साल डेढ़ साल के सस्पेन्शन बताये हैं तो इनके खिलाफ क्या चार्जेज थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया ।

मोहन्स स्कूल, टोंक

५८१ श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त मोहन्स स्कूल के नाम से कोई संस्था है ? यदि हां, तो यह संस्था कब से चल रही है ?

(२) उक्त स्कूल को समाज कल्याण से कितने प्रतिशत सहायता दी जाती है ? गत साल कितनी सहायता दी गई थी ?

(३) इस स्कूल का कुल कितना सालाना खर्चा है ? गत साल की आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) इस स्कूल में कौन कौन सी कक्षा के कितने छात्र हैं ?

(५) स्कूल में कौन सी ग्रेड के कितने अध्यापक हैं ?

(६) क्या यह सच है कि स्कूल किराये के मकान में चलता है ? यदि हां तो कितने रुपये माहवार में ?

(७) क्या मकान किराया मंजूर करने से पूर्व पी. डब्लू. डी. से एस्टीमेट बनवाया था ? यदि हां, तो सर्टिफिकेट पी. डब्लू. डी. की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। यह संस्था सन् १९४४ से कार्य कर रही है ।

(२) इस स्कूल को समाज कल्याण विभाग द्वारा ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती

Page No 3

(श्री भीखाभाई)
गत साल है ११२४.७७ रुपये की सहायता दी गई थी।

(३) इस स्कूल का सालाना खर्चा लगभग २१००) से २५००) रु० तक का है। गत साल के आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) इस स्कूल में कक्षा १ से ५ तक के छात्र हैं।

(५) स्कूल में एक मुख्य अध्यापक एवं ३ सहायक अध्यापक हैं। मुख्य अध्यापक ८०) रु० प्रति माह तथा एक सहायक अध्यापक ६०) रु० प्रति माह वेतन पा रहे हैं। शेष २ सहायक अध्यापक अवैतनिक कार्य कर रहे हैं।

(६) जी हां, मकान ३०) रुपये प्रति माह किराये पर है।

(७) जी हां, पी डब्लू. डी. के सर्टिफिकेट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने सूची सदन की मज पर रखी है पर प्रश्न ४ में मैंने चाहा था कि कितने लडके हैं, यह नहीं बताया, इस स्कूल में कौन कौन सी कक्षा में कितने छात्र हैं ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : कोई दूसरा प्रश्न पूछिये।

(विराम)

श्री भीखाभाई : ५ जनवरी, ६३ को लड़कों की संख्या इस स्कूल में १२८ थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने ७५ प्रतिशत सहायता देने का फरमाया है; जब कि मुख्य अध्यापक को ८०) रुपया प्रतिमाह दूसरे सहायक अध्यापक को ६०) रुपया माहवार और ३०) रुपया मकान किराया दिया जा रहा है तो यह तीन हजार और कितने ही का खर्चा है, आपने एक हजार ही दिया तो यह ७५ प्रतिशत कैसे होता है ?

श्री भीखाभाई : हिसाब में कोई डिफेक्ट होगा इसलिए यह हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप मंजूर कर रहे हैं कि इतना स्टाफ है।

श्री अध्यक्ष : कोई खर्चा मान्य होता है और कोई मान्य नहीं होता है। किसी की फीस बाकी रह जाती है। नियमों में प्रावधान है कि किस प्रकार का खर्चा जोड़ा जावेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह वाजिब खर्चा है। यह इन्स्टीट्यूशन एक हरिजन द्वारा चलाई जा रही है। चूंकि एक हरिजन की संस्था है और उसके द्वारा यह चलाई जा रही है इसलिए सरकार इस ओर उदासीन है, उसको परेशान करती है, कभी उसको पूरा पैसा नहीं देती है। दूसरी ओर लोगों को लाखों रुपया दे देती है जो लेजाकर काम नहीं करते हैं। लेकिन वह संस्था काम कर रही है और उसको पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

Page No 4

जागीरदारों को मोटर परमिटों का वितरण, उदयपुर डिवीजन

५८२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या सार्वजनिक निर्माण (यातायात) मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिन जागीरदारों की जागीरें ले ली गई हैं उनको मोटर परमिट वितरित करते समय प्राथमिकता दी जाती है ?

(२) यदि हां, तो उदयपुर डिवीजन में गत तीन वर्षों में इस प्रकार कितने जागीरदारों को परमिट दिये गये ?

(३) गत तीन वर्षों में कुल कितने जागीरदारों ने इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र मोटर परमिट के लिए दिए ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह):

(१) जी हां ।

(२) सूची संलग्न है ।

(३) प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों में जागीरदार होने का विवरण नहीं होने से यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने प्रार्थना-पत्र जागीरदारों के हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री विजयसिंह झाला : इससे यह स्पष्ट है कि आपके डिपार्टमेन्ट से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे जागीरदारों के प्रार्थना-पत्र इन्वाइट किये जायं ।

श्री भीमसिंह : एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : आपके डिपार्टमेन्ट से······

श्री अध्यक्ष : जिस व्यक्ति को जो रियायत चाहिए उसको बताना चाहिये कि हम क्लेमेंट हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : कोई खाना रखा जाता कि एक्स जागीरदार के लिये यह है। लेकिन कोई खाना नहीं रखा गया है । मन्त्रीजी उत्तर देते हैं कि दरअसल जागीरदार कितने हैं हमें मालूम नहीं है। स्पेसिफिक खाना नहीं रखा गया, यह इससे स्पष्ट है । जागीरदार अपनी तरफ से कैसे मूव करते ।

श्री भीमसिंह : परमिट डिसाइड होते हैं तो वे उस समय कह सकते हैं कि मैं एक्स जागीरदार हूं और मुझे मिलना चाहिये ।

श्री विजयसिंह झाला : सूची यह होनी चाहिये थी कि जिन जागीरदारों ने इस प्रकार के क्लेम किये हैं उनमें से कितनों को परमिट दिए गए, आपने यह कहा कि हमें मालूम नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५८३

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

छात्रों पर खर्चा—आयुर्वेद कालेज

५८४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में आयुर्वेद कालेज कहां २ पर हैं ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) इन कॉलेजों में प्रति छात्र खर्च कितना आता है? गत ३ वर्षों के आंकड़े प्रदान करें।

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान में ७ आयुर्वेदिक कालेज हैं। दो सरकारी, जयपुर व उदयपुर में और ५ प्राइवेट सहायता प्राप्त कॉलेज हैं जो क्रमशः सरदारशहर, सीकर, बीकानेर रतनगढ़ व पिलानी में हैं।

(२) जयपुर व उदयपुर आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्रति छात्र प्रतिवर्ष क्रमशः जो व्यय विवरण प्राप्त हुआ है निम्नानुसार है :

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
जयपुर	२८०	३७७	२७९
उदयपुर	३३२.११	२४९.९२	२८८.१४

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, यह जो आंकड़े दिये गये हैं इनमें जो एस्टीमेट कमेटी ने प्रति छात्र खर्चा दिया उसमें बताया गया कि ७००), ८००), ५००) रु०, लेकिन आपने जो आंकड़े दिये हैं वे ३००) रु० से अधिक नहीं हैं। ये परस्पर विरोधी आंकड़े क्यों? एस्टीमेट कमेटी के आंकड़े सही माने या आप फरमा रहे हैं उनको सही मानें? एस्टीमेट कमेटी ने रतनगढ का बताया है ८६२) रु०, बीकानेर के अन्दर भी ७००) रु० के आस पास और आप बता रहे हैं कि ३००) रु० है तो यह फर्क क्यों? बहुत बड़ा फर्क है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने जयपुर और उदयपुर सरकारी कॉलेजों का निवेदन किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार के अतिरिक्त भी तो प्राइवेट कॉलेज हैं उनका कितना है?

श्री दौलतराम सारण :

	१९५९-६०	६०-६१	६१-६२
(१) बिड़ला आयुर्वेदिक कॉलेज	४४०)	२४२)	३५३)
(२) परसरामपुरिया कॉलेज, सीकर	२८३)	६५१)	२५९)
(३) विश्वभारती आयुर्वेदिक कॉलेज, सरदारशहर	५६७)	५३०)	६९७)
(४) हनुमान आयुर्वेदिक कॉलेज, रतनगढ़	५३४)	३६७)	२९५)
(५) सनातन धर्म आयुर्वेदिक कॉलेज, बीकानेर	७२५)	११२५)	७६७)

श्री मुरलीधर व्यास : जिसको ग्रान्ट-इन-एड देते हैं तो एक कालेज के पीछे ८०० और ११००) रु० आये तो दूसरे कालेज के पीछे २५०) ही क्यों आये? इतना फर्क क्यों आया?

श्री दौलतराम सारण : छात्रों की संख्या की कमी होना।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां अधिक हैं तो छात्र कम है यह माना जाय?

श्री दौलतराम सारण : जी हां, यही माना जाय।

Page No 6

श्री मुरलीधर व्यास : जहां छात्र ज्यादा हों और खर्चा भी ज्यादा हो तो वहां क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आप चाहते क्या हैं, ताकि मुझे आसानी हो उत्तर देने में ?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ग्रान्ट-इन-एड देती है उसमें एक छात्र के पीछे ८००) और ११००) रु० का खर्चा आता है तो मैं उसको ज्यादा मानता हूं यह मेरी मान्यता है। आखिर एक छात्र के पीछे कितना खर्चा आना चाहिये ?

श्री दौलतराम सारण: यह आपकी मान्यता है कि ज्यादा है। आपने जो सूचना मांगी वह मैंने आपको दे दी। आपकी मान्यता क्या है, यह आप जानें।

श्री मुरलीधर व्यास: इतना फर्क क्यों है आखिर ?

श्री दौलतराम सारण; यह मैं निवेदन कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : वे बता चुके हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कम हुई।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : ट्रेनिंग सेन्टर बताये दो, जयपुर और उदयपुर। ५९–६० में २८०) रु० और ६०–६१ में ३३२) रु० बताये प्रति छात्र तो दूसरों म इतना अधिक होने के क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : छात्रों की संख्या में कमी होना।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे कॉलेजों की छात्र-संख्या क्या आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष : ग्रान्ट-इन-एड तो रूल्स के अनुसार मिलती है। यह प्रति विद्यार्थी के अनुसार नहीं होती है। किसी वर्ष में कम विद्यार्थी हो सकते हैं और किसी वर्ष में अधिक।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें दिक्कत यह है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को जहां अपने पास से खर्च करना पडता है वे अपने पास से खर्च न करके ग्रान्ट-इन-एड में जोड देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह इसमें नहीं दिखाया जा सकता। ग्रान्ट-इन-एड के नियम हैं, उसी अनुसार वह मिलती है। यदि प्रति विद्यार्थी ६ पर आप जोडना चाहें तो वैसा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: यह भी मान लिया जाय कि खर्चा भी ज्यादा है और विद्यार्थी भी ज्यादा हैं तो वहां क्या है ?

श्री दौलतराम सारण: यह तो आपकी मान्यता है। मैं तो आपको सूचना दे रहा हूं। आपको सूचना लेनी चाहिये। मान्यता का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द चौधरी।

तहसील दौसा में चोरियां

५८५. **श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील दौसा में सन् १९५९ से सन् ६३ तक कितनी चोरिया हुई हैं और इनमें से पुलिस दौसा ने कितनी चोरियां बरामद कीं और जो चोरियां बरामद नहीं हुई-उसका क्या कारण है ?

Page No 7

(श्री मूलचन्द चौधरी)

(ख) जिन जिन लोगों की चोरियां बरामद हुई हैं और जिनकी नहीं हुई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (क) कुल ३०९ चोरियां एवं नकबजनियां हुई हैं। उनमें से १२८ बरामद हो पाई हैं। शेष में या तो मुलजिमों का पता नहीं चल सका या माल मशरूका काबिल शनाख्त नहीं था। इसलिये बरामद नहीं हो पाई।

(ख) १२८ केसेज में माल बरामद हुआ व १८१ केसेज में माल की बरामदगी नहीं हुई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

किशनगढ़, जिला अलवर के लिये तालाब का निर्माण

५८६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Will the Minister for Public Works Department please state:

(1) Is it a fact that the water tank constructed for Water Works, Kishangarh, Alwar District, was found to be leaking afterwards?

(2) Is it a fact that final payment to the contractor was recommended without testing the tank?

(3) Is it a fact that the tank was constructed by the contractor without getting extension of time sanctioned, after the stipulated period had elapsed and he had been served with a notice for cancellation of contract?

(4) Is it a fact that the Assistant Engineer, Water Works, Alwar, recommended extension of time and final payment without testing the tank?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना):

(1) No
(2) No
(3) No
(4) Yes

श्री रामानन्द अग्रवाल: सुनने में नहीं आया। दुबारा रिपोर्ट कर दें।

श्री भवानीशंकर नंदवाना: (1) No
(2) No
(3) No
(4) Yes

श्री अध्यक्ष: नो, सर (No Sir,) कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अन्तिम प्रश्न का आपने उत्तर दिया जिसमें आपने यह स्वीकार किया कि बगैर टैंक को टेस्ट किये हुए फाइनल पेमेन्ट और एक्सटेन्शन ऑफ टाइम उसको दे दिया। बगैर टैस्ट किये एक्सटेन्शन ऑफ टाइम दे दिया इसका क्या कारण है?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: फाइनल बिल अभी नहीं दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: टाइम का एक्सटेन्शन कराया, उसने उस टैंक को बनाया और यह भी आपने स्वीकार किया है कि इन्जीनियर ने पहले कान्ट्रेक्ट कैंसिल करने के

Page No 8

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
लिये उन्हें लिखा। फिर क्या वजह हुई कि उसी इन्जीनियर ने फाइनल पेमेन्ट करने के लिये भी रिकमन्ड कर दिया ? उसको एक्स्टेन्शन आफ टाइम भी दे दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काम की डिले होने के तीन कारण हैं। एक साइट के सलेक्शन में देरी हुई। दूसरा सीमेन्ट उपलब्ध नहीं हुआ, तीसरा कान्ट्रेक्टर के कारण देरी हुई। असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने जरूर रिकमन्ड कर दिया था कि बिना टैस्ट के पेमेन्ट कर दिया जाय, लेकिन जब तक टैस्ट नहीं हुआ फाइनल पेमेन्ट नहीं हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने एस्योर कर लिया है कि टैंक लीकिंग था, बाद में मरम्मत कराई गई ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : टैंक में कोई लीकिंग नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह कह सकते हैं कि इसकी बाद में मरम्मत कराई गई या नहीं ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : लीकेज था ही नहीं, मरम्मत का सवाल ही पैदा नहीं होता।

कदेला तालाब से सिंचाई, असनावर तहसील, झालरापाटन

५८७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील झालरापाटन की सब-तहसील असनावर के कौन कौन से गांव के कितने कितने क्षेत्रफल में कदेला के तालाब से सिंचाई की जा रही है ?

(२) कदेला के तालाब व इससे निकलने वाली नहरों की मरम्मत पर राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि नई मरम्मत के स्थानों पर जगह जगह से पानी झरता है व पानी के वितरण की व्यवस्था असंतोष-जनक है ?

(४) क्या सरकार सिंचाई की ठीक से व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) तहसील असनावर के जिन जिन गांवों में कदेला तालाब से जितने जितने क्षेत्रफल में सिंचाई होती है उसकी सूची सदन में प्रस्तुत है।

(२) इस तालाब व इससे निर्मित नहरों की मरम्मत पर राजस्थान सरकार ने जितनी धनराशि व्यय की है उसकी सूची सदन में प्रस्तुत है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। व्यवस्था तो पहिले से ही सुचारु रूप से चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जुझारसिंह : आपने प्रश्न के भाग (३) के बारे में फरमाया कि 'जी नहीं'; मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि मेरा खुद का देखा हुआ तालाब है जिसमें जगह जगह से पानी झरता है; इसलिये आपका उत्तर सैटिसफैक्ट्री नहीं है। किसी आदमी को

(श्री जुझारसिंह)

भेज कर इन्क्वायरी कराने का आश्वासन दे सकते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : मेरी जानकारी के अनुसार काम ठीक चल रहा है, ऐसी आप जानकारी दे रहे हैं इन्क्वारी करके काम ठीक करा दिया जायगा।

श्री जुझारसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मौजूदा नहर से दूसरी नई नहरनि काली जाय तो ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है ?

श्री **दिनेशराय डांगी** : यह अलग से सवाल है।

श्री जुझारसिंह : एलीवेशन बदल दिया जाता है और नहर निकाली जाती है तो ज्यादा सिंचाई हो सकती है। एलीवेशन ठीक नहीं होने की वजह से जितनी सिंचाई होनी चाहिये उतनी नहीं हो रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जितना आप कहते हैं उतना पानी वेस्ट नहीं जाता है। जितना पानी है वह काम आ रहा है।

प्रश्न संख्या ५८८

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

समाज कल्याण कार्यालय का हिण्डौन से स्थानान्तरण

५८९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हिन्डौन शहर में समाज कल्याण का आफिस था ? यदि हां, तो अब क्यों बन्द कर दिया है ?

(२) क्या सरकार द्वारा हिन्डौन में समाज कल्याण की ओर से मकान बनाये गये हैं ?

(३) यदि हां, तो कितने और कब कहां कहां पर तथा कितने रुपये दिये गये हैं ?

(४) क्या सरकार की समाज कल्याण के आफिस को वापिस हिन्डौन में लाने की योजना है तथा यह कब तक आ जावेगा ?

मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई):

(१) प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान नहीं बनवाये गये। मकान बनाने के लिये विभाग द्वारा स्थानीय नगरपालिका को अनुदान दिया गया था।

(३) सन् १९६० में १७ परिवारों को हिन्डौन में मकान बनाने के लिये १२,७५० रुपये स्वीकृत किये गये थे।

(४) जी नहीं।

श्री श्रवणलाल: मकानों के लिये जो ऋण दिया गया था वे मकान पूरे बन चुके हैं ?

श्री भीखाभाई: जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने यह कैसे कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता ? उसमें पूछा गया था आफिस था या नहीं ? इसका उत्तर या तो 'जी हां' में या 'जी नहीं' में हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष: अगर है, यह कहते तो आप पूछते कि बन्द क्यों कर दिया गया; इसलिये कहा है प्रश्न नहीं उठता।

(विराम)

नैक्स्ट।

भूतपूर्व नरेशों को पानी और बिजली

५९०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार ने किन किन भूतपूर्व नरेशों को पानी और बिजली की सहूलियतें दे रखी हैं ? इस पर सरकार का कितना खर्च आता है ?

(२) सन् ६१-६२ में किस किस पर कितना कितना खर्च आया ?

(३) बिजली की बकाया रकम किस किस पर कितनी कितनी बाकी है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर नरेशों को पानी व बिजली की सहूलियतें दे रखी हैं, इन पर सरकार का खर्चा निम्न प्रकार है :

[१] जयपुर : प्रीवीपर्स का ८ प्रतिशत दिनांक १-४-५६ से।

[२] जोधपुर : प्रीवीपर्स का १० प्रतिशत दिनांक १-५-५६ से तीन वर्ष तक और उसके उपरान्त ८ प्रतिशत देने के आदेश हैं।

[३] बीकानेर नरेश को विद्युत् तथा जल के संबंध में वे ही सुविधायें हैं जो जोधपुर नरेश को उपलब्ध हैं।

(२) वर्ष ६१-६२ में निम्नलिखित खर्च सरकार द्वारा हुआ :—

नाम नरेश	पानी	बिजली	योग
जयपुर	९,००९.०७	५७,९८२.०९	६६,९९१.१६
जोधपुर	३७,२७४.१५	२३४.५५	३७,५०८.७०
बीकानेर	२५,३१९.४२	२७,२३१.६८	५२,५५१.१०

(३) जयपुर	८,६०,९८७	सितम्बर, ६२ तक।
जोधपुर	४,७२,९५१	अक्टूबर, ६२ तक।
बीकानेर	१,५२,६९२	जून, ६२ तक।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह इतना रुपया नरेशों की तरफ वावजूद छूट देने के बकाया क्यों चली आ रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि आपने पार्ट (२) में देखा होगा सीलिंग फिक्स की है। उससे बहुत कम रुपया राजाओं की सहूलियत में खर्च होता है। डिफरेन्स आफ ओपीनियन रिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड बिल्डिंग्स के बारे में चल रही है। उनका कहना है कि प्राइवेट प्रोपर्टी में जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन सब का एडजेस्टमेन्ट किया जाय, हम इससे भिन्न राय रखते हैं

यह तो केबिनेट के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। बीकानेर नरेश का मामला था, उसके लिये बीकानेर कमेटी गई थी।

Page No 11

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : यह कमेटी कब तक रिपोर्ट दे देगी ?

श्री परसराम मदेरणा : पांच-छः राजाओं के लिये सूचना दी थी, उसमें से बीकानेर गई हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। जयपुर और जोधपुर की रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेन्ट में रिकग्नाइज्ड अनरिकग्नाइज्ड और कोवेनेन्ट के इन्टरप्रिटेशन के लिये पडी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट इस रुपये को जब तक फैसला नहीं हो जाता वसूल क्यों नहीं कर लेती ? उसके बाद वे क्लेम करते फिरें। इस समय जब कि धन की कमी है इनसे वसूल क्यों नहीं कर लेती ? जिस तरह से प्राइवेट कन्ज्यूमर्स के साथ व्यवहार होता है, जितना आपको एग्जेम्पशन देना है वह तो दे चुके उसके बाद जो बाकी रह जाता है वह वसूल किया जाना चाहिये। आगे वे चाहें जो कार्यवाही करें।

श्री परसराम मदेरणा : जब डिफरेन्सेज रिकन्साइल हो जायेंगे तब जो गवर्नमेन्ट के ड्यूज हैं वे रिकवर किये जायेंगे।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह बकाया कितने अर्से से चली आ रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें पहले की भी बकाया है। १९५६ में सीलिंग फिक्स की थी। उससे पहले की जो रकमें हैं उनके बारे में राइट ऑफ का प्रश्न आया था, उसमें से कुछ रकम राइट ऑफ की जा चुकी और कुछ रकम राइट ऑफ नहीं की उसको हम आउट-स्टेंडिंग मानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन मकानात के लिये जयपुर हिज-हाईनेस फ्री क्लेम बिजली मांगते हैं उन मकानात को किराये पर देकर बिजली का पैसा वसूल कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं। जब से रामबाग होटल बना है उसको रेजीडेन्शियल बिल्डिंग में इन्क्लूड नहीं किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह बकाया का सवाल है या डिस्प्यूट का सवाल है ?

श्री परसराम मदेरणा : फाइनल आउट-स्टेन्डिंग का है।

श्री अध्यक्ष : बकाया है, इसके लिये कमेटी क्यों नहीं बना देते ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार द्वारा यह कई दफा कहा जाता है कि यह बकाया का प्रश्न नहीं, डिस्प्यूट का प्रश्न है। क्या सरकार इस संबंध में स्पष्टीकरण करेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार इसको डिस्प्यूट मानती है या बकाया मानती है ? बकाया है तो वसूल करें।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये कमेटी बनाई है वह देखेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह डिस्प्यूट नहीं डिफरेन्स आफ ओपीनियन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह डिस्प्यूट नहीं है तो वसूली की कार्यवाही चालू होनी चाहिये।

Page No 12

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसके अलावा तीसरी बला क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आपने कहा वही है । नेक्स्ट ।

बाढ पीडितों की सहायतार्थ धन-राशि

५९१. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा देश के बाढ पीडितों की सहायतार्थ सन् ५८-५९ में धन इकट्ठा किया गया था ?

(२) यदि हां, तो कुल धन कितना इकट्ठा किया गया था ? प्रोजेक्टवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) सांगरिया प्रोजेक्ट से गेहूं कितना इकट्ठा किया गया था और वह कौन से क्षेत्र में सहायतार्थ भेजा गया ?

(४) क्या सहायतार्थ धन-संग्रह निमित्त कोई चैरिटी शो भी किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कुल कितना व्यय हुआ व आय कितनी हुई और कुल बचत कितनी हुई ?

मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं, कोई इस तरह का धन इकट्ठा नहीं किया गया ।

(२) प्रश्न १ के उत्तर के सन्दर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ५९२

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित)

थोई में चोरियां

५९३. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

थोई थाना, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, में ३१-१२-६० से ३१-१२-६२ तक कितनी चोरियां हुई और कितना माल वापिस मालिकों को लौटाया गया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : थाना थोई में ३१-१२-६० से ३१-१२-६२ तक के समय में ३० चोरियों की वारदातें हुई एवं ४१ नकबजनी की । बरामद माल में से २७७) रुपये ८७ नये पैसे चोरी की वारदातों का व २७०) रुपये नकबजनी की वारदातों का मालिकों को वापिस लौटाया जा चुका है ।

प्रश्न संख्या ५९४

श्री अध्यक्ष : श्री छोटूराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५९५

श्री सम्पत्तिलाल ।

(अनुपस्थित)

पुलिस सलाहकार समिति के अधिकार

५९६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के हर एक जिले के वास्ते पुलिस सलाहकार समिति बनाने का फैसला किया था ?

Page No 13

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) यदि हां, तो क्या हर एक जिले में ऐसी समितियां बन चुकी हैं ?

(३) क्या सरकार हर जिले की जनता की पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच आदि का अधिकार उस जिले की समिति को देने का विचार रखती है ?

(४) इन समितियों के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां ।

(२) प्रारम्भ में ये समितियां केवल छः प्रमुख जिलों में, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा में बनाई गई हैं ।

(३) यह कार्य सलाहकार समिति के दायरे में नहीं आता । अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(४) इस परीक्षण पर पूर्ण विचार किया जाकर निर्णय लिया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी जिलों में इन समितियों का निर्माण क्यों नहीं किया गया ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : वह अब करेंगे । यह तो एक्सपेरीमेन्ट है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : इस के पीछे सरकार की क्या मंशा है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत नेक मंशा है ।

श्री मथुरादास माथुर : मंशा तो स्पष्ट है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिला स्तर पर जनता की पुलिस के खिलाफ जो भी शिकायतें आती हैं अगर वे भी इन सलाहकार समितियों के पास चली जावें तो पुलिस के अधिकारियों के वहां पर होने के कारण बहुत सी पब्लिक की ग्रीवेन्सेज का तो वहीं निराकरण हो सकता है और विधान सभा का भी समय बच सकता है, इन बातों को जो लोग यहां लाकर बहस करते हैं उससे और इसमें सरकार को भी ज्यादा कठिनाई नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : ये तो आपके विचार हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये विचार आपको कैसे लगे ?

श्री मथुरादास माथुर : दिखने में तो अच्छे दिखते हैं, पर प्रैक्टिस में कैसे होंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भी करके देख लीजिये ।

महेश टाकीज, गंगापुर

५९७. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर में महेश टाकीज के नाम से जो सिनेमा चल रहा है वह कन्या पाठशाला के पास है और यह नियमों के विरुद्ध है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह सिनेमा टाउन इम्प्रूवमेन्ट की जमीन में बिना सरकारी स्वीकृति के बनाया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(३) क्या इस सिनेमा को स्थाई लाइसेन्स दे दिया गया है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, परन्तु यह नियम विरुद्ध नहीं है।

(२) जी नहीं। सिनेमा भवन सरकार की स्वीकृति से बनाया गया है।

(३) जी हां।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह सरकार से इजाजत कब ली ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जब से यह चालू हुआ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं निवेदन करूं कि यह भवन बगैर इजाजत के बना है। न इसके लिये प्लॉट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से लिया गया, न इसके पास पट्टा है। आपके पास रिपोर्ट बिल्कुल गलत है कि यह इजाजत से बना है। यह प्लाट सरकारी अधिकारियों ने फ्री इस सेठ को कैसे दे दिया ? जब कि दूसरी तरफ ११ सौ लोगों पर केस चल रहे हैं बिना इजाजत कन्स्ट्रक्शन करने पर और इसने जमीन ट्रस्ट से नहीं ली, पट्टा नहीं बनवाया, फिर भी भवन बना लिया, अपनी नेतागिरी में आकर बना लिया उसको आपने सिनेमा चलाने की इजाजत कैसे दे दी ? उसके खिलाफ बिना इजाजत भवन बनाने का केस क्यों नहीं चलाया गया दूसरे लोगों की तरह ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) :– नेताजी का जादू है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये इसको प्रमाण-पत्र देना पडता है पहले कि उसके पास यह जमीन एलाटेड है। क्या ये सरकार को पेश किये गये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: यह सब प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के पास आये। तब सचिवालय ने उसको लाइसेन्स दिया और उस लाइसेन्स के आधार पर वह चल रहा है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : क्या उसके पास कोई कन्या पाठशाला भी है ?

श्री मथुरादास माथुर: जी हां। यह उत्तर में भी है।

श्री श्योपतसिंह: तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या यह कोलाहल कानून के अन्तर्गत नहीं आता जो आपने अभी बनाया है। लाउड स्पीकर वह नहीं बजा सकेगा स्कूल के पास।

श्री मथुरादास माथुर: वह रात के ११ बजे से पांच बजे तक कानून है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: तो फिर उसको लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत दी जावेगी कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर: यह लेटेस्ट कानून है। इसके अनुसार वह सिनेमा हॉल से

(श्री मथुरादास माथुर)
बाहर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता। उसे ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि लाउड स्पीकर सिनेमा हाल में ही आवाज देता रहे, उसकी आवाज बाहर नहीं आवे, इसलिये यह उसको ध्यान में रखकर चलेगा और इस कन्डीशन को साथ लेकर ही इजाजत दी गई है।

श्री श्योपतसिंह: यह तो लाउड स्पीकर की बात रही। पर सिनेमा के नाम से जो लोग बाहर इकट्ठे होंगे, शोरगुल करेंगे, बच्चों की पढाई क्या उससे डिस्टर्ब नहीं होगी, खोमचे वाले होंगे, आवाजें लगावेंगे, तो जो भी सिनेमा हॉल के बाहर शोरगुल होते हैं उनसे सब वाकिफ हैं और वह शोरगुल बच्चों की पढाई के लिये कोई भी व्यक्ति नुकसानदेह मान सकता है। तो वह सिनेमा अगर दिन के वक्त चालू हो तो कन्या पाठशाला की पढाई की व्यवस्था को नुकसान नहीं होगा?

श्री मथुरादास माथुर: अभी भी वह चल रहा है, कन्या पाठशाला को कोई नुकसान नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं निश्चित रूप से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे निश्चित, सही तौर से बतावें कि उस जमीन के बारे में कोई पट्टा या विक्रय पत्र सरकार के सामने उसने प्रस्तुत किया है?

श्री अध्यक्ष: या इसको यों पूछिये कि बिल्डिंग बनाना शुरू किया उसके पहले पर्मीसन ले ली थी क्या?

श्री मथुरादास माथुर: हम जो लाइसेन्स देते हैं वह जमीन की खरीद का नहीं देते, वह तो खरीद, वे इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड या म्युनिसिपलिटी से लेते हैं। हम तो उस एरिया में लाईसेन्स देना सिनेमा चलाना मुनासिब है या नहीं यह समझ कर, देखकर देते हैं। और वह हमने दिया। अब जमीन उसकी थी, या नहीं थी, या चोर कर लाया, क्या किया यह वह जाने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लाइसेन्स जो आप देते हैं उस के दिये जाने के पहले भी यह नियम के अनुसार आवश्यक है कि आप उससे पट्टा या खरीद पत्र मांगें ताकि यह मालूम हो सके कि सिनेमा चलाने के लिये उसके पास जमीन भी है या नहीं। तो क्या आपने उससे वह पट्टा या सेल डीड मांगा?

श्री मथुरादास माथुर: I will look in the matter.

आदिवासी भील कोलोनी, लखावा, जिला कोटा

५९८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लखावा (जिला कोटा) आदिवासी भील कोलोनी पर सरकार ने किस किस काम में कितनी कितनी धनराशि खर्च की है?

(२) लखावा कालोनी में कुल कितने परिवारों के लिए मकान बनाये गये थे और इस समय कितने परिवार इस कोलोनी में आबाद हैं?

(३) क्या यह सही है कि आदिवासियों के लिए बनाये गये मकानों में से कुछ मकान

Page No 16

(श्री भैरवलाल कालाबादल')

गिर गये हैं ? यदि हां, तो कितने गिरे और कितने शेष बचे ?

मंत्री समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा लखावा आदिवासी नामक भील कोलोनी को कोई धन-राशि स्वीकृत नहीं की गई; बल्कि रूनग्राडा को दी गई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : भील कोलोनी पर कितना खर्चा किया गया ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दिया न कि नहीं किया। यह रुपया कलेक्टर कोटा को दिया गया था विकास अधिकारी के मार्फत दो जगह कोलोनी बनानी थी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कब बनाना शुरू किया था ?

श्री भीखाभाई : १९५८ में शुरू किया था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अभी तक अधूरी पड़ी है ? तो फिर किस तरह से उनका उद्धार होगा ?

श्री भीखाभाई : यह उद्धार का सवाल तो मैं अधिक जानता हूं। पर मैं अर्ज कर दूं कि कलेक्टर को धन दिया गया था, अब उनको ग्रान्ट-इन-एड देने का सवाल था। उन्होंने एम्बीशियस प्लान बनाया और जिसको वे पूरा नहीं कर पाये और इस तरह यह आज भी अधूरा है। पंचायत समिति देख-रेख करती है। उसके द्वारा काम कराया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : गलत प्लान बनाया, जिसने एम्बीशियस बनाया उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री भीखाभाई : उसकी इनक्वायरी करने के लिये कमेटी बनाई थी हमने।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५८ से चलने वाली जांच अब भी समाप्त नहीं हुई ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जितने अर्से तक चलेगी उतना ही उद्धार होगा।

आबूरोड-मंडार रूट का राष्ट्रीयकरण एवं रोडवेज की बसें

५६६. **श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आबू रोड मंडार रूट के राष्ट्रीयकरण तथा स्टेट रोडवेज की गाड़ियां चलाने के लिये सरकार द्वारा कब कब आदेश निकाले गये और कब कब और क्यों इनको स्थगित किया गया ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस रूट पर कितनी और किन किन आपरेटर्स की गाड़ियां चल रही थीं जिनको राष्ट्रीयकरण के कारण हटना पड़ा है ?

(३) इस रूट पर अब कब से स्टेट रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

Page No 17

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(२) मैसर्स भंडार अनादरा मोटर सर्विस की तीन गाड़ियां इस रूट पर चल रही थीं।

(३) ११ जून, सन् १९६२ से।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इस रूट पर सरकारी गाड़ियां चलाने का निर्णय केबिनेट ने कब लिया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: आपके यहां जो विवरण पेश किया गया है उसमें लिखा है कि किस वक्त राज-पत्र में निकला, किस वक्त केबिनेट ने निर्णय लिया ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें केबिनेट के निर्णय का नहीं लिखा।

श्रीमती कमला बेनीवाल: १९ अप्रेल और २५ अप्रेल का जो है उसमें क्योंकि त्रुटि पहले रह गई थी, केबिनेट द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था इसलिये दुबारा केबिनेट ने फैसला करके राज-पत्र में प्रकाशित कराया। उसमें त्रुटि यह रह गई कि जनरल मैनेजर के नाम से प्रकाशित हो गया। फिर २७ अप्रेल को सही करके दुबारा प्रकाशित कराया गया।

श्री भैरोंसिंह: जिस समय पहली बार नोटिफिकेशन प्रकाशित कराया गया उस समय क्या सरकार के ध्यान में नहीं आया था कि केबिनेट से सेंक्शन नहीं ली है इसलिये सेंक्शन लेकर प्रकाशित किया जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: ध्यान में आने के बाद गलती दुरुस्त की गई।

श्री भैरोंसिंह: क्या ध्यान में एक दिन पहले आया जिस दिन कि गाडियां चलने वाली थीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : किस वक्त ध्यान में आया यह इसमें लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस व्यक्ति की आथोरिटी से यह नोटिफिकेशन निकला, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: होम डिपार्टमेंट के आदेशानुसार जनरल मैनेजर ने प्रकाशित करवाया था। इसमें व्यक्ति का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: होम डिपार्टमेंट ने आदेश कैसे दे दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बताना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उचित क्यों नहीं है ? जिस समय नेशनलाइजेशन करने के लिये नोटिफिकेशन होता है पहले पूरी कार्यवाही होती है। ३० नवम्बर को आदेश देते हैं, लेकिन केबिनेट का निर्णय नहीं है। फिर दुबारा गाडियां चलती हैं तो कहते हैं कि नोटिफिकेशन डिफेक्टिव है, केबिनेट-सेंक्शन नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह प्रस्तुत है कि गलती हो गई जिसकी दुरुस्ती के लिये कार्यवाही हुई। गलती किस कारण से हुई, यह कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह आवश्यक इसलिये है कि दोषी कौन है और उसको दंड मिला या नहीं, यह जानना जरूरी है।

Page No 18

श्रीमती कमला बेनीवाल : दंड पाने का हकदार तब होता है जब गलती जान-बूझ कर करे । गलती इन्सान से हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : दंड का अधिकारी इसलिये होता है कि गजट नोटिफिकेशन करने में खर्चा हुआ, ऑब्जेक्शन्स पेश किये गये उनमें खर्चा हुआ, जो लोग या पार्टीज इन्ट्रेस्टेड थे उनका खर्चा हुआ । इन सब बातों के लिये कोई न कोई तो दोषी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई न कोई दोषी है या नहीं और क्यों दोषी है मैं उसका विवरण हाउस में देना उचित नहीं समझती ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया कह चुकी हैं कि केबिनेट का एप्रूवल नहीं हुआ; यह गलती रह गई थी और जब इसका पता चला तो केबिनेट की सेंक्शन ले ली गई ।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं कहता कि जनरल मैनेजर की गलती थी, लेकिन डिपार्टमेंट को किसी पर रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करना आवश्यक है । दो साल से इस पर खर्चा हो रहा है, पार्टीज परेशान हैं । मंत्रीजी अगर नाराज नहीं हों, तो मैं अर्ज कर दूं कि इस सारे मामले में सरकार की जबर्दस्त बदनामी हो रही है । लोग कह रहे हैं कि इस मामले में इन्ट्रेस्टेड लोगों की एप्रोचेज हुई, इस वजह से दो बार नोटिफिकेशन कैंसिल किया गया । जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो इसका नेशनलाइज किया गया । इस सब के बारे में जानकारी करनी चाहिये ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : गलती हुई, इसको मैंने माना है । गलती इन्सान से हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : नेशनलाइजेशन का नोटिफिकेशन निकलता है, उसको फिर विथड्रा करते हैं, फिर दुबारा नोटिफिकेशन निकलता है उसमें गलती रहती है, फिर उसको विथड्रा करते हैं-इसमें करप्शन के बहुत ज्यादा चान्सेज हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यदि गलत नोटिफिकेशन को विथड्रा नहीं करते तो लोग हाई कोर्ट में रिट ले जाते और उससे ज्यादा बदनामी होती ।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह की गलती क्यों करते हैं और लोगों को हरेस क्यों करते हैं ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : माननीय सदस्य ने देखा होगा कि गलती क्या है । जो विवरण दिया है उसमें इतना ही है:

"Notice was issued by the General Manager. It should have been issued by the State."

आपने बढा चढा कर बात कही ।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह कह रहा था कि नेशनलाइजेशन के लिये एक बार नोटिस इश्यू करते हैं जिससे ऑपरेटर्स परेशान होते हैं फिर जब वे खास खास व्यक्तियों के पास एप्रोच करते हैं तो नेशनलाइजेशन का ऑर्डर वापिस लेते है । जान बूझ कर गलतियां रखी जाति हैं, रूल्स बनाने में भी डेलीबरेटली गलतियां रखी जाती है ।

श्री हरिश्चन्द्र : I shall be very glad if you give me any concrete suggestion. I would certainly look into it.

श्री भैरोंसिंह : बाइपास करने के लिये रिमार्क्स नहीं हैं। आप चाहें तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। आपके नोटिस में नोटिफिकेशन इश्यू किया उस समय ही आ जाना चाहिये था कि इसमें गवर्नमेन्ट या केबिनेट का डिसीजन नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप कौनसी बात कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने पता लगाया है। इसमें आपकी कार्यवाही शुरू होती है १३ अप्रेल, ६१ को और खत्म होती है ३० नवम्बर, ६१ को। १९६१ में गाडी चलनी चाहिये थी, लेकिन गाडी चलती है १ दिसम्बर, १९६२ में। केबिनेट या सरकार २ वर्ष तक सोती क्यों रही ? २ वर्ष के बाद सरकार को मालूम हुआ जब कि चार-पांच बसें चलने वाली थीं, नेशनलाइजेशन होने वाला था तो इतने समय तक सरकार सोती क्यों रही ?

श्री हरिश्चन्द्र: मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि लास्ट पैरेग्राफ को पढिये, इसमें यह है कि नोटिस जो इश्यू किया वह जनरल मैनेजर ने गलत इश्यू किया। वह सरकार की ओर से इश्यू होना चाहिये था, यह ला डिपार्टमेंट ने बताया; इसलिये instead of 25th April, the bus started on 11th of June.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष: यह स्पष्ट हो चुका है कि कुछ ऐसी प्रोसीजरल गलतियां हुई हैं। शुरू शुरू में नेशनलाइजेशन कर रहे थे, स्टाफ अनभिज्ञ था, इसलिये ये गलतियां हुई। यह हो सकता है कि क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि इस प्रकार की बेसिक मिस्टेक्स भविष्य में नहीं होंगी ?

श्री हरिश्चन्द्र: कोशिश यही की जाती है कि इस तरह के प्रोसीजरल डिफेक्ट्स न रहें। We are very strict about it.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This is still a matter for enquiry whether this mistake was deliberate as is stated or whether it was just an ordinary mistake by oversight. This is an important matter.

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): It was a bonafide mistake.

श्री भैरोंसिंह : It was not because of oversight. It was deliberate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): This mistake perpetuated for full two years.

श्री हरिश्चन्द्र : What proof has the hon'ble member got ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसको साबित कर सकता हूं कि इसमें डेलिबरेटली मिस्टेक्स की गई है।

मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स एक्ट के अधीन पंजीयन

६००. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): Will the Labour Minister be pleased to state:—

1. What steps have been taken by the Inspectors appointed under

Page No 20

(श्री कुमारानन्द)
the Motor Transport Workers' Act to see that the Act is being implemented by the owners?

2. Whether the Rajasthan State Roadways has started keeping the record in the forms as provided in the Rajasthan Motor Transport Workers Rules?

3. How many undertakings of Road Transport have been registered under the Motor Transport Workers Act so far?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : 1. The Inspectors have started inspecting the covered establishments.

2. Yes.

3. Till 7th Feb., 1963, 141 establishments have been registered under the Act.

श्री कुमारानन्द: The reply is not clear.

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: क्या कहा; समझ में नहीं आया ?

श्री कुमारानन्द: My first question was "What steps have been taken by the Inspectors appointed under the Motor Transport Workers Act to see that the Act is being implemented by the owners?"

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इन्सपेक्टर्स ने इन्सपेक्शन शुरू कर दिया है।

श्री कुमारानन्द: My second question is, "Whether the Rajasthan State Roadways has started keeping the record in the forms as provided in the Rajasthan Motor Transport Workers Rules?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: रेकार्ड रखना शुरू कर दिया है। मैंने 'हां' कहा है। Yes.

श्री कुमारानन्द: No. 3 is, "How many undertakings of Road Transport have been registered under the Motor Transport Workers Act so far?"

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: १४१।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

राजस्थान शोप्स एंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चालान, अलवर

६०१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अलवर शहर में गत १९६१-६२ में राजस्थान शोप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, १९५८ के तहत कितने लोगों के चालान हुए हैं ?

(२) चालान हुए लोगों में से कितनों को सजा हुई, कितने बरी हुए और कितने केस अभी भी पेन्डिंग हैं ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) सन् १९६१-६२ में २१, सन् १९६२ में १४।

(श्री भवानी शंकर नन्दवाना)

(२) सन् १९६१ में २१ में से १९ पर जुर्माना हुआ और एक बरी हुआ, एक पेन्डिंग है। सन् १९६२ में १४ में से ८ पर जुर्माना हुआ और ६ पेन्डिंग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): ये चालान कौन पेश करता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: चालान जो अधिकारी हैं वे पेश करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किसको अधिकार दिया है आपन ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इन्सपेक्टर को अधिकार दिया है, इन्सपेक्टर्स हैं उनको अधिकार दिया है चालान करने का।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही नहीं है कि इस समय तहसीलदारों को ये पॉवर्स दिये हुए हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्सपेक्टर्स तहसीलदारों को मुकर्रर किया गया था, जिनको टाइम नहीं मिलता ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इस पर विचार किया जायगा, अगर उनको टाइम नहीं मिलता तो कोई और रास्ता निकालेंगे।

डेगाना-खाटू रोड का सर्वे

६०२. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या डेगाना से खाटू रोड का सर्वे हो चुका है ? यह कितने मील लम्बी है ?

(२) इस रोड का कार्य तृतीय पंच-वर्षीय योजना के किस वर्ष में प्रारम्भ होगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं।

(२) यह सडक योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्रीमती गौरी पूनिया: इस सडक का सर्वे दो बार हो चुका है, क्या इसकी जानकारी है आपको ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी यही है। फिर पूरी जानकारी कर लेंगे।

श्रीमती गौरी पूनिया : क्या मंत्री जी को मालूम नहीं है कि खाटू की वजह से यह बहुत जरूरी है और पहली पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान रखा था और सैकन्ड में भी रखा था और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको खत्म करने की बात थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: बात यह है कि डेगाना से खाटू तक रेल्वे बनी है। दूसरी तरफ मुख्य २ कस्बे है वहां ग्रेवल रोड बनी हुई है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): राजस्थान में जो बिल्डिंग मैटिरियल प्रोडक्ट्स होता है वह खाटू एरिया में होता है जहां

(श्री मोतीलाल चौधरी)
पांच हजार मजदूर पट्टी और पत्थर का प्रोडक्शन करते हैं और उसे अजमेर जिले तक सप्लाई करते हैं। अगर इस हिस्से पर सडक बन जाय तो अजमेर तक माल आसानी से सप्लाई हो सकता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पत्थर और पट्टी के कारण विचार हो सकता है, अगर माइन्स वाले पैसा देंगे तो हम सडक बना देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : माइन्स के डवलपमेंट को करने की जरूरत है, अगर रोड नहीं बनती है तो डवलपमेंट नहीं हो सकता।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह माइन्स डिपार्टमेंट के देखने की चीज है। अगर वे हमको पैसा देंगे तो हम बना देंगे।

श्री अध्यक्ष: ६०३। श्री कुमारानन्द।

स्थायी श्रम समिति की बैठकें

६०३. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Will the Labour Minister be pleased to state:—

(1) How many meetings of the Standing Labour Committee of the Labour Advisory Board have been held so far since its formation?

(2) Was it decided in the meeting of the Labour Advisory Board to hold the meetings of the Standing Committee quarterly? If so, why the decision of the Board is not being implemented?

(3) Will the Government assure this House that the meetings of the Labour Advisory Board and its Standing Committee will be held regularly in future?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (1) Two.

(2) Yes. Quarterly meetings of this Committee were not held as there was no sufficient agenda for the meeting.

(3) Yes, the meetings will be convened whenever necessary.

श्री कुमारानन्द: The last meeting of the committee was held in 1960. Why the meeting has not been held after that? I want an answer for that.

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो मीटिंग हुई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): लास्ट मीटिंग कब हुई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: मार्च में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से मार्च में ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इसी पांच मार्च को।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपने जवाब दिया, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। इसमें प्रोविजन है कि क्वार्टरली तीन महीने में मीटिंग बुलाई जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने 'जी हां' कहा। पहले अजेन्डा सफीशियेन्ट नहीं था इसलिए नहीं बुलाई गई। आप इन्ट्रेस्टेड है तो बुला ली जायगी।

श्री कुमारानन्द : ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में यह तय किया था कि हर महीने में बुलाई

Page No 23

(श्री कुमारानन्द)
जायगी। फिर क्यों नहीं बुलाई गई, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई काम नहीं है लेबर डिपार्टमेंट के पास।

प्रश्न संख्या ६०४

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०५

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

श्री गणपतिलाल वर्मा।

अनवासा तालाब योजना, मान्डलगढ

६०६. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या मांडलगढ क्षेत्र में अनवासा तालाब के निर्माण का सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो इसके निर्माण का काम कब से प्रारम्भ होगा?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): जी हां, सर्वेक्षण करीब करीब पूरा हो चुका है। निर्माण इसके एस्टीमेट बनने व मंजूर होने पर शुरू किया जावेगा, जिसकी अभी कोई अवधि नहीं बतलाई जा सकती।

श्री गणपतिलाल वर्मा: यह सर्वे कब से हो रही है?

श्री दिनेशराय डांगी: यह सर्वे जुलाई, १९५९ को फिनिश हो चुकी है; किन्तु फंड्स में कमी आने पर इसको टेक-अप नहीं कर सके।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): जुलाई, १९५९ से लेकर १९६३ तक—चार साल में बजट प्राप्त नहीं हुआ है?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम्स, जो सर्वे करा ली थीं, को लेना पडा।

श्री भंवरलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु०): सर्वे पर कितना खर्चा हुआ?

श्री दिनेशराय डांगी: यह प्रश्न भी अलग है और आप खुद भी अलग हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपकी तरह अलग अलग है।

गैर सरकारी होस्टलों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता

६०७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

राजस्थान राज्य में किन किन गैर सरकारी होस्टलों एवं अन्य संस्थाओं को विभाग द्वारा सन् १९५९ से अब तक कितनी वार्षिक वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है? ऐसी सहायता देने के क्या आधार हैं? अगर कोई नियम बने हों तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सहायता देने के आधार संलग्न नियमों में अंकित हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन: विभाग के पास में ऐसी क्या एजेंसी है, जिससे यह मालूम हो कि जिस काम के लिए सरकार सहायता देती है उस सम्बन्ध में वह खर्चा किया गया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई: युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट उनसे प्राप्त किया जाता है।

श्री भीमसेन: रामलीला कमेटी, जयपुर को अस्पृश्यता निवारण के लिए सहायता दी है, इसके सम्बन्ध में क्या काम किया उस कमेटी ने ?

श्री अध्यक्ष: रामलीला की।

श्री भीखाभाई: रामलीला कमेटी जयपुर में बनाई हुई है, वह राम की कथा की लीला करती है। उस कथा के अन्दर है कि शबरी के द्वारा राम ने बेर ग्रहण किये थे। उसी प्रकार हरिजन प्रतिनिधि इसके अन्दर पार्ट लेते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि छूआ-छूत मिट जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मंत्रीजी ने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया है?

श्री अध्यक्ष: किसके सामने ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: शबरी महिला थी, उसके झूंठे बेर खाये, इसमें यह महत्व की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सरकार ने इसी प्रकार दूसरे रिलीजिन वालों को; मुसलमानों और क्रिश्चियनों को मदद दी है ?

श्री भीखाभाई: धर्म का सवाल नहीं है, अन्तर-उदय का सवाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट कौन प्रोड्यूज करता है ?

श्री भीखाभाई: खर्च करने के बाद जो सर्टीफिकेट दिया जाता है वह है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): डिस्ट्रिक्ट्स में होस्टल के लिए जो ग्रान्ट दी है छात्रावास चलाने के लिए, उसमें क्या व्यवस्था है ? होस्टल में जो आदिवासी रहते हैं, हरिजन रहते हैं उनकी संख्या को देखते हुए दी जाती है ?

श्री भीखाभाई: सर्वथा अलहृदा सवाल है।

श्री भीमसेन: किसी को ज्यादा सहायता दी जाती है, किसी को कम दी जाती है–इसका क्या कारण है ? भीलवाडा छात्रावास को चार हजार दिये हैं, भारतीय लोक कला मंडल को आठ हजार दिये हैं और राजस्थान आदिम-जाति सेवक संघ को ९ हजार दिये हैं ?

श्री भीखाभाई: यह रूल्स के आधार पर होता है। क्या रूल्स हैं, यह इसके साथ संलग्न है, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार ग्रान्ट-इन-एड देते हैं और किस हिसाब से।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन।

दूदू-मकराना बिजली योजना हेतु खम्भों की खरीद

६०८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर स्थित कन्स्ट्रक्शन विभाग रूरल राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, जयपुर द्वारा दूदू-मकराना में बिजली लाइन के कार्य हेतु कोई दो हजार खम्भों के लिये रेलवे लाइनों के टुकड़े मंगवाये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो इन खम्भों की खरीद पर कितना रुपया व्यय हुआ है और ये खम्भे आजकल कहां रखे हुए हैं ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां । केवल १४४९ रेल्स के टुकड़े जयपुर-दूदू बिजली लाइन के कार्य हेतु मंगवाये गये थे ।

(२) इन खम्भों पर ४,४७,४४८ रुपये व्यय हुए हैं और खम्भों का विवरण इस प्रकार है:

(१) ३८३ खम्भे दौसा-बांदीकुई लाइन पर प्रयोग किए गए ।

(२) १९२ खम्भे रींगस-नीम का थाना लाइन पर प्रयोग किए गए ।

(३) ५८० खम्भे अधिशासी अभियन्ता भीलवाडा को सांभर-मकराना लाइन के लिए भेजे गए ।

(४) १०४ खम्भे अधिशासी अभियन्ता विद्युत् मन्डल, भरतपुर को बयाना के विद्युतिकरण के लिये भेजे गये ।

(५) १६४ खम्भे अन्य कामों के लिये सेन्ट्रल स्टोर्स में जमा किए गए ।

(६) १४ खम्भे अधिशासी अभियन्ता (वितरण) विद्युत् मण्डल, जयपुर को भेजे गए ।

(७) २ खम्भे अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् मंडल, जयपुर को भेजे गए ।

(८) १० खम्भे-अधिशासी अभियन्ता (जिला क्षेत्र) विद्युत् मंडल जोधपुर फालना के लिए भेजे गए ।

श्री रामकिशन : ये कब खरीदे गये थे और कब कब भेजे गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री रामकिशन : इसमें जानकारी यह लेनी थी कि कितने दिन खरीदे हुए पड़े रहे, कितने दिन बेकार रहे । सबकी जानकारी लेने के लिए यह पूछा था ।

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : वे डिस्ट्रिब्यूट हो गये । बेकार रहने का सवाल क्या है ।

श्री परसराम मदेरणा: सब खम्भे काम कर रहे हैं । बेकार का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामकिशन : खम्भे काम में आ गये । कब खरीदे गये और कब कब भेजे गये, इसके बीच का कितना समय लिया, तखमीना बनाने के लिए कि फलां फलां जगह जरूरत पड़ेगी ?

ग्राम चाकसू में बिजली

६०९. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सरकार की चम्बल योजना की बिजली की लाइन के पास पड़ने वाले कस्बों को बिजली देने की योजना है ?

(२) क्या यह भी सच है कि कस्बा चाकसू चम्बल योजना बिजली की लाइन के बिल्कुल पास है ?

(३) क्या यह भी सच है कि कस्बा चाकसू, जयपुर जिले की अच्छी व्यापारिक मंडी है और उसकी जन संख्या करीब आठ हजार है ?

(४) क्या यह भी सच है कि कस्बे की जनता की सदा से बिजली की मांग रही है व सरकार द्वारा समय समय पर शीघ्र बिजली देने का आश्वासन दिया जाता रहा है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) केवल उन कस्बों को चम्बल की बिजली देने की योजना है जो ३३ के. वी. या ११ के. वी. लाइन के पास पड़ते हैं।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। अर्थाभाव होने से यह कार्य नहीं हो सका। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यदि पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी, तो चाकसू कस्बे में बिजली दी जा सकेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : चाकसू के लिए अर्थाभाव के लिए कहा जब कि उससे छोटे कस्बे हैं उनको बिजली दे रहे हैं और चाकसू के लिए अर्थाभाव बता रहे हैं। इसकी क्या गारन्टी है कि आपके पास अर्थाभाव है ? जब कि छोटे कस्बे हैं उनको बिजली दे रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहां किसी कस्बे की पांच हजार से आबादी ज्यादा है गवर्नमेंट की बिजली देने की योजना है। अर्थाभाव के कारण बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ७२ गांव हैं और उनकी आबादी पांच हजार से ऊपर है। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में नहीं ले सके हैं और केवल २३ कस्बों को ले सकते हैं। इस तरह करीब पचास पर्सेंट गांव ऐसे हैं जिन्हें अर्थाभाव के कारण इलेक्ट्रिफाई नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : ६१०।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या यह सही है कि चाकसू की पोपुलेशन आठ हजार से कम है ?

श्री परसराम मदरेणा : मैंने कहा कि पांच हजार या पांच हजार से ऊपर आठ आठ हजार तक की आबादी के बहुत से गांव हैं जिनकी संख्या करीब पचास के आस पास है, जिन्हें इलेक्ट्रिफाई नहीं कर सके हैं पॉसिटी आफ फंड्स के कारण।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : पांच हजार की आबादी के ऊपर के कस्बे हैं उन्हें क्यों नहीं लेते जब कि नीचे वालों को लेते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है कि जो ऐसे गांव हैं जो ११ के. वी., ३३ के वी.

Page No 27

(श्री परसराम मदेरणा)
लाइन के पास पडते हैं उन्हें बिजली दी जा सकती है।

श्री जयनारायण सालोदिया: जब ऐसे आश्वासन दिये गये हैं, तो नजदीक पडते हैं उनको बिजली न दी जाकर कम आबादी वाले विलेजेज को बिजली क्यों दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन।

इन्जरीज के केसेज के लिये पट्टियां

६१०. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजकीय औषधालय, भरतपुर में सन् १९६२–६३ में इन्जरीज के कितने केस रजिस्टर हुए हैं?

(२) उक्त औषधालय को सन् ६२-६३ में इन्जरीज केसेज के लिये कितनी पट्टियां सप्लाई की गई है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखा भाई): (१) सन् १९६२-६३ में इन्जरीज १६,९२६ केसेज (माह फरवरी तक) रजिस्टर हुए।

(२) २२२ दर्जन पट्टियां सप्लाई की गई हैं।

(१२.०० म.)

श्री रामकिशन: जहां १६ हजार लोगों को पट्टियों की जरूरत हो वहां आप २२२ दर्जन सप्लाई करते हैं तो बाकी लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री भीखाभाई : आवश्यकतानुसार उनको पट्टियां दी गई।

श्री रामकिशन : क्या १६ हजार केसेज रजिस्टर हुए उनमें दूसरों को पट्टियों की जरूरत नहीं थी ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि २२२ दर्जन पट्टियां सप्लाई की गई थीं।

श्री रामकिशन : यह कब पहुची ?

श्री भीखाभाई : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है। आवश्यकतानुसार पहुंचाई गई। मेरी सूचना के अनुसार २२२ दर्जन पट्टियां पहुंचा दी गई है।

श्री रामकिशन : मैंने पूछा है कि ६२-६३ में कितनी पट्टियां सप्लाई की गई ?

श्री भीखाभाई : आपने पूछा है कि राजकीय औषधालय, भरतपुर में सन् ६२-६३ में कितने इन्जरीज के केस रजिस्टर हुए और इन इन्जरीज केसेज के लिये कितनी पट्टियां सप्लाई की गई हैं? मैंने उत्तर में निवेदन किया कि२२२ दर्जन पट्टियां सप्लाई की गईं। अगर आप कोई निश्चित समय पूछते तो उसका उत्तर देता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जल प्रदाय योजना बाड़मेर

६११. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़मेर नगर में जल प्रदाय योजना कब से शुरू हो रही है और कब तक पूर्ण हो जायगी ?

(२) इस योजना पर खर्च होने वाली धनराशि कितनी है ?

Page No 28

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जलप्रदाय योजना, बाडमेर का कार्य माह जनवरी, १९६३ से आरम्भ हो चुका है। यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही पूर्ण होने की संभावना है।

(२) इस योजना पर लगभग २५ लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

श्री उम्मेदसिंह : इस गर्मी में जो जल कष्ट होगा उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करती है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने क्या फरमाया, फिर से फरमावें, सुना नहीं गया।

श्री उम्मेदसिंह: आपने समय दिया है, पर इस गर्मी के बीच में ट्रबल पानी का होगा उसके लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : म्युनिसिपैलिटी इन्तजाम करे। सरकार योजना बना रही है। २५ लाख का काम होगा।

श्री उम्मेदसिंह : हर साल इसी प्रकार पानी का प्रश्न उठता है, सरकार इस जल कष्ट को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गवर्नमेंट उचित समझेगी तो मदद देगी। कोई मदद मांगे भी ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर डूंगरगढ सडक निर्माण योजना

६१२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर से डूंगरगढ सडक के निर्माण की योजना सरकार ने कब बनाई थी ?

(२) इसमें अब तक कितने रुपयों का मैटीरियल सरकार ने कब से गिरा रखा है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि सारा मैटीरियल खराब हो रहा है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य जल्दी पूरा क्यों नहीं किया जाता ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।

(२) लगभग ३,३८,३०१ रुपयों का/ डेढ साल से ।

(३) जहां जहां सडक पर मैटीरियल पडा हुआ है वहां का निर्माण कार्य दिनांक ७-१२-६२ से शुरू कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ६१३

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न। ८-३-६३ का स्थगित प्रश्न ।

मृत्युभोज करने के अपराध के मामले

२५१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत** (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले वर्ष मृत्युभोज करने के अपराध में कितने केसेज में सजा दी गई ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि मृत्यु–भोज बहुत बडी संख्या में राज्य भर में होते रहते हैं ?

(३) यदि हां, तो इतनी बडी संख्या में मृत्यु–भोज होते रहने पर भी उनपर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) ऐसे केसेज की संख्या ८ है। केवल १९ जिलों से आंकडे प्राप्त हो सके हैं।

(२) प्राप्त सूचना के अनुसार मृत्यु-भोज में अपेक्षाकृत ह्रास हो रहा है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या आपकी जानकारी में नहीं है कि हर साल हजारों लाखों मृत्यु–भोज होते हैं ?

श्री भीमसिंह : होते होंगे। जहां तक आपकी जानकारी है परन्तु इस एक्ट के अनुसार पंचायतों की तरफ से व पटवारियों की तरफ से जब तक कोई शिकायत नहीं हो, कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अगर पटवारी या पंचायतों के लोग कोई शिकायत नहीं करें तो क्या पुलिस का और सरकार का यह फर्ज नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए ?

श्री भीमसिंह : आपकी कोन्स्टीट्यूएन्सी में होते हों और आप कोई बात बतावें तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पटवारियों को और सरपंचों को तो इस बात की मालूम है, यह बात तो आपको जानकारी में है ?

श्री भीमसिंह : ऐसी बात हमारी जानकारी में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप भोज का पता नहीं लगा सकते, जहां हजारों आदमी जीमते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार की जिम्मेदारी कम है और जनता की अधिक है। आपके यहां सरपंच और पंच आपके ही हैं। इसलिये उनकी जिम्मेदारी है। आप सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डालें, यह ठीक नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उन्होंने कहा कि आपकी कान्स्टीटुएन्सी में होते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां होते हैं या नहीं।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जहां तक गृह विभाग से इसका ताल्लुक है, मैं यह कहूंगा कि यह काग्नीजेबल आफेन्स नहीं है। आप कोई बिल लाकर इसको काग्नीजेबल आफेन्स करा दें।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री भी उन भोजों में शरीक होते हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ये केसेज कहां कहां के हैं।

श्री भीमसिंह : अलवर के दो। चित्तोड का एक, भीलवाडा के दो–इस प्रकार से हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : जयपुर के १५ केसेज थे, मगर सिटी मजिस्ट्रेट ने उनको नहीं लिया।

श्री भीमसिंह : यह अलग प्रश्न है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरे जिले में नागौर में २५ केसेज दिये, मगर नहीं लिये।

श्री मथुरादास माथुर : किस जिले में कितने केसेज रजिस्टर हुए, यह प्रश्न है। अगर किसी अधिकारी ने नहीं लिये तो मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य इस संबंध की सूचना दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने सूचना दी है, कोई ली नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि १९ जिलों की कम्पलीट सूचना नहीं दी गई है? यह सोशियल एक्ट है कहीं लागू नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : बराबर लागू किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य निश्चित सूचना दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और अगर माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लें तो इसका निराकरण हो सकता है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आप पुलिस के अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्फत जानकारी लेते हैं या नहीं? दरअसल क्या होता है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये समाज के नेताओं को काम करना चाहिये।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.०३ म. प.)

(विराम)

स्थगन प्रस्तावों की सूचना बाद में दी जावेगी।

याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन।

राव श्री श्रीनारायणसिंह मसूदा (उपाध्यक्ष-सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(२) मैं विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

गैर सरकारी दिन निश्चित करने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : Point of Order, Sir, आज के प्रतिवेदन सदन के सामने रख रहे हैं। इसके बारे में मेरा ऐतराज है कि कार्य संचालन नियमों के नियम २६ के तहत यह जरूरी है कि विधान सभा की कार्यवाही चले उसमें १५ दिन की कार्यवाही के साथ एक दिन गैर सरकारी कार्य का दिन होना चाहिये और पहले इसके लिये ५ तारीख रखी गई थी और उस दिन हमने काफी प्रयास किया था। क्यों कि अब १ महीना और ५ दिन के बाद यह ५ तारीख को समाप्त हो रही है। उसमें गैर सरकारी दिन को हटा दिया है। इस संबंध में आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि कम से कम १५ दिनों में एक दिन तो गैर सरकारी कार्य के लिये हो।

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य संभवतः जानते हैं कि कार्य सलाहकार समिति में हर एक दल के सदस्य होते हैं और अच्छी तरह से विचार-विमर्श करने

(श्री अध्यक्ष)

के बाद कितना समय लिया जावे, उसका विचार किया जाता है। आपके दल के प्रतिनिधि भी वहां थे। यदि आप उनसे पहले बात कर लेते तो आपको पता लग जाता कि ऐसा क्यों हुआ। आपने अभी यहां पर जो प्रश्न उठाया है उस पर भी विचार किया और सभी माननीय सदस्यों ने बगैर किसी विरोध के यह तय किया था कि इस तरह की व्यवस्था की जावे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पास समय है उसका उपयोग करें। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव पेश करें।

कार्य-सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कार्य-सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

जो पक्ष में हों, हां कहें
विपक्ष में हों ना कहें।

(हां की ध्वनि)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): No.

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

माननीय सदस्य ने No कहा है, इस पर भी मैं निवेदन कर दूं कि पार्टीज जो सदन में हैं और उनका आपस का डिसिप्लिन है, अनुशासन है; तो उनके नेताओं को कन्सल्ट करके, उनके प्रतिनिधियों को समितियों में रख कर उनको कन्सल्ट करके जो निर्णय लिये जाते हैं उनका विरोध किया गया तो मैं समझता हूं सदन कि कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पायेगी। उनके दल के नेता या प्रतिनिधि इसमें थे। उनसे विचार-विमर्श कर लें ताकि जो सब लोगों की सहमति से तय हो गई है उसको क्रियान्वित करने में बाधा उपस्थित न हो।

मांग संख्या ५०

(विराम)

स्थगन प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे में कहा था, मैं इतना प्रेस नहीं करता पर ··

श्री अध्यक्ष: आप समय देते तो जानकारी प्राप्त करके उत्तर दिया जाता। मैंने निवेदन किया कि इस पर व्यवस्था दे दी जायगी।

जोधपुर फिजीकल एजुकेशन संबंधी

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जोधपुर फिजिकल एज्युकेशन कालेज के बारे में निवेदन किया था तो मन्त्री महोदय ने १५ दिन में सदन मे रखने को कहा था।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने १५ दिन के अन्दर ही उसका लिखित रूप में, जो इन्क्वायरी और जांच हो चुकी है, उसका लिखित में माननीय सदस्य को पेश कर चुका हूं।

श्री रामकिशन : आपने सदन में रखने को कहा था ।

श्री अध्यक्ष : मैं बता दूं । सदन के समक्ष इसलिये जानकारी पेश नहीं की जा रही है कि गृह विभाग ने कुछ सुझाव दिये है, सरकार का दूसरा विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, इसको जानने के सम्पर्क में हैं, वह निर्णय दे देंगे तो पूर्ण रूप से आपको उत्तर दे दिया जाय, इसके लिये रोक रखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इस अधिवेशन के स्थगित होने से पहले सूचना दे दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोशिश की जायगी ।

मांग संख्या २७, ४४, ३, २८ व ४६–
सार्वजनिक निर्माण कार्य, सार्वजनिक
निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत,
गाडियों पर कर इत्यादि

(१२.७ म. प.)

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २७–

मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य,

मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सडक (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय ।

मुख्य शीर्षक ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४६,१४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२२,७७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाडियों पर कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०१,९०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ११४–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७०,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

मांग संख्या २८

Demand No. XXVIII, Major Head 57-Roads & Water Transport Schemes be reduced by rupee one (to discuss nationalisation of Road Transport and its complications to the harassment of the common citizens).

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :
मांग संख्या २७

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय, P. W. D. विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर बहस करने हेतु ।

श्री हरदत्त सिंह (नौहर) :
मांग संख्या ३

मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में १००) रु० की कटौती की जाय (गाड़ियों पर कर के रूप में डीजल को पेट्रोल की तरह treat करने की गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :
मांग संख्या २७

१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण, कार्य–भवन और सडकें (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय में १००) रु० की कटौती की जाय (बिल्डिंग, सड़क तथा बागात आदि में वर्क-चार्ज मजदूर कर्मचारियों के लिये सेवा निवृत्ति की व्यवस्था न होने पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने में विलम्ब करने पर बहस करने हेतु) ।

३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (निर्माण विभाग में अधिकारियों द्वारा वर्क-चार्ज तथा सुपरविजन चार्ज का ठीक से हिसाब न होने से धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर से दिल्ली तक राज मार्ग (नेशनल हाय-वे) के निर्माण में विलम्ब पर बहस करने हेतु)

५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य मे १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में इस विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान न देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४४

६. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १००) रुपये की कटौती की जाय (क्योंकि सरकार बेसिक एस. टी. सी.

(श्री मुरलीधर व्यास)
स्कूल बिल्डिंग सुजानगढ़ में कुए को पक्का बनाने पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में १००) रुपये की कटौती की जाय (सुजानगढ़ में सरकेट हाउस की बिल्डिंग बनाने में असफलता रही है पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २८

८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान रोडवेज की राष्ट्रीयकरण की असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा सु०):

मांग संख्या २७

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (गंगापुर से रामपुर तक सड़क पूरी नहीं होने पर बहस करने के लिये)।

श्री शंकरलाल (सादड़ी):

मांग संख्या २७

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सड़कें अधूरी होने, और काम की देख भाल न होने से धन का दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर):

मांग संख्या ३

१. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में १) रु० की कटौती की जाय (Vehicle) की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २७

२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य–भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय में १) रु० की कटौती की जाय (सड़कों और इमारतों के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २८

३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज मे अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रति किये जाने वालों अत्याचार सम्बन्धी विषय पर बहस करने हेतु)।

४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग में भ्रष्टाचार, गबन और पक्षपात संबंधी विषय पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज के कर्मचारियों के मोअत्तिली मामलों में व्याप्त अनियमितता, पक्षपात संबंधी विषय पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग में कर्मचारियों को ओवर टाईम भत्ता प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं म एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग में प्रमोशन संबंधी अनियमितताओं संबंधी विषय पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज में कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बंधी अनियमितता के बारे में बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग में गाड़ियों की असुरक्षा सम्बन्धी विषय पर बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं मे एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोड़वेज विभाग में श्रमिकों के वेलफेयर संबंधी विषय पर बहस करने हेतु)।

११. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोड़वेज में कर्मचारियों के प्रति दो प्रकार सेवा नियम के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

१२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग में वेतन स्तर सम्बन्धी विषय पर बहस करने हेतु)।

१३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज में श्रम नियमों के पालन में बर्ती जा रही धांधली के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

१४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोड़वेज विभाग के कर्मचारियों को अन्य प्रदेशों के ट्रान्सपोर्ट कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं प्रदान किये जाने के विषय पर बहस करने हेतु)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):
मांग संख्या ४६

१. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ११४–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान रोडवेज द्वारा ए० क्लास रूटों को शीघ्र राष्ट्रीयकरण न करने पर बहस करने हेतु)।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू):
मांग संख्या २८

१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (जिला जयपुर तहसील चाकसू में शीतला-मेला जो अभी हाल ही में लगा था उस पर यात्रियों के लिये विभाग द्वारा ठीक व्यवस्था न करने पर बहस करन हतु)।

मांग संख्या २७

२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण-कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (Aerodrom सांगानेर से Railway Station Sanganer तक सड़क की repair और डामर कराने पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १)रु० की कटौती की जाय (रेल्वे स्टेशन सांगानेर से ग्राम कुन्दनपुरा (रैगर बस्ती) तक नई सड़क बनाने पर बहस करने हेतु)।

४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (चाकसू से कोट-खावन्दा सड़क न बनने पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (फागी से चाकसू तक मीलों पर पुलिया व कलवर्ट व काज-वे न बनाने पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (टौंक रोड में से जो सडक का टुकड़ा ग्राम वाटिका तक है उसको repair कराने और उस पर डामर कराने पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (टोंक रोड में से जो टुकडा सडक का गोनेर तक है उस पर डामर कराने पर बहस करने हेतु)।

१. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) :

मांग संख्या २८

१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती की जाय (लक्ष्य की पूर्ति न होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४६

२. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ११४–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (योजनाओं की पूर्ति न होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३

३. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में १) रु० की कटौती की जाय (जो कर लगाये गये हैं उनकी वसूली में तथा निरीक्षण आदि में सुधार करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४४

४. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (इस मांग के अन्तर्गत कार्यों में जो पूंजी लगाई जा रही है उसके सही वितरण पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २७

५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अब तक आसीन्द तहसील को जिला व सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर को

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
सड़कों द्वारा नहीं जोड़ा इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़):
मांग संख्या २७

१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में जो सड़कें निर्माण हुई हैं उनमें क्षेत्रीय भावना व पक्षपात हुआ है पर बहस करने के लिए) ।

२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (बीदासर में मातृ सदन की बिल्डिंग दानदाताओं द्वारा बनाई गई है उसे अभी तक नहीं ली गई पर बहस करने के लिए) ।

३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (चुरू बीकानेर में जहां जहां सार्वजनिक मार्ग व सड़कें, रेल्वे लाइन पार करते हैं वहां क्रोसिंग की व्यवस्था न करने पर बहस करने के लिये) ।

मांग संख्या २८

४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर डिवीजन में जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४४

५. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (रतनगढ में एस. डी. ओ. कोर्ट के लिये भवन की कमी पर बहस करने हेतु) ।

६. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय बिल्डिंगों पर जो रुपये लगते हैं उन पर लगने वाले खर्च में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (कलक्टरेट चूरू की बिल्डिंग के निर्माण में घटिया सामान (निर्माण सामग्री) लगाई गई पर बहस करने हेतु) ।

८. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (दरीवा तहसील सुजानगढ में पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस की बिल्डिंग स्कूल के लिए किये जाने पर बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु. की कटौती की जाय (चूरू जिले में बीदासर आदि स्थानों म अस्पताल भवनों की सालाना मरम्मत नहीं हो रही है इस पर बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (चूरु जिले में सरकारी मकानों की मरम्मत

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
न होने के कारण जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं उनकी मरम्मत की कमी पर बहस करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

मांग संख्या ३

१. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में १) रु० की कटौती की जाय (गाड़ियों पर कर वसूली की दोष पूर्ण व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में १) की कटौती की जाय (रूटों पर परमिट देने का तरीका मनमानी और भ्रष्टाचार को बढाने वाला है इस पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में १) रु०की कटौती की जाय (R. T. A's. के पुनः निर्माण की ओर ध्यान दिलाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २७

४. Demand No. XXVII, Major Head 50-Public Works be reduced by rupee one (to discuss failure of the Government in maintenance of Ajmer District Roads).

५. Demand No. XXVII, Major Head 50-Public Works be reduced by rupee one (to discuss failure of the Government in laying roads during the Second Five Year Plan).

६. Demand No. XXVII, Major Head 50-Public Works be reduced by rupee one (to discuss inordinate delays in construction work).

श्री कुमारानन्द (ब्यावर):

मांग संख्या २८

१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में १००) रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज वर्कर्स यनियन जयपुर को मान्यता (Voluntary recognition) देने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में १००) रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट रोडवेज के कर्मचारियों को १९६२–६३ के मुनाफे में बोनस देने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २७

३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान पी. डब्ल्यू. डी. वर्कर्स फैडरेशन से हुए समझोतों को लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (P.W.D. में स्पेशल स्टाफ की Category के कर्मचारियों का फिक्सेशन न करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (विभाग के राजकीय क्षेत्र के कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए नियुक्त समिति में

(श्री कुमारानन्द)
राजस्थान पी. डब्ल्यू डी. वर्कर्स फैडरेशन का प्रतिनिधि न लेकर सिर्फ अजमेर डिवीडन पी.डब्ल्यू. डी. एम्पलाइज यूनियन का प्रतिनिधि लेने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० कटौती की जाय (कोटा P.W.D. कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस देने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (संकटकाल की स्थिति में छटनी न करने के सर्वसम्मत त्रिदलीय प्रस्ताव का P.W.D. द्वारा उल्लंघन करने पर बहस करने हेतु)।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना):
मांग संख्या २७

१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य, १) रु० की कटौती की जाय (भवन निर्माण की शहर तथा ग्रामों के लिये राज्य सरकार की भिन्न प्रणाली पर करने के लिये)।

२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (सड़कों का जिलेवार सही वितरण न करने पर बहस करने के लिये)

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय):
मांग संख्या ४४

१. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १)रु० की कटौती की जाय (सिकराय से चाल चला घाटी वैर फतेह रोड व सिकन्दरा से गुडाचन्द्र जी सडक पर व भांडारेज से मेवाड़ी घाटी पर बहस करने हेतु)।

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा सु०)
मांग संख्या २७

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (कोटडा, सरूपगंज और उदयपुर से कोटड़ा, कोटड़ा से खैरवाड़ा की सड़कों का काम न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री गंगासिंह राठोड (जायल):
मांग संख्या ४४

1. Demand No. LLIV, Major Head 103-Capital Outlay on public works be reduced by rupee one (to discuss that the Government has failed to build client shed for civil and first class magistrate).

मांग संख्या २७

2. Demand No. XXVII, Major Head 50-Public Works—charges on building and roads (combined) Establishment and tools and plant be reduced by rupee one (to discuss that the Government has failed to build important roads in District Nagour).

श्री रामकिशन (वैर) :
मांग संख्या ४४

१. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार पर्यटन की उचित व्यवस्था करने में असमर्थ रही है इस पर बहस करने हेतु)।

Page No 40

(श्री रामकिशन)

२. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस भवनों के निर्माण पर पैसा नहीं लगाया जाये इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २८

३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं में एक रुपये की कटौती का जाय- (राजस्थान स्टेट रोडवेज की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३

४. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाडियों पर कर में १) रु० की कटौती की जाय (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहे हैं इस पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाडियों पर कर में १) रु० की कटौती की जाय (मोटर गाडियों का निरीक्षण ठीक से नहीं होता इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २७

६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय) सार्वजनिक निर्माण कार्यों की असंतोषजनक प्रगति पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले की सडकों की दुर्दशा पर बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में नई सडकें बनाने के लिये विवाद हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन सु०)

मांग संख्या २७

मांग संख्या २७—मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर जिले की सडकों की कमी एवं अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री अध्यक्ष: महारावल श्री लक्ष्मणसिंह !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७ के संबंध में, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यातायात राष्ट्रीयकरण विभाग में राष्ट्रीयकरण द्वारा किराया बढा है जहां कि घटना चाहिये, इसका गरीबों पर बुरा असर पडा है। आर. टी. ए., असिस्टेन्ट आर. टी. ए., इंस्पैक्टर्स, असिस्टैन्ट इंस्पैक्टर्स और मिकेनिकल इंस्पैक्टर्स के बीच में काम का संतोषजनक विभाजन नहीं है। फिटनेस सर्टीफिकेट दिये जाने बाबत रूल्स नहीं, फिटनेस सर्टीफिकेट दिये जाते समय भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश रहती है। विभाग के कर्मचारियों की तरक्की के संबंध में रूल्स बनने बहुत जरूरी हैं।

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

इस योजना पर १२५ लाख रुपये लग चुके हैं। कुल आय १-४-६० से ३१-३-६२ तक ४८ लाख हुई, खर्चा इस समय में २४२५ हजार हुआ है।

डेप्रिसियेशन इंट्रेस्ट, डेप्रिसियेशन इन्शोरेन्स ऑन केपिटल इन्स्ट्रेट १,३८४ हजार निकालते हुए गत वर्ष घाटा १२ हजार का हुआ है जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं कही जा सकती। अध्यक्ष महोदय, १-४-६२ से ३१-१२-६२ के आंकडे इस प्रकार हैं।

आय ६,५५७ हजार, खर्चा ३,००२ हजार, डेप्रिसियेशन, इन्शोरेंन्स, इन्ट्रेस्ट १,५०५ हजार। पीछे २,००५ हजार रुपया रहता है। इस २,००५ हजार के खिलाफ १९ लाख रुपये का प्रावधान शैड्स, टी-स्टाल्स, वाटर हाउसेज यूरिनल्स वगैरह बनाने का प्रावधान है। इस १९ लाख में से अब तक कितना व्यय हुआ है, सरकारी रिपोर्ट में पता नहीं चलता। परन्तु यदि इस संबंध में आय-व्यय के आंकडे देखे जायं तो करीब करीब गये साल जैसी ही स्थिति है और इसमें कोई विशेष उन्नति हुई नहीं पाई जाती। गये साल की सरकारी रिपोर्ट में उल्लेख था कि सरकार २००० बसेज खरीदने का विचार कर रही है। इस साल की रिपोर्ट में २५७ बसें होना बताया गया है, उनमें से १८ बसेज हैवी रिपेयर्स में बताई गई हैं। ३३९ बसें चालू हैं। गवर्नमेन्ट अब विचार कर रही है कि ७० बसें और चाहियें - इस हिसाब से ७० बसें यदि नई और खरीदी जायं और १८ बसें जो हैवी रिपेयर्स में हैं, उनको मिलाकर ८८ बसों की कमी बताई जाती है। नेशनेलाइज्ड रूट्स पर नेशनेलाइजेशन के पहले, अध्यक्ष महोदय, आज जो गाडियां चल रही हैं उनसे दुगुनी गाडियां चलती थीं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह कदम प्रगतिशील नहीं है, जनता के लिये सुविधा-जनक नहीं है।

३३९ बसेज हैं, वहां पर ८८ बसों की कमी कैसे संतोषजनक हो सकती है, यह एक स्पष्ट बात है। इसके अतिरिक्त जहां २५७ बसें अब चल रही हैं वहां पहले ५०० बसों से अधिक चालू थीं, उनका सरकार को इन्कम टैक्स, पैसेन्जर टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन स्प्रिट्स, मोटर पार्ट्स, रजिस्ट्रेशन आफ बसेज, ठेका बस, लाइसेंस फीस आदि से सरकार को क्या आय होती थी उसका कोई अनुमान सरकारी रिपोर्ट में नहीं है। साथ ही यदि प्राइवेट ओनर्स द्वारा इन रूट्स पर बसेज चलाई जातीं तो शैड्स, स्टाल्स, वाटर हाउसेज, यूरिनल्स आदि सरकार को नहीं बनाने पडते और इसके अतिरिक्त सरकार की जो जमीन क्रय होती, उसके द्वारा आय होती, इससे भी लाभ पहुंच सकता था।

मैं समझता हूं कि यह सिर-दर्द सरकार ने फिजूल अपने सिर पर लिया है और इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। रेल्वे जैसी पुरानी संस्था, यदि देखा जाय तो पहले के मुकाबले में आज रेल्वेज टाइम से नहीं चलती हैं, एक्सीडेन्ट्स ज्यादा होते हैं, रेल्वे स्टोर्स के अन्दर घोटाले ज्यादा होते हैं, चोरियां ज्यादा होती हैं, अनियमिततायें बढी हैं और नियंत्रण घटा है। तो रेल्वे विभाग जैसी पुरानी संस्था के अन्दर भी आज हम देख रहे हैं कि दिन-पर-दिन खामियां बढती जा रही हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये नवजात शिशु, नया निर्मित विभाग, राजस्थान सरकार विचार कर रही है स्थापित करने के लिये वह कैसे सफल होगा ?

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
इसके अलावा रिप्लेसमेन्ट का क्या होगा यह भी सरकारी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। रिफ्रैशमेन्ट भी शामिल है या नहीं, मैं यह भी जानना चाहूंगा। इसका भी सरकारी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंन्ट के लिये भी आखिर प्रावधान करना होगा कि सरकार किस प्रकार इस धनराशि को वापिस देना चाहेगी।

इस बारे में मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सफलता प्राप्त करने के बजाय सरकार भ्रष्टाचार को पनपायेगी और सरकार में और समाज में इस योजना के द्वारा कमजोरी आवेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकडे गंगानगर के संबंध में भी देना चाहूंगा। रोड टैक्स राजस्थान २५०) रु० पर क्वार्टर, उसके मुकाबले में गंगानगर जिले में ३१३.५० न. पै. पर क्वार्टर। रोड पैसेन्जर और गुड्स टैक्स राजस्थान के अन्दर १२०) रु० पर क्वार्टर, उसके मुकाबले में आर. एन. जी. डी. गंगानगर में १५०) रु०। इसके अतिरिक्त इन्टर-स्टेट ट्रांसपोर्ट, हमारी बसें पंजाब में जाती हैं वहां २०२) रु० पर–क्वार्टर और अधिकृत टैक्स पंजाब सरकार द्वारा लिया जाता है। पडौसी राज्यों की दरों में, मेरे खयाल से, सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिये सरकार विचार करेगी।

पैसेन्जर टैक्स वसूली के लिये आर. जी. टी. पी. टिकिट्स देने चाहियें जिस प्रकार सिनेमा में एन्टरटेनमेन्ट टैक्स दिये जाते हैं। जहां तक मुझे मालूम है यह व्यवस्था अन्य राज्यों में भी लागू की गई है और राजस्थान सरकार भी लाभ के साथ इस व्यवस्था को लागू कर सकती है।

बसेज में विशेष सफाई रखना, मेरे ख्याल में, आवश्यक है। कर्मचारियों का नम्रता से व्यवहार करना भी उतना ही आवश्यक है। इस योजना को तीन साल के लिये एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर अगर चलाया जाय, तीन साल के पश्चात् इस एक्सपेरिमेन्ट को सफल बनाने के पश्चात् आप इसका विस्तार करेंगे तब तो ठीक होगा अन्यथा इसमें भ्रष्टाचार बढेगा और जनता का हित नहीं होगा। आज इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव पी. डब्ल्यू. डी., ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के बारे में है।

मैं सबसे पहले डाइरेक्टोरेट आफ ट्रांसपोर्ट को कन्ट्रोल ऑफ कार्स के अन्तर्गत अधिकार दिये हैं उनका किस प्रकार मिस-यूज हुआ है उस पर गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सन् ५१ में डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट को अधिकार दिया गया था कन्ट्रोल आफ कारों के नियमों के अनुसार कि जो कारें, फियेट बाहर से आती हैं, स्कूटर बाहर से आते हैं; उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, गवर्नमैन्ट का फिक्स्ड कोटा होता है उसके अनुसार कारों का वितरण होना चाहिये तथा प्रायोरिटी में किसी प्रकार की चेन्जेज नहीं होनी चाहिये; यह एक अधिकार डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट को दिया गया था। अफसोस के साथ कहना पडता है कि इसका मिस-यूज किया गया है। गवर्नमेन्ट कोटे की कारें आयीं उनका प्राइवेट तौर पर वितरण किया गया है। कितनी ही वे कारें ५९ से आज तक इन्डीविजुअल ऑफिसर, मिनिस्टरों को दी गई या संबंधित अधिकारी हैं उनकी

(श्री विजयसिंह झाला)

समितियों को दी गई। ये नियम विरुद्ध हैं। गवर्नमेन्ट का कोटा है, गवर्नमेन्ट के इंस्टीट्यूशन्स को देना चाहिये। गवर्नमेन्ट की प्रोपरटी थी, यदि गवर्नमेन्ट को वह कोटा नहीं लेना था तो गवर्नमेन्ट विथड्रा कर सकती थी। ५९ से, मैं मानता हूं, काफी गवर्नमेन्ट को एलाटेड कारें इंडिविजुअल को वितरित की गयीं। सन् ६० में १२ एम्बेसेडर पब्लिक कोटे में से ली गयी जो नियम विरुद्ध थीं और पब्लिक के अन्दर जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उस पर आक्षेप किया गया कि चेन्ज नहीं होनी चाहिये थी। उसके बाद में जो कारें ली गई मिनिस्टरों द्वारा, तीन तीन दफा चेन्ज हुई। माननीय गृह मंत्री जी ने तीन बार कार बदलवायी। एक बदली, दूसरी बदली और तीसरी बदल ली। इसी प्रकार बरकतुल्ला साहब ने तीन बार बदलवाई है। कन्ट्रोल ऑफ कार के अन्तर्गत डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट को अधिकार दिया गया है लेकिन मनमाने ढंग से करते हैं। फियेट में ब्लैक मार्केट होता है। गवर्नमेन्ट कोटे से प्राइवेट लिस्ट में डिस्टर्ब करके कार ली गई, उनको मद्रास और कलकत्ता में बेचा गया। इस प्रकार की कारें दस पर्सेन्ट जयपुर में भी नहीं हैं।

आज से दस दिन पूर्व कागज मंत्री महोदय ने लिखा, मंत्री के साले को कार दिलवाई गई, पब्लिक लिस्ट डिस्टर्ब हुई। इस प्रकार अधिकारों का हनन हुआ। आगे होता रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास सारी लिस्ट मौजूद है ५९ से लेकर ६३ तक, किन किन आफिसर्स को कारें दी गई, किन किन मिनिस्टरों ने लीं और किन किन आफिसर्स ने लीं, मंत्री महोदय चाहें तो पेश कर सकता हूं।

इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग में सर्विस रूल्स नहीं बने हुए हैं। १९५९ से लेकर आज तक आश्वासन दिये गये, रूल्स बनाये जावेंगे, लेकिन आज तक रूल्स नहीं बने। रूल्स न बनने के कारण सीनियोरिटी लिस्ट तीन-चार बार बदलनी पड़ी। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की लिस्टें बनी। तीन बार बदली गई। एक रूप न बना, दूसरा रूप आ गया। स्पष्ट कारण है, जो रूल आपको बनाने चाहियें थे वे रूल्स आज तक नहीं बने और जिस किसी डिपार्टमेन्ट के रूल्स नहीं बनते हैं तो सर्विस के जो जनरल रूल होते हैं उनके अनुसार ही उनकी सीनियोरिटी फिक्स की जाती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके रूल्स बने नहीं, सीनियोरिटी जनरल रूल्स के अनुसार फिक्स करनी चाहिये थी, वह नहीं की। इसका कारण यह हुआ कि जो दरअसल पहले से सीनियर होने चाहिये थे उनको अधिकार नहीं मिला। उसके साथ साथ १९५१ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ५ ए. आर. टी. ओ. लिये गये। जब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उनको स्वीकृति दे दी तो आपके विभाग में स्वीकृति दे देनी चाहिये थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से तीन लिये गये, दो ए. आर. टी. ओ. की मंजूरी ही नहीं हुई। वे आज दिन तक काम कर रहे हैं—आसाराम और बल्देवसिंह, जो जोधपुर, बीकानेर ए. आर. टी. ओ. की जगह काम कर रहे हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंजूर नहीं किया। आपने नियमों के विरुद्ध ए. आर. टी. ओ. को लगा रखा है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूर सुदा नहीं हैं।

१९४९ से इंस्पेक्टर्स की सीनियोरिटी तय हुई थी उनमें से तीन इंस्पेक्टर्स को

(श्री विजयसिंह झाला)

ए. आर. टी. ओ. की जगह प्रमोशन मिलना चाहिये था। ए. आर. टी. ओ. को जिस आधार पर प्रमोशन दिया गया उसमें इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन दिया जाना चाहिये, दरअसल वे सीनियर थे और मैट्रिक भी थे। एक ओर यह कह कर रिवर्ट कर दिया जाता है कि मैट्रिक नहीं हैं और दूसरी तरफ मैट्रिकुलेट होते हुए भी उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता और दूसरों को दे दिया जाता है जो जूनियर हैं। इसलिये जब तक नियम नहीं बनेंगे तो जो पक्षपात चल रहा है उससे आपकी जो पोस्ट है उस पर लांछन पैदा होता है और वह हमेशा के लिये बना रहेगा।

अब मैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बारे में आता हूं। एक मोटर मालिक को पांच आॅथोरिटी से संबंध रखना पड़ता है-ड्राइवर, लाइसेन्स, टैक्सेशन लाइसेंस के लिये ट्रांसपोर्ट आॅथोरिटी के पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिये पुलिस विभाग में, सेल्स टैक्स में भी जाना पड़ता है। इस तरह से पांच विभाग में जाता है तब उस मोटर मालिक का काम होता है। मध्य प्रदेश और पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग एक विभाग है जिसमें सारी व्यवस्था बना रखी है। आप सेल्स टैक्स की बकायात को ही देख लीजिये, केवल उदयपुर जिले में अकेले में एक पार्टी में १.७५ हजार रुपया बाकी है। आर. टी. ओ. को जब यह कहा गया तो कहते हैं कि यह सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। इस तरह से यहां विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी पांच विभागों में बांट रखी है। जब तक ये पांचों काम ट्रांसपोर्ट विभाग में प्रबन्ध नहीं कर देंगे तो भ्रष्टाचार कदापि बन्द नहीं हो सकेगा।

इसके बाद में इकानामिक कट के अनुसार आपके विभाग में कटौती की गई है। सारी की सारी कटौती आर. टी. ओ. और ए. आर. टी. ओ. के आफिस में की है, उन आफिसेज में की है जो फोरमर राजस्थान में बने। जब कि उस समय १० हजार व्हिकल्स थे, आज इससे २५ लाख रुपया वसूल होता है। चालीस हजार व्हिकल्स हैं इसका एक करोड से ऊपर टैक्स होता है। इसी प्रकार आपको इसमें स्टाफ बढाना चाहिये। इकानामी कट आॅफिसर्स और स्टाफ में नहीं किया। डायरेक्टर के आफिस में कमी होनी चाहिये जहां चार आॅफिसर, १८ क्लर्क्स हैं, २२ चपरासी हैं। इस तरह से ४४ आदमी हैं वहां आपने कम किया होता। जिस के आॅफिस से तारीख २३ के अन्दर पचास कागजात गये, ९० रिसीव हुए। इस तरह से १४० कागज रोज जाते हैं, ४४ में उसको भाग दें तो साढे तीन कागज का अनुपात आता है। आप अन्दाज लगाइये, दस घण्टे के अन्दर ३॥ कागज निकालें तो यह क्या काम हुआ ?

डेढ साल का अर्सा हो गया, नये डाइरेक्टर साहब को आये, २८ अपीलें पेण्डिग थीं जिनमें ५ ही डिसाइड हुई, २३ अपीलें पेण्डिग हैं। आप देखिये डेढ साल के अन्दर केवल पांच अपीलें डिसाइड हुई हैं, जहां २३ अपीलें पेण्डिग हों वहां क्या काम हो सकता है ?

जहां तक कण्ट्रोलर आॅफ कार्स का काम है, उसके बारे में भी नियमानुसार कार्यवाही नहीं होती है। सेण्टर के कण्ट्रोलर ने इसके लिये आपका एक्सप्लेनेशन काल किया है वह इसलिये कि १९६१ के आर्डर में जो पब्लिक कोटा उठा लिया था वापिस डिलीवरी एलॉट कर देनी चाहिये थी लेकिन आज दिन तक आर्डर के

(श्री विजयसिंह झाला)
अनुसार उन गाड़ियों को पब्लिक कोटे में नहीं दिया ।

आपके विभाग के सेक्रेट्री का भी चीफ सेक्रेट्री ने एक्सप्लेनेशन काल किया है। पहले भी इसी प्रकार प्रायोरिटी लिस्ट में गड़बड़ी हुई, स्कूटर के बारे में भी गड़बडियां हो रही हैं वह नहीं होनी चाहिये । इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने मांगा है। उसके बाद में फ्लाइंग स्क्वेड बना उससे ६१-६२ में कितनी टैक्स की वसूली की है। ६२-६३ में आठ पर्सेन्ट भी टैक्स की वसूली नहीं हुई। इसका क्या कारण है। गाडी जो इसके लिये हैं वह तो डायरेक्टर साहब के काम आती है। अफसोस के साथ कहना पडता है कि जितना खर्चा फ्लाइंग स्क्वेड पर किया जा रहा है उतनी भी आमदनी वसूल नहीं हो रही है। जिस समय जयपुर और अजमेर रूट का नेशनेलाइजेशन हुआ था उस समय आश्वासन दिया गया था कि जयपुर के जो मोटर ऑपरेटर्स हैं उनके लिये जब कभी भी जयपुर जिले के रूट पर परमिट देने का सवाल होगा इनको प्राथमिकता दी जायगी। उनमें जयपुर के मोटर मालिकों को प्राथमिकता होगी। लेकिन आज वास्तव में प्राथमिकता दी जा रही है जोधपुर और दूसरे जिले को जब कि इस जिले के मोटर मालिकों को परमिट नहीं दिया गया ।

आर. टी. ए. में चार सदस्य होते हैं। बहुत सी जगहों पर तो सिंगल मेम्बर ही है। यहां पर तीन मेम्बर का रखा है जिसमें कभी भी कोरम पूरा नहीं होता, जो बाहर से आते हैं उनको बडी परेशानी उठानी पडती है। जयपुर में जो उनकी १२-१३ मीटिंगें हुई हैं उनकी रिपोर्ट देखी जावे तो पता चलेगा कि काफी आदमियों को हताश होकर जाना पडता है।

प्रमोशन के रूल्स न होने से ए. आर. टी. ओ. की जगह ९ साल रहने के बाद भी उनको आगे बढने का चान्स नहीं मिलता। आर. टी. ओ. आप दूसरे विभागों से लेते हैं जो टैक्निकल नॉलेज नहीं रखते। और वे दो साल यहां रहते हैं वापिस दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि दो साल रहने के बाद जब उस विभाग की थोडी बहुत जानकारी हो जाती है फिर भी पूरी टैक्निकल जानकारी नहीं होती, रूल्स की जानकारी नहीं होती। इस तरह से दो साल के बाद अगर वे अपने विभाग में या दूसरे विभागों में चले जाते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि वे दूसरे क्लर्क्स के हाथों का एक खिलौना रह जाते हैं। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। इंस्पेक्टर से ए. आर. टी. ओ., उसके बाद आर. टी. ओ., उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, डायरैक्टर इस तरह से प्रोमोशन मिलना चाहिये। यह न मिलने से नतीजा यह होता है कि ए. आर. टी. ओ. आर. पी. एस. में आ जाते हैं तो उनका स्थानान्तरण दूसरे विभागों में हो जाता है, उनको टैक्निकल नॉलेज होती है। दूसरे विभाग में नई ट्रेनिंग लेकर काम करना पडता है। आप इस कार्यालय की व्यवस्था ठीक प्रकार से क्यों नहीं बना सकते ?

अध्यक्ष महोदय, एक मोटर मालिक को पांच ऑथोरिटो के पास जाना पडता है। सुरक्षा कोष में जब चन्दा इकट्ठा किया गया तो मोटर मालिकों को पांच पांच जगह चन्दा देना पडा। मैं आपको उदयपुर जिले की

(श्री विजयसिंह झाला)

ही निवेदन करूं। आर. टी. ओ. साहब के पास टैक्स रिन्यू कराने गये तो २००) रु० दिया गया। एस. पी. के पास गये तो १००) रु० उनको देना पडा। कलेक्टर साहब के पास रजिस्ट्रेशन के लिये जाते हैं ५०) रु० उनको देने पडते हैं। इस तरह से पांच विभागों से इसका ताल्लुक पडता है तो पांच विभागों को अलग अलग रकमें सुरक्षा कोष में देनी पडती हैं। और उन सडकों का आप हाल देखें तो उन पर सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं करती। उन सडकों की हालत का आप ही अनुमान लगा सकते हैं। इसके बारे में हाई कोर्ट से दो केस डिसाइड हुए। इस प्रकार की सडकों का जब गवर्नमेन्ट किसी प्रकार भी मेन्टीनेन्स नहीं देती है तो गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह उस पर कुछ खर्चा करे। रोड टैक्स आप लेते हैं। उसके बाद में मोटर चलाने की आज्ञा देते हैं अगर आप उस पर खर्च नहीं करते हैं तो वहां मोटर ठीक हालत में नहीं चल सकती। इस बारे में आपको सोचना पडेगा। इसी प्रकार सडकें आप अपनी तरफ से मेन्टेन नहीं करते हैं और रोड टैक्स लेते हैं। तो आपको कुछ पर्सेन्टेज इस प्रकार सडकों पर खर्च करना चाहिये।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, कोरम कम मालूम होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय- मांग संख्या २७ के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को आमदनी मद बता देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बोर्डर के इलाके में इन्टर-स्टेट रूट्स हैं और ट्रक्स के तो सारे ही इन्टर-स्टेट हैं। मिसाल के लिये अब मैं पंजाब का जिक्र करूं। जालन्धर, अम्बाला, ये दो-तीन जगह ऐसी हैं जहां हमारे परमिट होल्डरों को काउन्टर सिग्नेचर के लिये जाना पडता है। इस काउन्टर सिग्नेचर के टेम्प्रेरी रूट के लिये ११७) रु० और परमानेन्ट रुट के लिये एक बार ११७) रुपया देना पडता है और उसको रेगुलराइज कराने में २०२) रुपया देना पडता है।

बम्बई, पंजाब और दिल्ली में भी हमारे परमिट होल्डरों को काउन्टर सिग्नेचर के लिये २०२) रु० फी रूट देने पडते हैं। पर हमारा राजस्थान का ट्रान्सपोर्ट विभाग इतना भोला शंकर है कि जो यहां बाहर के रूट होल्डर आते हैं उनकी गाडियों के काउन्टर सिग्नेचर की कोई फीस नहीं है। उनको एक पैसा भी नहीं देना पडता और सब मुफ्त में काउन्टर सिग्नेचर करते हैं। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे रूट होल्डरों से दूसरे राज्यों के लोग चार्ज करते हैं काउन्टर सिग्नेचर के लिये तो हमारे यहां भी काउन्टर सिग्नेचर के आप चार्ज क्यों नहीं लेते ? कम से कम जितना वे लेते हैं उतना तो लेना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक उदाहरण मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। रीजनल ट्रान्फपोर्ट कमेटीज हैं जो परमिट इश्यू करती हैं। उनका काम करने का कोई सिस्टेमेटिक तरीका नहीं है। मिसाल के लिये बीकानेर में आज से छः माह पहले जो रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें नौहर-भादरा, टू-हिसार के लिये जो विज्ञप्ति निकली वह दो

(श्री हरदत्त सिंह)

रूटों के लिये थी, पर जो मन्जूर किये गये वे तीन थे और इसमें भी कानूनी खामी रह गई तो केंसिल हो गये वे । इसके बाद पिछली १७ मार्च को उस रूट को केंसिल करने के लिये फिर कमेटी की मीटिंग में फैसला किया और इस बार जब कि राज-पत्र में इसका कोई हवाला नहीं था। जो सूचना उसकी निकाली कोई संख्या उसमें निर्धारित नहीं थी और जब मंजूर किया तो सात रूट लोगों को दे दिये। इस तरह से दो के लिये निर्धारित था और सात हो गये। यह भी हर्ज की बात नहीं। आप सात के बजाय सात सौ करते। पर हमारी सरकार जो नारा लगाती है कॉपरेटिव का और फौजी भाइयों की इमदाद देने का, तो मैं मादरा टू हिसार रूट का ही हवाला देता हूं। इसके लिये सिर्फ एक मात्र फौजी संस्था है जिला गंगानगर में और वह भी कॉपरेटिव बेसिस पर। उसका नाम है भूतपूर्व फौजी सिपाही ट्रान्सपोर्ट कॉपरेटिव सोसाइटी, भादरा। उसने भी इस रूट के लिये सप्लाई किया पर उसको कोई रूट नहीं दिया गया। जब कि सात रूट खुले हाथों से बांटे और सब अलग अलग व्यक्तियों को दिये—यह सरकार की कथनी और करनी का अन्तर है। न सरकार कॉपरेटिव को बढ़ावा देती है न फौजी भाईयों की संस्था को। सरकार इस पर ध्यान दे। और इनको कुछ रियायत दे।

(बीच में उनका भाषण समाप्त समझकर अन्य सदस्य बोलने खड़े हुए तो)

मेरी पार्टी का अभी बहुत टाइम बाकी है। आप खड़े क्यों हो रहे हैं? आपका कोई पॉइन्ट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंडी के निर्माण के बारे में भी मैं निर्माण मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ज्यों ज्यों नहरों का विकास होता जाता है और उद्योग बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों मंडियों का महत्व बढ़ता जाता है। पर आम चुनाव होने को १२ महीने से ऊपर हो गये पर गंगानगर जिले की मंडी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके सेक्रेट्री ने बिना उन मेम्बरों को सूचना दिये ही मंडी के प्लाटों को नीलाम किया। पर अब वह भी रोक दिया। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वे सम्बन्धित विभाग को यह हिदायत जरूर करवाएं, अगर वे हमारी सलाह नहीं लेना चाहते तो न सही, पर कम से कम हमें सूचना तो दे दें कि मंडी कमेटी के प्लॉटों का नीलाम हो रहा है।

मंडी कमेटी के प्लॉटों की नीलामी मैंने देखी है। सारी मंडियों के नीलामी के आंकड़े भी देखे हैं। कोई भी प्लॉन दुकान का ८ हजार से कम में नहीं गया। फिर उसके बनाने में १५ हजार से कम नहीं चाहिये। इस तरह २४-२५ हजार रुपया एक दुकान पर खर्च करना एक मामूली दुकानदार के बूते के बाहर की बात है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मंडी में कुछ एरिया ऐसे परचूनी छोटे दुकानदारों के लिये सस्ते दामों में दिलाने का प्रबन्ध कराया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : On a Point of Order, Sir, यह मंडी कमेटी जो है। that does not fall within the perview of the Roads Sector at all.

श्री अध्यक्ष : किसी भी मांग में नहीं आती।

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी सडकें जो हैं That are not within this Section. That is under the Mandi Committee.

श्री हरदत सिंह : मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

तो मैं कह रहा था कि अगर इन प्लॉटों का का १।३ हिस्सा गरीब मोचियों, रेगरों आदि छोटे व्यवसायियों के लिये मुकर्रर होता तो आम लोगों को फायदा होता । कम से कम कॉग्रेस के नेताओं को जरूर होता ताकि स्मग्लिग से भूखों मरते वे यहां आकर कोई धन्धे में बैठते ।

मंडियों के विकास में देरी के कारणों में सडकें भी एक हैं । ये सडकें भी अधूरी पडी हैं । मिसाल के तौर पर अपने क्षेत्र के नोहर, मादरा और गोगामेडी का उदाहरण देता हूं जहां सडकों की मरम्मत अधूरी पडी है । इसका नतीजा यह होता है कि ज्यों ज्यों कृषि-कार्य का विस्तार हो रहा है त्यों त्यों उनके औजारों का, ट्रैक्टर आदि का भी विकास हो रहा है,; इनकी मांग बढ रही है । इनकी मरम्मत आदि का भी काम बढ रहा है और इनका इन कच्ची सडकों से गुजरना मुश्किल हो जाता है और जब आगे से उन्हीं सडकों पर ऊंट और माल की लदी बैलगाडियां सामने आ जाती हैं । अगर ये सडकें बना दी गई तो ये तमाम दिक्कतें रफा हो जावेंगी ।

तीसरी बात बताना चाहता हूं कि जो सर्किल्स का निर्माण किया गया है वह भी किन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित नहीं हैं । छः सर्किल्स सार्वजनिक निर्माण विभाग के सारे राजस्थान में हैं । उदयपुर सर्किल में अकेले में १० करोड के करीब रुपया जो कि सारी लागत का १।३ हिस्सा है, खर्च हो जाता है । जब कि उसके मुकाबले में दूसरे सर्किलों में बहुत थोडा खर्च होता है । और इससे तो एक ही नीति मालूम होती है कि जिस सर्किल में प्रभावशाली मन्त्री महोदय होते हैं तो उसमें ज्यादा खर्च हो जाता है और जिस सर्किल की तरफ से किसी के मन्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो उसको अधिक नहीं मिलता । मिसाल को लिये जब रामचन्द्रजी मिनिस्टर थे तो गंगानगर के लिये थोडा बहुत खर्चा हो भी गया, नहीं तो बीकानेर के सर्किल में बहुत थोडा खर्चा इस मामले में हुआ है ।

और इन सर्किल्स के निर्माण में एक गडबडी यह भी है, मैं आपसे अर्ज करूं, जैसे कोटा सर्किल है उसमें सिढी डिविजन, मंडी कोटा डिविजन, टोंक डिविजन और झालावाड डिविजन–ये चार डिविजन आपने कायम किये हैं । जिनमें से कोटा मंडी डिविजन तो बिल्कुल बेकार है । उसके पास कोई खास काम नहीं है । इसमें जो रुपये खर्च होते हैं वे आपके ज्यादा खर्च होते हैं । मेरा मतलब आलोचना के लिये नहीं है । मैं तो आपके फायदे के लिये ध्यान दिलाता हूं जिससे कि फालतू खर्चा न हो और दूसरों को भी हिस्सा मिल जाय । इसी तरह से अजमेर का छोटा सा डिविजन है उसमें भी २ सेक्शन हैं । मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि वहां के दो मंत्री हैं इसलिये शायद दोनों में सिमिलेरिटी लाने के लिये दो डिविजन बना दिये हैं । लेकिन यह नहीं होना चाहिये, एक डिविजन अजमेर के लिये काफी होगा । यही हालत जोधपुर की है । वहां पर चार डिविजन बना दिये गये हैं । वहां का सिरोही डिविजन बिल्कुल बेकार है । उस डिविजन के जितने ऑफिसर्स हैं वे जोधपुर में बैठे रहते हैं । वहां के मंत्री तीन हैं, इसलिये वहां भी तीन ही डिविजन रखे जावें तो काम बडी योग्यता से होगा और आपको बचत होगी ।

रोड के लिये मैं थोडा सा ध्यान दिलाना

(श्री हरदत्त सिंह)
चाहता हूं। पिछले दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग का आदेश हुआ कि १० पर्सेन्ट से जिन सडकों का काम कम हुआ है उन सडकों का काम रोक दिया जाय। इससे राजस्थान सरकार को लाखों रुपयों का घाटा होगा। मैंने देखा है उनको। उन पर डाली गई मिट्टी और कंकड सब बेकार हो गया है, हालांकि इस परिधि से बाहर है, लेकिन ध्यान दिलाता हूं, राष्ट्रीय हाइवे बीकानेर से दिल्ली जाती है, वह आपकी परिधि से बाहर है, होली के दिन मैं जीप से उस पर से जा रहा था तो बडे बादल घिर आये थे, वे गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। किसी साथी ने पूछा कि बिजली क्यों चमकी तो मैंने कहा आंधी से सडक पर की मिट्टी और कंकड उड गये, आज बिजली चमकने के टोर्च से यह देखा जा रहा है कि कहीं और तो मिट्टी-कंकड बाकी नहीं बच गये हैं। इन सडकों पर डाले गये कंकड और मिट्टी उड कर कहीं चले गये और कहीं रह गये हैं तो मोटर ऑपरेटर्स उनसे बच कर चलने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बचें तो कहीं अगले दिन उनके टायर साफ न हो जावें। इस ओर ध्यान दिलाने का मतलब यह है कि या तो सडक का काम शुरू ही न करें और अगर शुरू करते हैं तो उसको पूरा करें, मिट्टी और कंकड डालने के बाद उसको अधूरा नहीं छोडें। अगर अधूरा छोडेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा सो होगा ही लेकिन मोटरों, ऊंटों और गायों को तकलीफ होगी और मोटर ऑपरेटर्स को तो वह रास्ता आपके लिये नहीं लेकिन उनके टायरों की रक्षा के लिये छोड कर दूसरी तरफ से जाना पडेगा।

मैं सडकों के लिये क्या बताऊं, ३५ लाख रुपये रावतसर से सरदारशहर सडक के लिये सेंक्शन हुए थे उनमें से १७ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन अफसोस के साथ निवेदन करना पडता है कि उस सडक का एक तिहाई हिस्सा भी नहीं बना है। खर्चा एस्टीमेट के आधे से भी ऊपर चला गया। या तो एस्टीमेट गलत है या काम में गलती है इसको सुधारें। इसी तरह से बीकानेर से छत्तरगढ एक रोड है जो बोर्डर की रोड है, अहम रोड है उस पर ६ लाख रुपये सेंक्शन्ड थे उनमें से ६१-६२ के साल में ६२,३१९ रु० खर्च हुए, दूसरे साल का प्रॉविजन था ३ लाख का लेकिन उसमें से सिर्फ ५ हजार रुपये खर्च हुए और, माननीय अध्यक्ष महोदय, म आपकी मार्फत मंत्रीजी से दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पांच हजार रुपये आपने सडक पर लगाये उसके बजाय तो आप किसी गौशाला में भेजते तो सांड तो पलते। वह पैसा किसी काम नहीं आया, वेस्ट गया...

एक माननीय सदस्य : कहां चला गया ?

श्री हरदत्त सिंह : मिट्टी डाली, आंधी ले गई। मैंने पहले ही कहा था पुनरावृत्ति क्यों करवाते हैं ? इसी तरह एक सडक छत्तरगढ से अनूपगढ की है। ११ मील लंबी सेंक्शन हुई, १ लाख ७० हजार रुपये खर्च हुए और मैं मंत्रीजी से अदब के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत प्रार्थना करूंगा कि वे एक बार उस सडक पर हो आवें तो आपको खुद को मालूम होगा कि १ लाख ७० हजार रुपये बिल्कुल बेकार गये, सडक नाम की वहां कोई चीज नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सडक शुरू ही न करें और अगर शुरू करें तो डामर डालने तक अधूरी न छोडें। अब उसके लिये ज्यादा नहीं कहता हुआ आपके बजट एस्टीमेट्स के पृष्ठ १७१ की ओर मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें ६८,५००) रु० एक लोक-अप बिल्डिंग सब-जेल भादरा के लिये दर्ज है। मुझे अफसोस के साथ अर्ज करना पडता है कि भादरा

(श्री हरदत्तसिंह)

में कोई सब-जेल है ही नहीं, तो वहां लोक-अप के लिये खर्चा कैसे होगा, यह ध्यान दें। इस तरह की सब-जेल नोहर में है, मादरा में है ही नहीं, लेकिन बजट एस्टीमेट्स में दर्ज है अगर यह क्लेरिकल मिस्टेक है तो दूर करिये और अगर रुपयों की खयानत हुई है तो खानेवालों को ढूंढ लिया जाय। इसके अलावा एक पुलिस चौकी के लिये ६२,५००) रु० सेंक्शन्ड हैं, लेकिन उसके खर्चे का कोई प्रावधान नहीं है। क्या अब चौकी की जरूरत नहीं रही या पाकिस्तान ने आपको आश्वासन दे दिया है कि खतरे की बात नहीं है या जो अभी पकडे गये पार्टी के लोग, उनका डर था वह मिट गया इसलिये जरूरत नहीं, क्या कारण हुआ, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं एक और काबिले रहम बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बीकानेर में डूंगर कॉलेज की पहले से, पुराने राजाओं के वक्त से इमारत थी जो पोली-टेक्निक को दे दी गई और डूंगर कॉलेज के लिये ६ लाख रुपये लगाकर बिल्डिंग आपके विभाग द्वारा बनाई गई और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस ६ लाख की लागत की इमारत में ६ मोटी-मोटी कमियां हैं। इसमें कोई कॉमन रूम नहीं है, कोई हौल नहीं है, इसमें प्रोफेसरों के लिये कोई कमरा नहीं है, इसमें साइन्स की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें मोटरों साइकलों के लिये कोई स्टेन्ड नहीं है। और मैं क्या बताऊं इसके काफी कमरे क्रेक हो चुके हैं, आप इसकी जांच करवा सकते हैं। इसकी हालत को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि इसके पैसों से या तो मसाला लगाने में गड़बड़ हुई है या कोई और गड़बड़ हुई है। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मांग करूंगा कि इस तरह की संस्थाओं में इस तरह का घोटाला हो तो उसकी जांच करवानी चाहिये। उसके निर्माण में कोई टैक्निक नहीं है, किसी एक्सपर्ट ने डिजाइन नहीं बनाया है, कोई डिजाइन नहीं है। जहां साइन्स की क्लासेज हों और उसके लिये प्रयोगशाला नहीं बनाई जाय जब कि साइन्स का यह नियम है कि प्रयोगशाला जरूर बननी चाहिये। या तो आपने विश्व विद्यालय से छूट ले ली है कि मौखिक ही ज्ञान दे दिया जाय, प्रयोगशाला न बनावें—तब तो बात दूसरी है वरना इसका नतीजा कितना बुरा होगा और कितने विद्यार्थियों का जीवन जाया होगा आप यह स्वयं सोच सकते हैं।

एक बात और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अर्ज करूंगा कि मैंने पी० डब्ल्यू० डी० में जो करप्शन की मां है उसको ढूंढ निकाला है और मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इस करप्शन की मां को अगर अपने विभाग से दूर करने की चेष्टा करें तो यह कालिख आपके विभाग से दूर भाग जायगी। वह यह है कि जो भी सार्वजनिक निर्माण के काम आप ठेके पर देते हैं वह काम किसी वजह से मजबूरी के कारण ठेकेदार पूरा नहीं कर सकते, निश्चित अवधि में और उसकी हालत देखते हुए आपको निश्चित तौर से एक्सटेन्शन देना पड़ता है और इस एक्सटेन्शन की आड़ में आपके विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक ठेकेदार ने सांगरिया से सार्दुलगढ़ सडक का ८ मील का ठेका लिया और २ मील पर चिमनी भट्टे का ठेका साथ में दिया गया।

(१.४ म. प.)

तीन भट्टे उसको सरकार द्वारा मिल गये, लेकिन ६ से लेकर ८ मील का टुकडा था उसके लिए आपके विभाग ने उसको

(श्री हरदत्तसिंह)

कोई चिमनी भट्टा नहीं दिया, चिमनी भट्टा प्रदान नहीं किया। नतीजा यह हुआ, इस मजबूरी की वजह से उसको कुछ देरी हुई। उस गरीब को अपने पिछले चिमनी भट्टों से माल ढोकर लाकर सड़क का काम पूरा करना पड़ा। उसने वह काम पूरा कर दिया, लेकिन उसकी एवज में उसको क्या मिला? उसको मिलनी चाहिए, इतनी दूरी से लाने की ढुलाई लेकिन ढुलाई के बदले वहां के एस. डी. ओ. ने कहा, देरी हो गई है कुछ भेंट पूजा होनी चाहिए। ठेकेदार जब इन्कार हो गया और कहा, इसमें कैरेज मिलना चाहिए उल्टा, तो उस पर १।२ पर्सेन्ट की पैनल्टी लगाई। वह आगे गया कागज लेकर तो वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब थे, उन्होंने उसको बढ़ा कर १ पर्सेन्ट कर दिया। फिर आगे गया तो आप के एस. ई. साहब हैं, उन्होंने बढा कर १-१।२ (डेढ पर्सेन्ट) कर दिया पैनल्टी को। फिर जयपुर आया, तो आपके एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने बढा कर दो पर्सेन्ट कर दिया। मैंने कहा, "और दौड लगाओ"। उसने कहा कि चीफ साहब के पास जाऊंगा तो पैनल्टी आठ पर्सेन्ट हो जायगी। इस तरह से पैनल्टी बढती जा रही है। ऐसे मामलों पर आप गौर कीजिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं साबित कर सकता हूं कि नहर और पी. डब्ल्यू. डी. में आपके हर एक काम में चौदह पर्सेन्ट ठेकेदार से लिया जाता है मां का दूध कह कर। उसको आप और हम रोक नहीं सकते, कोई ताकत नहीं है उस मां के दूध को रोकने की। इसलिए जो एक्सटेंशन पीरियड है, इसको आप दूर कर दीजिये, तो आपकी महरबानी होगी।

इसके बाद मैं एक और अर्ज कर देता हूं, हमारी तरफ ध्यान न दें, हम तो बहुत दूर पडते हैं और बीकानेर का हमें कोई खुशकिस्मती या बदकिस्मती से फुलफ्लेज्ड वजीर नसीब नहीं हो सका है, लेकिन कोटा और झालावाड तो आपका खुद का है। कोटा से झालावाड सडक जाती है, उसके अन्दर कलवर्ट हैं, दो तीन वे बिलकुल खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आप खुद देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो मेरे कहने से आप जरूर देख लें। कोटा से झालावाड को सडक जाती है, उसके दोनों कलवर्ट खत्म हो गये हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि दिये तले अंधेरा। लेकिन आज बिजली का युग है इसलिए अंधेरा नहीं है। इसको हटा दीजिये।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक रूट मेरे क्षेत्र में भादरा से सरसा को जाता है। सरसा एक अहम मंडी है, पंजाब के अनाज की सबसे बडी मंडी है। सरसा मंडी से एक सडक जाती है फारिगगढ, जिसका वर्क चल रहा है। इसमें सरसा से भादरा का कनेक्शन करना लाजिमी है। सरसा (राजस्थान) से कनेक्शन मिलाने के लिए पंजाब सरकार ने सरसा से भादरा के लिए सडक बनाई, चौदह मील के टुकडे पर काम कर दिया लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने सरसा से भादरा को न मिला कर सरसा से नौहर को मिला दिया। वह सडक बनाते हैं नौहर से.....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : जकार्ता?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं, नहीं । दूसरी जगह है वहां बन रही है ।

श्री हरदत्तसिंह : वे जहां सडक बनाते हैं वहां हम नहीं बनाते हैं और हम बनाते हैं वहां वे नहीं बनाते हैं । इस पर ध्यान दें । यही अर्ज करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण, रोडवेज और इर्रीगेशन–ये कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर हमें बहुत गम्भीरता से सोचना है । खास करके आज के युग में, समाजवाद के युग में–जब प्राइवेट सेक्टर को बहुत महत्व दिया जाता है वहां प्राइवेट सेक्टर का काम ऐसा होना चाहिये जो दूसरों के लिए आदर्श हो सके और जिससे दूसरे प्रेरणा ले सकें । इसके साथ ही साथ जो हमारा बजट है, जिस बजट को हमने सुरक्षा का बजट कहा है और सुरक्षा के आधार पर हमने सारा प्लान बनाया है, प्लान में कुछ परिवर्तन किये हैं, कुछ चेन्जेज की हैं, उस आधार पर मैं कहता हूं कि कुछ सोचना भी चाहिये । मैं सबसे पहले कुछ सीमा के पास की परिस्थिति के बारे में कहूं । सुरक्षा के सम्बन्ध में सीमा पर कहां कहां पर कितनी जल्दी सडकें बनानी चाहिए और उसकी व्यवस्था होनी चाहिये–यह आज इस समय जबकि हमने सुरक्षा की बात कही है, ऐसी बात बजट में आती कि इस वजह से इस काम को जल्दी कर रहे हैं तो मैं समझता कि सुरक्षा की तरफ, जैसा हमारी सरकार कहती है वैसा ध्यान देती है । मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं सडकों के सम्बन्ध में कि जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है–इन डिस्ट्रिक्ट्स को परस्पर इस प्रकार जोडना चाहिये जिससे सीमा पर कहीं पर किसी प्रकार की कोई परिस्थिति हो जाय तो वहां पर हम बहुत जल्दी से जल्दी एक दूसरे को सहयोग पहुंचा सकें । गंगानगर की सडकों के बारे में अभी हमारे भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बीकानेर को गंगानगर से जोडना औद्योगिक दृष्टि से उचित है । जब गंगानगर इतना आगे बढ रहा है इन्डस्ट्री पोइन्ट ऑफ व्यू और दूसरे पोइन्ट ऑफ व्यू से, तो यदि बीकानेर को उससे नहीं जोडते हैं तो औद्योगिक लाभ बीकानेर को किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता है । हमने सबसे पहले निर्णय लिया था, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कि हम एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जोडेंगे । उसके बाद फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चला गया, सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान चला गया, थर्ड फाइव ईयर प्लान चल रहा है, इस प्लान में लूणकरणसर से लेकर बीकानेर तक सडक बना दी और लूणकरणसर से सूरतगढ तक जो सडक बनी है उससे आगे जाकर गंगानगर जुडा हुआ है......

(१.०९ म० प०)

[श्री हरदत्तसिंह के यकायक अस्वस्थ हो जाने–– अचेत हो जाने से–– श्री मुरलीधर व्यास का भाषण कुछ क्षण तक बन्द रहा]

तो मैं अर्ज कर रहा था, जब लूणकरणसर सडक बन चुकी है और उधर गंगानगर से सूरतगढ तक सडक है । ऐसी हालत में सूरतगढ से जोडा जाता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को और गंगानगर हैडक्वार्टर

Page No 53

(श्री मुरलीधर व्यास)

को जोडा जाता है। यह सिर्फ चालीस मील का टुकड़ा है और उसको आज औद्योगिक दृष्टिकोण से, दूसरे विकास के दृष्टिकोण से और गंगानगर का इलाका सीमा क्षेत्र में पडता है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोडना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसको जोडा जाना चाहिये। दूसरे जो कुछ काम ऐसे हैं, जैसे हिन्दूमल कोट से लेकर यह जो गंगानगर है--इसको ब्रोडगेज से जोडने के सम्बन्ध में कई दफा आपके सामने यह बात रखी गई है। और राज्य सरकार ने इसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया था कि हम उस सीमा तक श्रमदान के द्वारा उस काम को पूरा करा लेंगे। उसके बाद श्रमदान की मदद न होने की वजह से ब्रोडगेज नहीं बनता है तो उसकी जिम्मेवारी उस विभाग की है। हिन्दूमल कोट से गंगानगर को ब्रोडगेज से जोडने का आश्वासन यह विभाग दे चुका है। अब इस आश्वासन की पूर्ति आप नहीं करते हैं इस वजह से यह जो ब्रोडगेज है वह नहीं बन रहा है। उसके बारे में भी मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हिन्दूमल कोट से ब्रोडगेज के सम्बन्ध में जो कुछ भी निर्णय है वह आपकी सरकार की कमजोरी की वजह से है और काम पूरा नहीं हो रहा है। यह निर्णय भी आपको करना चाहियें।

तीसरी बात यह है कि बीकानेर शहर में ब्रिज का कन्सट्रक्शन करना है, इससे यात्रियों को तकलीफ होती है। इसके सम्बन्ध में भी आप विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। इसका निर्णय भी ५-१० वर्षों से पडा हुआ है। इसके सम्बन्ध में भी आपको घोषणा करनी चाहियें कि जल्दी से जल्दी यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

एक बात मैं नेशनल हाई वेज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो जयपुर से बीकानेर को सम्बन्ध करने का प्रश्न है। उसके सम्बन्ध में कई बार कहा जा चुका है और इसको बीकानेर से जयपुर को जोडना चाहिये। आप बीकानेर को नेशनल हाई वेज द्वारा दिल्ली से जोडने की बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि डूंगरगढ से बीकानेर पर आप चले जावें तो आपको मालूम होगा कि आपका कितना सामान सडकों को बनाने के लिये डाला हुआ पडा है और बेकार जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि सडकों का निर्माण नहीं हो रहा है इसलिए काम करना चाहिये।

दूसरा, सुजानगढ के अन्दर जैसा मेरा कट मोशन है कि वहां पर बी० एस० टी० सी० की बिल्डिंग है और वहीं पर सर्किट हाउस भी है। आपको चाहिये कि बच्चों की पढाई का नुकसान नहीं हो और छात्र पढ सकें इसके लिये सर्किट हाउस को वहां से हटाया जाए। इसलिए आपको इसके सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेना चाहिये। दूसरी बात यह कि वहां पर उसी स्कूल में एक कुंआ है उसको पक्का कराना चाहियें। मीठा पानी वहां निकलता नहीं है। एक मीठे पानी का कुंआ है उसकी खुदवाई हो चुकी है उसको पक्का कराने का काम भी आपको बहुत जल्दी करना चाहिये। यह तो मैंने इस सम्बन्ध में आपको बताया।

अब मैं रोडवेज के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हम बसों का नेशनलाइजेशन करते हैं और इनका करना आवश्यक है। यह ऐसी समाजवाद की चीज है कि हमने इसी लिये माना है कि इससे पूंजीवाद और

(श्री मुरलीधर व्यास)

गरीबों के शोषण की समाप्ति होती है और काम करने वाले लोगों को इससे लाभ मिलता है और इससे हमारे देश को भी लाभ मिलता है । तो आम पब्लिक के हित के दृष्टिकोण से हम राष्ट्रीयकरण करते हैं और अगर उससे इस प्रकार के लाभ नहीं होते हैं तो नतीजा बुरा होता है । आपने एक रुपये का आपका खर्चा और १२ नये पैसे का मुनाफा बताया है उस आधार पर आपका काम चलता है, यह आपने बताया है; जबकि प्राइवेट और दूसरे लोगों का खर्चा ८ आना से १० आना मील होता है । वे लोग ८ आना से १० आना मील से ज्यादा खर्चा नहीं समझते हैं जबकि आपने १ रुपया का खर्चा माना है और दो आने आपको मुनाफे के मिलते हैं । इतना ज्यादा मिलने के बाद भी आज जनता को सुविधायें नहीं दे सकते हैं । आप कर्मचारियों को अच्छे ग्रेड नहीं दे सकते है । तो मैं समझता हूं कि आपके इसमें कहीं न कहीं जरूर कमी है । इसके लिये आप एक कमीशन बैठावें और जांच करावें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और रेलवे बोर्ड होते हैं उसी तरह से अपको इसके लिये भी बोर्ड बनाना चाहिये और काम चलाना चाहिये। आप कोई कोआपरेशन बना सकते हैं जिसके जरिये काम हो सकता है । उसमें पब्लिक के और दूसरे आदमी भी होंगे। यह बोर्ड ठीक तरह से देख रेख कर सकेगा ।

मैं यह कहूंगा कि आपके मजदूर जो इसमें काम करने वाले हैं वे बड़े असंतुष्ट हैं । आप अपनी योजना के अन्दर कहते हैं कि हमारा मेनेजमेन्ट कौंसिल होना चाहिये तो आपको Joint Management Council स्थापित करना चाहिये, जिससे मजदूर भी यह महसूस करेंगे कि कमी है तो उसको बतावेंगे और काम करने वाले भी कमी होगी उसको बतावेंगे। इसलिये आपको बुनियादी परिवर्तन करना चाहिये । अगर यह हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इससे लाभ होगा ।

दूसरा, इम्पलीमेन्टेशन कमेटी जो आपने बनाई है, आपको किसी यूनियन को रिकोग्नाइज करना है यह आपकी नीति साफ होनी चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम नीति की जो कुछ चर्चा हुई उसमें मैं नहीं जाना चाहता परन्तु किसको रिकोग्नाइज करना और किसको रिकोग्नाइज नहीं करना यह आपके हाथ की बात है । आप उसको रिकोग्नाइज करें जो आपकी हो और उसको नहीं करें जो सोसियलिस्टों की हो। यह नीति आपकी कामयाब नहीं होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी यूनियन अगर अच्छी तरह से काम करेगी तभी मजदूरों की सहानुभूति लेगी । और मजदूर उसी के साथ रहेंगे जो उनके काम करेंगे। आपका कर्तव्य इतना ही होना चाहिये कि जिस यूनियन की मेम्बरशिप ज्यादा हो उसको रिकोग्शिन देना है। इससे मजदूरों को न्याय मिलता है। जो उनकी सच्ची खिदमत करते हैं, उनकी चिट्ठियें लिखते हैं जो उनके (मजदूरों) के लिये लड़ते हैं और उनकी बातों को सामने रखते हैं उनके साथ मजदूर होते हैं । अब आप यह सोचने लगें कि दूसरी यूनियन जो मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, जो आपकी पाकिट यूनियन होगी मान्यता देंगे तो सरकार और मजदूरों को आपत्ति ही रहेगी । मैं समझता हूं कि इस मामले में आपकी नीति साफ होनी चाहिये। कोई यूनियन ऐसी चलावेंगे जिससे देश का हित न हो सकेगा इसलिये आपको उसी यूनियन को

(श्री मुरलीधर व्यास)
रिकोग्नाइजेशन देना चाहिये जो देश का हित करे और मजदूरों का भला करती हो।

वर्क्स कमेटी के निर्माण का प्रश्न है। वर्कस कमेटी आपके डिपार्टमेन्ट में नहीं है। आप जब दूसरों के लिये कहते हैं कि बनानी चाहिये तो फिर आप खुद अपने डिपार्टमेन्ट में क्यों नहीं बनाते हैं। आपकी इम्पलीमेन्टेशन कमेटी है उसमें रिकग्नाइज्ड मजदूर यूनियन है उनको मान्यता दें; केवल एक महिने पहले बनी हुई यूनियन को मान्यता न दें। मगर उसके बावजूद भी आप उनको देते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि हम सभी कानूनों का उलंघन करते हैं।

इस प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. वर्क्स के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके यहां निर्माण के कार्यों में बहुत घोटाले होते हैं। हम समझते थे कि ये राजा–महाराजाओं के समय में ही हुआ करते हों, ऐसी बात नहीं ह। आप राजा-महाराजाओं के समय के काम को देखें और आपके इस समय के काम को भी देखें तो आपको मालूम होगा कि उस जमाने के काम में और आज के काम में बहुत अन्तर है। उस समय काम बहुत मजबूत और अच्छे हुआ करते थे। हम लोग तंन्त्र इसलिये चाहते थे कि उस समय बहुत बुराइयां उनमें थीं। आज उस लिहाज से आपके यहां काम अच्छा होना चाहिये, मगर अच्छा काम नहीं होता है। आज डूंगर कालेज या दूसरे मैडिकल कालेज हैं वहां जितने भी कार्य हुए हैं उनकी जांच के लिये निष्पक्ष कमेटी बिठाई जावे जो घूम कर इसकी जांच करले और अपनी रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत तो बिल्डिंग इस प्रकार की हैं कि साल और दो साल में क्रेक हो गई। आखिर निर्माण का काम है। इस तरह अगर क्रेक हो जाते हैं तो यह देख-रेख करने वालों की गलती है। आप यह कहते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. बिल्डिंग बनाती हैं। यह क्रेक कैसे हो गया ? तो कहते हैं कि वर्षा होगई, इसलिए क्रेक होगये पुराने बिल्डिंग तो नहीं हैं सो क्रेक हो जांय।

(१.१९ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

फिर ये कैसे टूट गये। पहले भी काम होते थे। यह कमेटी बनावें जो अपनी रिपोर्ट दे। कितना नुकसान हुआ है और कितने वर्षों के लिये ठेका था और कितना नुकसान हमारा हुआ है।

अब वर्कर्स का सवाल है, पी. डब्ल्यू. डी. के वर्कर्स का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो वर्क चार्ज वर्कर्स होते हैं काफी तादाद में होते हैं। ये चाहे २० साल से काम कर रहे हों, १० साल से काम कर रहे हों या १५ साल से काम कर रहे हों, और बेचारे आपकी सेवा कर रहे हों, सेवा से निवृत्ति का इनका सवाल आता है तो २५ साल की सर्विस करने के बाद भी वह वर्क चार्ज ही रहता है और सेवा-निवृत्ति का आपका कोई कानून इनके लिये नहीं है कि २५ साल की सेवा के बाद वह सेवा से निवृत्त होता है तो उसको कोई पेन्शन, ग्रेच्युटी दी जाय। इनको किसी प्रकार की पेन्शन ग्रेच्युटी नहीं मिलती। एक मजदूर २० साल से

(श्री मुरलीधर व्यास)

काम करता है, हमारी सरकार तो कहती है कि वृद्ध आदमियों को भी अनिवार्य रूप से पेन्शन मिलनी चाहिए, वह तो दूर रहा जो आपका कर्मचारी है, जिसने सारी उम्र आपके पास काम किया है, उसको भी किसी प्रकार की पेन्शन, ग्रेच्युटी देने का आपके यहां नियम नहीं तो दूसरों के प्रबंध की तो क्या आशा की जा सकती है। वाटर वर्क्स, गार्डन, पी. डब्ल्यू. डी. और इसी तरह दूसरे विभागों में जो लोग वर्क-चार्ज पर काम करते हैं उनके लिये पेन्शन, ग्रेच्युटी के नियम बनाने चाहियें। अपने आदमियों के नहीं बना सकेंगे तो जब वह आदमी निवृत्त होगा उसके पास सिवाय भीख मांगने के और कोई चारा नहीं रहेगा।

दूसरे वर्क-चार्ज का सुपरविजन का काम होता है, सारे राजस्थान में उसका कोई हिसाब नहीं होता, कितना वर्क-चार्ज सुपरविजन हो जाय इसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता। जो भी हिसाब-किताब आ जाता है उसे आपको मान्य करना पड़ता है। मैंने राजस्थान में कई जगह देखा है, मैं अभी जैसलमेर गया, वहां इंजीनियर साहब का मकान बन रहा था उसमें पी. डब्ल्यू. डी. के आदमी काम कर रहे थे। मैं फोटो तो नहीं ले पाया पर स्पोट पर देखा कि पी. डब्ल्यू. डी. के आदमी जो रोड्स पर काम करते हैं वे ही इंजीनियर साहब के बंगले पर काम करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वर्क-चार्ज की ठीक ढंग से व्यवस्था करें। मौके पर जाकर जांच करें तो साल में दो तीन करोड़ रुपये की आपको बचत हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस पर आप अवश्य ध्यान देंगे।

पी. डब्ल्यू. डी. के लिये कमेटी बनाई है इस इरादे से कि मजदूरों के जल्दी फैसले होने चाहियें। तो इसमें आपको हर यूनियन के आदमियों को लेना चाहिये। इम्प्लीमेंन्टेशन कमेटी बनाओ तो पी. डब्ल्यू. डी. यूनियन के प्रेसिडेन्ट महावीरप्रसाद है उनको नहीं लेकर तीनों इण्टक के ले लें तो यह पक्षपात है। महावीर फेडरेशन का सेक्रेटरी है, उसको तो लेओ नहीं और अपने आदमियों को ले लो तो यह न्याय नहीं। यह तो एच. एम. एस. का है, यह सोशलिस्ट पार्टी का है, यह ठीक नहीं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जो आपके द्वारा रिकग्नाइज्ड यूनियन है उसके प्रेसिडेंट को तो लेओ नहीं और कोई कल यूनियन बनाये, उसको रिकोग्नाइज करके उसके आदमी को ले लिया यह तो न्यायसंगत नहीं पब्लिक सेक्टर में। इस तरह का रवैया रहा तो हमारा पब्लिक सेक्टर नाकामयाब हो जायेगा। तो आने वाला युग जिसके प्रति सभी आकर्षित हैं, जब कि सब उपयोगी कार्य पब्लिक सेक्टर में होंगे, सभी चाहते हैं कि धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर बढ़े तो उसमें यदि डेमोक्रेटिक फंक्शन नहीं रखेंगे, तानाशाही फंक्शन रखेंगे तो वह समाजवाद जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं कोआपरेटिव्स की मार्फत, पब्लिक सेक्टर की मार्फत ही वह आ सकता है उसको आप इस तरह से ताला लगा देंगे। आप इस पर ध्यान देंगे और बागात के मजदूर हों, चाहे और कहीं के हों, बाग के कर्मचारी सर्दी में बैठते हैं, उनको रात रात भर सर्दी में बैठना पड़ता है उनको वर्दी नहीं देते हैं, पहले बीकानेर में वर्दी मिलती थी, आपने बन्द कर दी, यह कोई अच्छा नहीं किया, इनको वर्दी मिलनी चाहिये। साथ

(श्री मुरलीधर व्यास)

ही सण्डे का पैसा बकाया है वह मिलना चाहिये। फिक्सेशन की ५१ में मंजूरी दी पर आज दस बारह साल हो गये आप उनको फिक्स नहीं करते। आप कहते हैं कि योजना में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। पर मैं पूछना चाहता हूं कि इनको आप फिक्स नहीं कर रहे हैं, ६० पर जिसकी तनख्वाह ८५ हो गई है, इसको फिक्स नहीं करेंगे, या इनके ग्रेड रिवाइज नहीं करेंगे, दो तीन रुपया सालाना तरक्की नहीं करेंगे तो आपके इन मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? इसलिये ग्रेड बढ़ा कर बराबर इन मजदूरों को सालाना तरक्की मिले इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये।

मुझे आशा है कि आप योजना के अनुसार काम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य में एक रुपया की कटौती करने का है। गंगापुर से रायपुर तक सड़क पूरी नहीं हुई है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जिला भीलवाड़ा तहसील गंगापुर, वहां आज तीन साल हो गये सड़क बन रही है। करेड़ा जाने वाली इसका काम बराबर चलता नहीं है और न वह सड़क पूरी हो पाई है। वहां का एरिया ऐसा है कि मैं खुद महसूस करता हूं कि सारे राजस्थान में रायपुर का एरिया पिछड़ा हुआ है वैसा और कोई नहीं। वहां ज्यादातर आदिवासी किसान रहते है, उनको आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। वर्षा के टाइम में रायपुर तहसील टूटने से मुंसिफ मजिस्ट्रेसी गंगापुर है तो वर्षा के दिनों में जिन लोगों की पेशियां होती है गंगापुर, वे गंगापुर जा नहीं सकते। एक दिन पहले निकलेंगे तो कोसीथल के पास में नदी में ज्यादा पानी आने से रुकना पड़ता है। इस तरह रोड का काम पूरा नहीं होगा तो उनको असुविधा होगी। माननीय सभापति महोदय, मै आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी पूरा करवायें। और रायपुर से करेड़ा जाने वाली रोड आमेट रेल्वे स्टेशन से मिलती है, इधर टुकड़ा बना दे ताकि रेल्वे से गंगापुर आ सके, जा सके और उनको असुविधा नहीं हो।

आज मै मानता हूं और आप आप महसूस करता हूं कि हमारी सरकार के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। आज संकटकालीन स्थिति मे जहां एक सड़क बनाने में जितना पैसा खर्च करना पड़ता है वहां ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

ज्यादा क्या निवेदन करूं? वह एरिया पिछड़ा हुआ है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोड्स बनाने की व्यवस्था की जाय। जिससे लोग आसानी से आ जा सकें, ठीक ढंग से लाभ उठा सकें।

इसी तरह से सराड़ा जिला है। उदयपुर पलोदरा से सराड़ा १४ मील का टुकड़ा है। बारिश के टाइम में बहुत ही डिफिकल्टी

(श्री देवेन्द्र कुमार)
रहती है । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों की व्यवस्था की जाय ताकि लोगों को सुभीता मिले ।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल जाट (सादड़ी) : सभापति महोदय, मेरा कट मोशन सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर है, उन पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । आज जब कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करके स्वतंत्र है तो हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन १५ वर्षों में क्या कार्य किए हैं और कितनी सड़कें बनाई है, यह हमें देखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बहुत कम सड़कें थीं । आने-जाने की बहुत असुविधा थी। हमने बहुत कुछ काम किये है, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जहां सड़क नहीं थीं वहां न मालम हम किस मुसीबत से गुजरते थे और जहां सड़कें बन गई हैं वहां हम चाहते है कि जल्दी डामर रोडस हों । अर्थाभाव के कारण इनका शीघ्र बनना बड़ा कठिन होता है । क्योंकि जहां पैसे का सवाल है वहां हर एक कठिनाई सामने आ ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों का जहां तक सवाल है कहीं कहीं तो एक-एक मील के टुकड़े में दो-दो, तीन तीन पुलियां आ जाती है जिससे वहां हमारी सड़कें जल्दी पूर्ण नहीं हो पातीं क्योंकि पुलियों का खर्चा अधिक होता है वैसे तो हर जगह की पुकार है ही सड़कों को क्यों कि जयपुर आते हैं तो यहां डामर की सड़कें देखते है तो अभिलाषा हमारे क्षेत्रों में जाकर होती है कि हमारे यहां भी इस प्रकार की सड़कें हो जायं, लकिन आर्थिक कठिनाई के कारण शीघ्र नहीं कर पाते, हम कहते तो हैं आपको । हालांकि मैं यह कह सकता हूं कि सड़कों के लिए और दूसरे दृष्टिकोण से हमारे राजस्थान में बहुत कुछ विकास हो रहा है, अलबत्ता उसमें देखरेख की ढ़िलाई जरूर है जिससे क्या होता है कि जो सड़क बनती है उसमें ठीक प्रकार से कॉन्क्रीट नहीं डाली जाती, ठीक प्रकार से कुटाई नहीं होती, जिससे शीघ्र खराब हो जाती है, उस धन का दुरुपयोग होता है ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : जहां खिलाई-पिलाई होती है वहां कुटाई-पिटाई थोड़े ही होती है ।

श्री शंकरलाल जाट : वह तो आप कर लें ।

जैसे उदाहरण के तौर पर छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी की सड़क बन रही है । बनते-बनत दस, १२ वर्ष हो गये । जो टुकड़ा बनता है वह वापिस खराब हो जाता है और वह बन ही नहीं पाती। अब सड़क बन पाई है तो पुलिया नहीं बन पायी जिससे आवागमन की बड़ी कठिनाई होती है । छोटी सादड़ी से सेमरड़ा तक सड़क बनी। डामर पड़ा पड़ा खत्म हो गया और गड्डे पड़ गये। बानसी से, बानसी स्टेशन तक सड़क बनी वह खत्म हो गई । तो सभापति महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पैसा खर्च करते हैं उस पर हमारी निगरानी रहनी चाहिए । थोड़ी बनें, लकिन अच्छी बनें ताकि टिकाऊ हो और पैसा पानी में नहीं बह जाय ।

बड़ी सादड़ी तहसील भवन बना, बड़ी सादड़ी में थाने की बिल्डिंग बनी । अभी

(श्री शंकरलाल जाट)

क्या अर्ज करूं कि चतुर्मास में चपरासी और क्लर्क रेकार्ड को लेकर रखते फिरे । चतुर्मास में कलक्टर साहब से लिखा पढ़ी की तो रिपेयर्स का पैसा नहीं है यह कहा । इतने थोड़े समय में ही रिपेयर्स की आवश्यकता पड़ जाती है ? इसका मतलब यह है कि गाइडेन्स ठीक नहीं है । भवन बनवाते हैं । ठेकेदारों को तो मकान पूरा करके देना है । वे नहीं देखते हैं कि वह किस प्रकार का मेटिरियल लगा रहा है, किस प्रकार का नहीं लगा रहा है । रेती चूना लगाया जाता है । आप हाथ लगाइये एक दम गिर गया । बड़ी सादड़ी में साईन्स क्लास के लिए कमरे बने, पट्टियां डाल दी गई लेकिन वे नीचे पड़ गई । यह अच्छा हुआ कि नीचे कोई लेबर नहीं था वरना मर्डर केस बन जाता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : एक्सीडेंट केस बनता, मर्डर नहीं ।

श्री शंकरलाल जाट : वेन्टीलेशन लगाये, खिड़कियां लगायीं, उनके किवाड़ उल्टे लगा दिये, सारा चतुर्मास का पानी बाहर से अन्दर आ जाता है । राजस्थान सरकार के कैसे काम बनते हैं यह एक नमूना है । स्टाफ भी पूरा है । अच्छे सुझाव देने चाहियें । जो भी काम बने ढ़िलाई से न बने और मेटिरियल लगाया जाय ठीक प्रकार का लगाया जाय ताकि इस प्रकार की शिकायतें हमारे सामने न आवें । निम्बाहेड़ा और मंगलवाड़ की सड़क है । कई दिनों से काम चल रहा है, मिट्टी भी पड़ गई, वह सारी की सारी खराब हो गई अब तक काम शुरु नहीं हुआ । इसलिए में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी रोड्स बन जाने से उदयपुर से कनेक्ट हो जाते हैं । निम्बाहेड़ा से उदयपुर का सीधा संबंध हो जाता है । निम्बाहेड़ा एक ऐसी व्यापारिक मंडी है, किसान लोग चीजें बेचने के लिए निम्बाहेड़ा आते हैं, दो दो इंच धूला चढ़ जाता है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक मेरा सुझाव है डूंगला से बड़ी सादड़ी की सड़क का । जैसे बड़ी सादड़ी में कोई पंचायत समिति नहीं है और बड़ी सादड़ी की दस पंचायतों को डूंगला में मिलादी गई और ६ को छोटी सादड़ी में । दस पंचायतें बड़ी सादड़ी की और ५ डूंगला की इस रोड से संबंध रखने वाली है । इस प्रकार १५ पंचायतें हैं । लोग चतुर्मास में मिटिंग में भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं । लोन जो स्वीकार करते हैं वह लोन भी वर्षा के कारण लोग लेने नहीं आते हैं । जिससे लोन लेप्स हो जाता है कि इससे जनता में एक प्रकार की असन्तोष की भावना पैदा होती है हमें लोन नहीं मिलता है । सड़क बन जाने से लोग आसानी से आ जा सकेंगे और लोगों की शिकायतें भी दूर हो जावेंगी । मैं यह कहुंगा कि पंचायत समिति डूंगला में वर्षा के कारण न जाने-आने से कुछ स्थान रिक्त भी हो गये ।

माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करूं, डूंगला बड़ी सादड़ी सड़क के संबंध में । तो मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में ले लिया जाय और कार्य प्रारंभ कर दिया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा ।

श्री सभापति : यहां पर आसन के पास सभी दलों की ओर से नाम आये हुए हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था कायम कर रखी है उसी के अनुसार समय दिया जा रहा है। मेरे सामने सूची है उसी के अनुसार हर पार्टी के सदस्य को समय दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, जिन विभागों के बारे में कटमोशन आये हैं उनमें रोडवेज, पी. डब्ल्यू.-डी. और दी कैपीटल आउट ले ओन पब्लिक वर्क्स जि। सभी डिमान्ड्स पर मैंने कट-मोशन दिये हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि आज इसको जनता "प्लन्डर विदाउट डेन्जर" (plender without danger) कहते हैं। वाकई में यह 'प्लन्डर विदाउट डेन्जर' विभाग है। जहां तक रोडवेज का सम्बन्ध है आज राजस्थान के अन्दर विकास से बढ़ते हुए चरण उन बढ़ते हुए चरणों में मधुर भ्रमर का काम यह रोडवेज करता है और राजस्थान धन-धान्य पूर्ण हो सकता है।

पिछले तीन-चार वर्षों में रोडवेज की स्थिति दुर्लक्ष्यपूर्ण रही है, आमदनी कम और खर्चा अधिक रहा है। रोडवेज का जो ग्राफ हमें दिया गया है उसके अनुसार ६२-६३ का साल इसका सौभाग्य पूर्ण रहा है जिसमें ९ महीनें में २० लाख का फायदा हुआ है। जब कि टोटल एक्सपेन्डी-चर १५ लाख का है इसमें डेप्रीसियेशन इनश्योरेन्स चार्जेज आदि भी सम्मिलित हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल पर दृष्टिपात, करें, ५९-६० में जो रोडवेज ने आमदनी दी है वह करीब १२ लाख रुपये की होती है। ६१-६२ में करीब १३ लाख रुपये की होती है। खर्चा इन दोनों वर्षों के अन्दर ६१-६२ में आमदनी के बराबर है और ६०-६१ में आमदनी से अधिक है। अगर इस बारे में दूसरे प्रोविन्सेज पर हम दृष्टिपात करें, आज हमें अपने पडौमी राज्य, जो लगभग चार करोड से अधिक इस रोडवेज से कमाते हैं। आप मध्यप्रदेश को लें, वहां इस रोडवेज स्टेट को ७ करोड रुपये की आमदनी होती है। मद्रास को लें वहां पर रोडवेज द्वारा अधिक आमदनी खडी की जा रही है और इन ९ महीनों ने यहां भी सिद्ध कर दिया है कि अगर हम रोडवेज पर पूरा ध्यान दें तो यह स्टेट को अच्छी आमदनी दे सकता है। रोडवेज के एडमिनिस्ट्रेशन को हम कन्सन्ट्रेट करें तो इसमें शक-शुबाह की गुन्जाइश नहीं रह सकती कि रोजवेड हमें इस राष्ट्रीय संकट के समय आमदनी दे सकता है। जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, रोडवेज के कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार है, जिस प्रकार के डिफेक्टस् चल रहे हैं उससे ऐसा पता चलता है कि इसमें अन्दर ही अन्दर इस प्रकार का षडयन्त्र चल रहा है। जिससे पब्लिक सेक्टर का यह कार्य असफल हो, इसको नाकामियाब करना चाहते हैं। मैं इस बारे में कुछ फोटोग्राफ्स लाया हूं जो मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। पिछले सेशन में भी बैड फोर्ड की ३० पैंतीस के बारे में काफी गरमागरम डिस्कशन हुआ था। टैक्नीकल एडवाइज के मुताबिक यह बता दिया था कि जिस प्रकार बैडफोर्ड, व्हील बैस २१६ इन्ची है जो यहां की रोड कन्डीशन के मुताबिक ठीक नहीं। इसके बारे में गम्भीर ऑडिट आब्जेक्शन भी हुए। तीस बैडफोर्ड चेसिस मोटर गैरेज में दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति के अन्दर पडे हुए हैं। इन्जन बाहर निकले

Page No 61

(श्री योगेंद्रन थ हांडा)

हुए हैं। फोटोज में सदन की मेज पर रखता हूं, जो चेसिस अपने अन्जाम को पहुंच गये हैं। ये तीस बैडफोर्ड बीस हजार मील चलीं, उसके अलावा जो डीजल इन्जन की गाडियां बाजार में आ रही हैं ले लेन्ड आदि जिनके दो लाख मील चलने के बात तो सील तोडने की नौबत आती है। तीस हजार मील चलने के बाद रोडवेज के मेन्टीनेन्स के अनुसार उसकी सफाई वगैरह लुब्रीकेटिंग, ग्रीजिंग की जरूरत आती है। इंजिन को खोलना नहीं पडता दूसरी तरफ यह बैडफोर्ड २० हजार मील ही चली और जयपुर के वर्कशाप में पहुंच गई ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, रोडवेज को जहां तक नेशनलाइज करने का संबंध है तीसरी योजना के अन्दर हम तीन हजार मील से ऊपर नेशनलाइज्ड बसेज को चलाने का प्रोग्राम लिये बैठे हैं। जिस पर पांच-छः करोड रुपये का खर्च करेंगे और ८५० बसेज चलाई होंगी।

आज हम तीसरी योजना के तीसरे वर्ष के अन्दर खुद इस बात की बेवसी प्रगट करते हैं कि जहां हमें ७० बस खरीदनी थीं वहां हम केवल ४० बसें खरीद सके हैं तीस बसें नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर में खरीदनी पड़ेंगी। जिस मन्थर गति से नेशनेलाइजेशन ऑफ रोडवेज को ले रहे हैं उससे यह स्पष्ट प्रगट होता है कि पांच वर्ष के अन्दर ८५० बसें ३ हजार मील किसी दशा में नेशनलाइज़ नहीं कर सकेंगे । जब चाहिये तो यह था तीसरी योजना तक राष्ट्रीय संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए राज्य के अधिकतर रूटस् रोडवेज द्वारा नेशनलाइज़ कर देते । तो कम से कम सात-आठ करोड़ रुपये की आमदनी हम प्राप्त कर सकते थे । हमारी सन् ६२ की आमदनी जो अप्रेल से लेकर दिसम्बर के माह में हुई है जो केपीटल इनवेस्टमेंट का १५ प्रतिशत है यह हमें हाईएस्ट केपीटल इनवेस्टमेंट की आमदनी दे सकता है ।

रोडवेज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कई चीजें शेखचिल्लियों जैसी देखने में आती हैं । फेयर्स का जो शिड्यूल तय किया गया है उसका एक नमूना आपके सामने पेश करूंगा । आपको टिकट खरीदना पड़ता है जयपुर से कोटा तक, उसका मूल्य है ६.२० और जयपुर से बूंदी ६.४५ न. प. । बूंदी मार्ग में आता है और कोटा बाद में आता है । कोटा बाद में उतरते हैं, बूंदी से १.५ पैसा देकर टिकट खरीद लें और उसको बूंदी के अन्दर बेच दें । सरकार इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देती है ।

जयपुर से जोधपुर के रेट्स ८.८० न. पै. हैं । जयपुर से अजमेर ३.४५ और अजमेर से जोधपुर ५.१५ न. पै. । अजमेर से जोधपुर और जयपुर से अजमेर की रेट्स को जोड़ लीजिये तो होते हैं ८.६० न. पै. । अगर आप डाइरेक्ट जोधपुर का खरीदें तो ८.८० न. पै. दें और जयपुर से अजमेर और अजमेर से जोधपुर खरीदें तो ८.६० न. पै. देना पड़ेगा । रोडवेज में डाइरेक्ट टिकट पर कम पैसा देना पड़ता है, पर यहां आपको डाइरेक्ट लेने पर अधिक देना पड़ता है । यह राजस्थान का एक नमूना है ।

इसके अलावा जिस प्रकार से लापरवाही रोडवेज में वरती जा रही है उसका मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूं कि जब हमारी बस किसी दूसरे प्रॉविन्स में जाती है तो हमारे

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

को वहां के आर. टी. ओ. से काउन्टर सिग्नेचर तीन महीने से कराना पड़ता है । पर चार और छ महीने हो जाते हैं, वे काउन्टर सिग्नेचर नहीं कराये जाते और इस पर ड्राईवरों को और कण्डक्टरों को हैरान होना पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त ड्राईवरों, कण्डक्टरों और अन्य रोडवेज के कर्मचारियों को जो सहूलियतें वर्कर्स यूनियन एक्ट के अन्तर्गत मिलनी चाहिए और जिसके लिये बार-बार सदन में आश्वासन दिया गया, वे भी कतई लागू अभी तक नहीं की गई । एक क्लीनर से आप हर तरह का काम करवाते हैं पर उसको सेफगार्ड और उसकी जरुरी सहूलियतें आप उसको प्रोवाइड नहीं करते । जो सेलेरी आप फोरमैन को दे रहे हैं दूसरी स्टेटों के मुकाबले में उचित नहीं हैं । और फिर आपकी बसें जिस दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति में आज चल रही हैं वह काबिले गौर है । आपके नोजल्स ज्यादा इजेक्ट करते हैं । आपके पास इसके लिये ३५ हजार की मशीन मौजूद है । पर आप लापरवाह हैं । उसका ठीक उपयोग नहीं करते । माईलो मीटर की हालत आपकी ठीक नहीं है । जो टाइमिंग्स आपने सेट किये हैं जितने घंटों में उसको अपने गन्तव्य स्थान पर जाना चाहिए वह नहीं जातीं । दिल्ली यहां से २०२ मील है उसके लिये ते है कि इतने घंटों में यह डिस्टेनस तय कर लिया जावे, और बीच में ४० बड़े स्टोपेज पर वह रुके और कुछ छोटे स्टोपेज पर रुके तो बिना माइलोमीटर के उनका यह टाइम और सैटिंग ठीक नहीं बैठता । फिर मंत्रीजी कहते हैं कि इतना डेप्रिसियेशन आता है । मैं बताऊं आपका डेप्रिसियेशन इतना आता है जितना सारे भारतवर्ष मे कहीं नहीं आता । ८५ नये पैसे पड़ता है जब कि यू० पी० में वह १२ न. पै. डेप्रिसियेशन आता है ।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जगह जगह टूल्स गायब । और यह बड़ी लज्जा की बात है कि रोडवेज के कर्मचारियों का चालान वर्दी नहीं होने से किया जाता हैं । कहने को कहा गया है और इस रिपोर्ट में भी घोषणा की गई है कि वर्दियां दी जाती हैं, दो वर्दियां गरमी की, एक सर्दी की और चप्पलें दी जाती हैं । पर चालान इनके हुए हैं । खुद मंत्री महोदय इसका रेकार्ड चैक कर लें ।

सभापति महोदय, इस तरह से जो दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति और रवैया इन कर्मचारियों के प्रति चल रहा है उसमें एक तरीका सेग्रीगेशन का भी है, मजदूरों में फूट डालने का है । जो इण्टक के साथ नहीं है उनके साथ आपका दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार होता है । फोरमैन के अपोइण्टमेंट को ही ले लें । इस में कास्टिज्म प्रिवेल किया गया । फोरमेन का अपोइण्टमेंट आपन बैकडोर से किया । यह बूंदी में सिर्फ मैकेनिक था । उसको आपने फोरमेन बनाया और सात दिन के बाद अपोइण्टमेंट दे दिया । जब कि जूनियर फोरमेन पी. एस. सी. से सिलेक्टेड था उसे चान्स आपने नहीं दिया जो कि उसका वाजिब हक था। इसी प्रकार सात एल. डी. सीज. को बुकिंग क्लर्क के रूप में प्रोमोशन दिये हैं । उनके संबंध में भी दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार आपने किया है । तो ये गंभीर गलतियां हैं, खामियां हैं । एक कॉमर्शियल इन्स्टीट्यूट जो देश और प्रान्त के लिये इस तरह का कॉमर्शियल इन्स्टीट्यूट पर्टीकुलरली

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

खून हो सकता है वह आपकी इस प्रकार की निरन्तर की जाने वाली अनियमितताओं और लापरवाहियों और पक्षपात से और जातीयता को संरक्षण देने से खतरे में पड़ जायगा। यह गंभीरता से सोचा जाना चाहिए।

मैं एक मिसाल और दे दूं। वैसे तो इस किताब में बताया गया है कि चार वर्कशॉप प्रोवाइड किये हैं आपने। पर अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बस जयपुर से जोधपुर जाती है, वह व्यावर के अन्दर तीन दिन तक इसलिए खड़ी रही की उसकी बैटरी का लीड टूट चुका था और उसकी मरम्मत नहीं हो सकी, न वह रिप्लेस हो सका, हालांकि अजमेर में जो कि ब्यावर से ३२ मील दूर ही है सिर्फ, आपका वर्क शाप था। टूलस्पेनर नहीं था जो लीड को टाइट कर सके। उसे तीन दिन तक टैक्निकल असिस्टेंस नहीं मिल सकी। यह हालत है आपकी।

सभापति महोदय, रोडवेज के कर्मचारियों के संबंध में मैंने अर्ज कर दिया, लेकिन और अर्ज करूं। यह बहुत बड़ी आमदनी का सीगा है। इसने चार डी-लक्स बसें प्रोवाइड की टूरिस्टों के लिये, पर वह और भी कुछ कर सकती थी, पर नहीं कर रही है। आज बाहर से दिल्ली और आगरा से जितने टूरिस्ट्स आते हैं वे डी. एल. जैड. की कमल कम्पनी की और प्यारेलाल कम्पनी की बसों में आते हैं। तीन-तीन सौ रुपया का खर्चा टूरिस्ट करते हैं। तो आज अगर इस अच्छी आमदनी को रोडवेज चाहती तो अपने दफ्तर इन जगहों पर खोलती और वहां टैक्सीज़ प्रोवाइड करती। इसे यह करना चाहिए। यह अच्छा आमदनी का सीगा है।

इसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम भी अपने अन्तर्गत लेना चाहिए इसे। अगर एक गंगानगर जिला आप लेलें तो आपको काफी आमदनी हो सकती है। भारतवर्ष में आज भी वहां जो कॉमर्शियल प्रोड्यूस होती उनको ढोने वाली बसों का नम्बर सबसे ज्यादा। अगर यह सब काम भी सरकार की ये रोडवेज अपने हाथ में ले लें तो लाखों की आमदनी उसको हो सकती है।

एक बात में और निवेदन करूं। आप बड़े रूट्स को तो नेशनलाइज करते हैं पर उसके बीच में पड़ने वाले छोटे छोटे रूट्स को खुला छोड़ देते हैं तो यह नहीं करना चाहिए। इन छोटे रूट्स को भी आपको ले लेना चाहिये। नहीं तो ये छोटे रूट्स वाले बड़े रूट पर चलने वाली सरकारी गाड़ियों को ठप्प कर देते हैं। ऐसी एक मिसाल मैं आपको बताऊं। रायसिंहनगर से गंगानगर एक रूट है। पर बीच में जो छोटे छोटे रूट पड़ते हैं वे नेशनेलाइज़ नहीं हैं। तो उन छोटे रूट वालों ने अपना टाइमिंग चलने का इस तरह का फिक्स किया कि वे सारी रास्ते की सवारियों को खुद उठा लेते, बड़ी डाइरेक्ट रूट पर चलने वाली रोडवेज की बसों को वे सवारियां नहीं मिलतीं। पहले १६ ये बसें थीं, पर इसके फलस्वरूप १२ रह गई और अब ८ ही हो गई हैं और मैं समझता हूं कि वह समय भी दूर नहीं, जब कि ये आठ बस भी समाप्त हो जावें। तो इन लोंग रूट्स के बीच में पड़ने वाले छोटे रूट भी आप नेशनलाइज़ करें।

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

इसमें नेशनलाइज़ करने का एक नक्शा है उसके कार्यक्रम का। उदयपुर और गंगानगर के रूट भी कुछ आप नेशनलाइज़ करने वाले हैं। दो-तीन तो जल्दी करने वाले हैं। अजमेर से भीलवाड़ा आप पहुंच गये। पर भीलवाड़ा से आगे नहीं बढ़े। वहां एक बड़ा चौकीदार बैठा है लट्ठ लिये। सरकार का वह लट्ठ है। इस चौकीदार के लट्ठ से बच कर आप आगे के रूट को नेशनलाइज़ कर सकेंगे, इसमें मुझे शक है। उनके सिर पर मुख्य मंत्री का हाथ है।

एक माननीय सदस्य : वह चौकीदार कौन है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मोहन लालजी सुखाड़िया। वे सरकार के लट्ठ हैं। सभापति महोदय, अब मैं अर्ज करना चाहूंगा उस महकमे के बारे में जिसे लोग "प्लण्डर विदाउट डेन्जर" विभाग कहते हैं। और वह बात केवल मैं अपने जिले तक ही महदूद रखूंगा। आप इस जिले की सड़कों का मुआयना करें। हर एक मील या आधा मील पर एक भयानक कर्व आपको मिलेगा और इसके कारण जो एक्सीडेण्ट होते हैं और उनसे जो मौतें होती हैं वे भारतवर्ष में सबसे अधिक हैं। अब इन मोड़ों का, कर्वो का कारण क्या है ? मैं बताऊं। गंगानगर के प्रिविलेज्ड क्लास के लोग इसके कारण हैं। उन्होंने इंजीनियरों को पैसा देकर, घूंस देकर सड़कों को भयानक मोड़ की शक्ल में तबदील करा दिया है, जहां पर लोगों का जीवन नष्ट होता है।

पहले के मोड़ गिर गये, फिर उसके बाद सीधे किये जाने के बजाय और भी भयानक मोड़ लगाये गये। जहां कलवर्ट्स थे, ब्रिजेज थीं उनको दुबारा ठीक नहीं किया गया। इस पर ऐसे बहुत से मोड़ हैं जो दुबारा रखे गये, उनको सरकार सीधा नहीं मोड़ सकी।

सभापति महोदय, गंगानगर सड़क की भी एक कहानी है। दूर तक इसके दोनों तरफ सघन पेड़ हैं। इनकी बड़ी बड़ी टहनियों से लग कर एक्सीडेन्ट्स हुए। वहां के लोगों ने दरख्वास्तें दीं कि इन पेड़ों को कटाया जाय लेकिन उस के बावजूद भी ६ एक्सीडेण्ट्स इस दो मील के टुकड़े पर हुए हैं।

सभापति महोदय, अनूपगढ़ से जैतसर तक सड़क बनी है। उसको एक तरफ बनाते गये दूसरी तरफ टूटती गई। उस पर डामर गिरी। एक तरफ सड़क बनती गई दूसरी तरफ टूटती गई। मैं सदन में चैलेन्ज करके कहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड मेटीरियल चाहिये था वह बिल्कुल नहीं लगा लेकिन इसको बाईपास किया गया क्योंकि राजस्थान के इंजीनियर साहब के जंवाई साहब का कन्ट्रेक्ट था। इसी तरह से सभापति महोदय, हनुमानगढ़ टाउन से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन तक की सड़क राजस्थान बनाने के बाद बीसों दफा बनी है। नले के पानी का बहाव आता है और उसको तोड़ करले जाता है। हर वक्त उसको ऊंचा लिया जाता है। पिछला वर्ष ही सौभाग्यशाली वर्ष था जब कि वह नहीं टूटी। लेकिन पता नहीं क्यों इस सड़क के नीचे साइफन नहीं बनाते हैं। सरकार ने रामसिंह से कूपला तक सड़क

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
बनाई उसमें दो तीन गांव ढ़ह गये लोगों को मजबूर होकर उसको तोड़ना पड़ा ।

एक सड़क बनाई जाती है रायसिंहनगर से अनूपगढ़ तक जाती है । रायसिंहनगर से १० मील जाकर फिर मुड़ कर १३ मील आगे अनूपगढ़ पहुंचती है । रास्ते में गुंजान भयावह टीबे पड़ते हैं, उनमें बसने वाले लोग नहीं, बसेज प्लाई करते हैं तो उन पर चढ़ने वाले कोई नहीं इस गुंजान इलाके में सड़क बनाई गई है। बीच में जो ५ गांव आते हैं श्यामगढ़, तातारगढ़ आदि उनमें होकर अगर इसको ले जाते तो १ मील बनानी पड़ती ।

अब में आपका ध्यान डिफेन्स रोड्स की ओर दिलाना चाहूंगा । यह एक बड़ा ही गंभीर विषय है । यदि पाकिस्तान की ओर देखे तो एक रोड ऐसी है जो एक सीमा से कच्छ तक जाती और वहां का पेट्रोलिंग युनिट सुबह वहां से चलता है तो शाम तक कच्छ तक जाता है, पक्की सड़क बनी हुई है, आर्मी हैडक्वार्टर्स बोर्डर पर जगह जगह बने हुए हैं और नयों का निर्माण कार्य चल रहा है । जब कि सारे राजस्थान में कहीं [illegible] फेन्स रोड नहीं है। रायसिंहनगर से ४० पी. एफ. तक एक रोड बनाने का विचार किया गया था उसकोभी रद्दी की टोकरी में डाल दिया । और भी रोड्स के लिए गंभीर स्थिति है । आप कह सकते हैं कि उसके लिये भारत सरकार की पोलिसी नहीं है । लेकिन भारत सरकार से डिसकस कर सकते हैं । सदन को कोन्फीडेन्स में ले औरभारत सरकार के साथ विचार किया जाय और उनको कनविन्स किया जाय कि यह बहुत ही गंभीर मसला है किस समय क्या हो जाय इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभा पति महोदय, माग संख्या ४४ के अन्तर्गत यातायात में बसों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के लिये एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं । राजस्थान हमारा राज्य....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आप तो राजस्थानी में बोलिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, हमारा राज्य राजस्थान उन राज्यों में से है जहां राष्ट्रीयकरण में दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत ही पीछे है और हमारे यहां की राष्ट्रीयकरण की गति जो है वह बहुत ही धीमी है, दूसरे राज्यों के मुकाबले में तो हम पीछे हैं ही और गति धीमी है ही किन्तु जो योजना हमने बनाई है उसको देखते हुए भी हम काफी पीछे हैं और हमारी गति धीमी है । यह जो पुस्तिका राजस्थान रोडवेज के द्वारा प्रकाशित हुई है उसको मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा, केल्कुलेट किया, और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि वास्तव में जो योजना बनाई है उसको कार्यान्वित करने में हम बहुत पीछे हैं और हम अपने टार्गेट्स तक पहुंचने के लिये जरूर असफल हो रहे हैं । अच्छा हो हम एक नजर आपकी पुस्तिका के हिसाब पर डाल दें ।

सभापति महोदय, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल ५८८ मील सड़क का राष्ट्रीयकरण किया गया था और तीसरी योजना में हमारी स्कीम यह थी और योजना यह बनाई गई थी कि इस ५८८ मील के अलावा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

३ हजार मील सड़क का और राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा । लेकिन तीसरी पंच-वर्षीय योजना के २ साल बीत चुके हैं और इन दो सालों में हम कुल ५५७ मील का ही राष्ट्रीयकरण कर पाये हैं और आगे इस योजना में केवल ढ़ाई तीन साल ही बाकी हैं और ढ़ाई तीन साल में हम हमारे टारगेट तक पहुंच पायेंगे ? जहां हमको पहुंचना है वह है ढ़ाई हजार मील और आज तक हम जिस रफ्तार से चल पाये हैं, बढ़े हैं उस रफ्तार से चल कर हम अपना टारगेट ढ़ाई हजार मील का पूरा कर सकेंगे ? क्या हमारी जो गति है वह संतोषप्रद है ?

सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट रोडवेज जब से चालू हुई है उस दिन से आज तक हमने केवल १,१४५ मील का राष्ट्रीयकरण किया है और यह जो हम आज तक इतने सालों में १,१४५ मील का राष्ट्रीयकरण कर पाये हैं वह हमारे ए. क्लास रोड्स का केवल १५ प्रतिशत ही है । बी. क्लास और सी. क्लास की बात तो आप जाने दीजिये ।

सभापति महोदय, ये जो आकड़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं ये सारे के सारे सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका से लिये हैं, इसलिये इनको ऑथेण्टिक माना जाना चाहिए , इसमें शक और शुबहा की गुंजाइश पैदा नहीं होती है । सभापति महोदय, जब जब यह सवाल उठाया जाता है कि राष्ट्रीयकरण धीमे हो रहा है, इसकी रफ्तार धीमी है, टार्गेट्स पर नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक हमारी सरकार की ओर से जवाब दिया जाता रहा है कि सरकार जागरूक है, सचेष्ट है, तेजी से बढ़ना चाहती है, विस्तार करना चाहती है पर एक सबसे बड़ी बाधा उनके सामने है । समस्या यह है कि धन की कमी है । धन के बिना कैसे विस्तारपूर्वक चल सकते हैं । सभापति महोदय, यह मैं मानती हूं कि व्यवसाय के लिये धन बहुत ही आवश्यक चीज है । लेकिन हमें एक नजर से यह देखना है कि हमारी अपनी आय क्या है और उसके अनुसार कैसे उपाय कर सकते हैं ।

(उप-मंत्री, शिक्षा खड़े हुए)

Acharya Sahib! Don't disturb please!

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Though I was at fault, Sir, but I could have received the instructions from the Chair rather than through the M.L.As.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप ऐसा डिफॉल्ट करते ही क्यों हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Instructions should have come through the Chair.

श्री भैरोंसिंह : आपकी आदत है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: Acharya Sahib, please! बोलने दीजिये ।

सभापति महोदय, इस पुस्तिका में आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार जब से राजस्थान में रोडवेज जारी हुई है तब से आज तक १ करोड़ २४ लाख की पूंजी हमने लगाई है और इस पूंजी पर हमको रिटर्न मिला है पिछले ६ महीनों में २० लाख रुपया, आने वाले ३ महीनों में पूरा साल हो जायगा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

तब अनुमान है २७ लाख या ३० लाख के करीब प्रोफिट मिल जायगा । १ करोड़ २४ लाख की पूंजी पर जब ३० लाख का नेट प्रोफिट मिलता है तो इसका मतलब होता है २५ पर्सेण्ट नेट इन्कम होती है वीयर एण्ड टीयर निकालने के बाद २५ परसेण्ट का रिटंन मिल रहा है यह बहुत ही अच्छा रिटर्न है इससे बढ कर और क्या रिटर्न हो सकता है । कोई व्यवसाय इतना बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता । जब कि यह इतना लाभप्रद व्यवसाय है ऐसी हालत में हमें धन की क्या समस्या पैदा हो सकती है, धन किसी भी प्रकार से उपलब्ध किया जा सकता है । हमारे राज्य में देवस्थान की पेढियों में रुपये हैं । और मौके बे मौके देवस्थान फंड से छः पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पर लोन मिलता है । राजस्थान रोडवेज देवस्थान फंड से रुपया प्राप्त कर सकता है ।

इसके अलावा और भी रास्ते हैं–राजस्थान रोडवेज को काआर्पोरेशन बना दिया जाय, उसके द्वारा लोन फ्लोट करा दिया जाय । अगर राजस्थान रोडवेज छः परसेन्ट इंट्रस्ट पर लोन लेता तो भी उसे जो पच्चीस पर्सेन्ट प्राफिट मिलता है, उसमें से छः पर्सेन्ट देने के बाद भी उन्नीस-बीस पर्सेन्ट नैट प्राफिट होता है । ऐसी हालत में लोन फ्लोट करके इसका विस्तार तेजी से करें, तो पांच साल के अन्दर यह अपना कर्ज चुका सकता है, सभापति महोदय, इसके अलावा दस साल के लिये लोन फ्लोट करा दिया जाय, तो इससे होने वाली आमदनी का आधा रुपया विकास में लगा सकते हैं और आधी आमदनी से मजे से कर्ज चुकाया जा सकता है । राजस्थान सरकार साफ तौर पर चाहती तो इसका राष्ट्रीयकरण आज तक कर लिया होता, और ऐसा करने में उसके सामने कोई बाधा नहीं होती । लेकिन देखने में ऐसा आता है कि सरकार का यह विभाग जानबूझ करके राष्ट्रीयकरण करने में ढिलाई बरत रहा है । इसकी ढिलाई का एक कांक्रीट प्रूफ में सदन के सामने रखना चाहती हूं । अभी सात आठ रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने के लिये गवर्नमेंन्ट ने एक स्कीम बनाई थी । उस स्कीम को शाया किया गया और पब्लिक उज्रदारी मांगी गई पब्लिक की उज्रदारी आ रही है और पेशियां हो रही हैं । विभाग का फर्ज यह था कि वह इन पेशियों को जल्दी जल्दी निपटा दे और जल्दी से जल्दी तेजी के साथ राष्ट्रीयकरण का काम हाथ में ले । लेकिन विभाग आगे होकर पेशियों को आगे पटक रहा है । और पेशियों के मामले में ढील दे रहा है । पेशियों को आगे आगे पटक दिये जाने में राजस्थान रोडवेज के जनरल मेनेजर का दोष है । यह मैंने केवल एक नजीर के तौर पर सदन के सामने कहा । सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि वे इस काम को जरा सख्ती के साथ में हाथ में लें । अगर वे जरा तेजी के साथ इस काम को हाथ में लेंगे तब ही वे लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और इस योजना को सफल बना सकेंगे ।

सभापति महोदय, इस राजस्थान रोडवेज में कई बार मुझे सफर करने का मौका मिला है । प्रायः राजस्थान के सभी रूटों पर मैं सफर कर चुकी हूं । मैं पर्सनल एक्सपीरियन्स से कह सकती हूं कि प्राइवेट बसों के कम्पेरिजन में ये बसें, जो राजस्थान रोडवेज की हैं, काफी सुविधा पूर्ण हैं, आरामजनक हैं और इनसे काफी आराम मिलता है । ऐसी कोई खास शिकायत मेरे देखने में नहीं आई, फिर भी, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

करूंगी कि बहुत सी बातें पब्लिक वेलफेयर की और पब्लिक को सहूलियतें देने की पूरी करनी चाहिए । एक तो बस स्टेंड बनाने की जरूरत है, बस स्टेशन्स पर वेटिंग रूम बनाने की आवश्यकता है, बाथ रूम्स बनाने की आवश्यकता है और बसों में जो सीट्स पास पास बनाई गई हैं वे आरामप्रद नहीं हैं, बसों में आराम से बैठने की गुंजाइश हो, और सीटें आरामप्रद हों । मुझे आशा है, जो सजेशन मैंने दिये हैं, उन पर यातायात मंत्री विचार करेंगे और तेजी के साथ राष्ट्रीयकरण करेंगे । इस तरीके से जो आमदनी होगी उसको राष्ट्र के हित में काम लिया जायगा तो जो आज जनता के ऊपर अनुचित टैक्स लगाने की जरूरत पडती है वह न पड कर इसकी आमदनी के द्वारा हमें मदद मिलेगी ।

श्री सभापति: श्री नाथूलाल करोल

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय सभापति महोदय, मेरे छः कटौती के प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुत्तल्लिक हैं । माननीय सभापति महोदय, सबसे पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह सांगानेर एरोड्रोम से सांगानेर रेल्वे स्टेशन तक जो सडक बनी हुई है उस सडक की रिपेयर और डामर कराने के बारे में है । लास्ट इयर पी. डब्ल्यू. डी. ने इस सडक के एक मील के टुकडे की रिपेयर करके उस पर डामर डाल दी थी । माननीय सभापति महोदय, बाकी का जो हिस्सा पडा हुआ है इस सडक का, वह वैसा का वैसा पडा हुआ है । लास्ट टाइम अक्टूबर में जब सैशन हुआ था, तब मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था । और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इस साल इसे पूर्ण करेंगे । माननीय सभापति महोदय, इस साल की आज २६ तारीख हो गई है और पांच रोज के अन्दर यह साल खतम हो रहा है, लेकिन उस सडक का टुकडा जैसा का तैसा पडा हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस सडक का टुकडा जरूर पूरा कर दिया जाय ताकि आवागमन में सुविधा हो और जो बैलगाडियां, मोटर और ट्रक इस सडक पर चलती हैं उनको दिक्कत नहीं हो । जब उसके एक मील के टुकडे को सरकार पूरा कर चुकी है तो मील डेढ मील का जो बाकी का टुकडा पडा हुआ है, उसको पूरा क्यों न किया जाय ? दूसरा मेरा कट मोशन है वह रेल्वे स्टेशन सांगानेर से ग्राम कुन्दनपुरा (रैगर बस्ती) तक नई सडक बनाने के बारे में है । यह कुन्दनपुरा कोलोनी है, यह समाज कल्याण के द्वारा जो अनुदान दिया गया है, उससे बसाई गई है । उस पर सरकार का करीब तीस, पैंतीस हजार के करीब खर्च हुआ है । पंचायत समिति, सांगानेर ने सरकार को निवेदन किया है कि रेल्वे स्टेशन सांगानेर से रैगर कोलोनी कुदनपुरा तक जो दो मील का सडक का टुकडा है, इसको बना दिया जाय । मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम यह टुकडा जो रैगर कोलोनी और रेल्वे स्टेशन के बीच का है, क्योंकि सरकार का काफी पैसा इस पर खर्च हुआ है इसलिए उसको बनाने की कृपा करें और उसको जल्दी से जल्दी बनवाने के लिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं ।

(श्री नाथूलाल करोल)

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है वह यह है, चाकसू से कोट खावदा सडक न बनने पर । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चाकसू से कोटखावदा सडक की सेंक्शन सात साल पहले हो चुकी है और उसका करीब चार मील का टुकडा बना है । बाकी जो सडक का टुकडा है, वह वैसा का वैसा पडा हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस साल के अन्दर आपके विभाग ने कई मर्त्तबा ठेकेदार को ठेके दिये, लेकिन फिर भी ठेकेदार उस सडक को बनाने के लिये तैयार नहीं हुए । और वे ठेकेदार थोडा बहुत काम करके भाग जाते हैं । मेरी समझ में नहीं बैठता कि उन ठेकेदारों को आपका यह विभाग किस तरह से बख्श देता है । इस साल जिस ठेकेदार को ठेका दिया है, वह वहां मेटिरियल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अभी तक उस सडक का काम शुरू नहीं किया है । लास्ट टाइम अक्टूबर के सैशन में मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था, उस समय कहा गया था कि इस साल इसको बना दिया जायगा; लेकिन इस साल अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है । इसलिये मैं निवेदन करूं कि इसको बनवाने में ज्यादा विलम्ब नहीं हो ।

चौथा मेरा कटौती का प्रस्ताव है यह फागी से चाकसू तक नालों पर पुलिया व कलवर्ट व कॉजवे के सम्बन्ध में है । नालों के ऊपर न तो पुलिया हैं और न कल्वर्ट बनाये गये हैं और न कॉजवे । मैं निवेदन करूं कि उधर से जब मोटर वगैरह आती हैं तो उन्हें काश्तकारों के खेतों में से होकर जाना पडता है क्योंकि काश्तकारों की फसलें खडी होती हैं इसलिये वे उसमें आब्जैक्शन उठाते हैं । इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें ।

फिफ्थ मेरा कटौती का प्रस्ताव है, टोंक रोड में से जो सडक का टुकडा ग्रामवाटिका तक का है, उसकी मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है और छटा जो टुकडा गोनेर तक है, उसके सम्बन्ध में है । ये दोनों चार-चार मील के टुकडे हैं । इनको बने हुए सात साल के करीब हो गये हैं लेकिन न उनकी रिपेयर हुई है और न डामर हुई है । इससे सडक बराबद हो गई है । मैं अर्ज करूं कि विभाग के द्वारा जो सडक बनाई जावे उसकी कम से कम रिपेयर कराई जाय और जो इस कार्य में पैसा लगाया जाय, उसके लिये यह जानकारी की जाय कि रुपया दिया था वह ठीक तरह खर्च किया या नहीं । माननीय सभापति महोदय, यह टोंक रोड से जो सडकें जाती हैं, उनकी दुर्दशा ऐसी हो रही है, उन पर कोई साईकल या बैलगाडी चल नहीं सकती बल्कि गाडियां हमेशा कच्चे में जाती हैं । इसलिये मैं निवेदन करूं कि वाटिका सडक के ऊपर डामर करने के लिये इस साल के बजट में ले लेना चाहिए और डामर कर देनी चाहिए । लेकिन डामर तब ही होगी जब कि उस की पहले रिपेयर होगी, उसके पहले डामर नहीं हो सकती । इस तरह से गोनेर की सडक का हाल है, जो टोंक रोड में से गोनेर तक जाती है । माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि इस सडक का चार-पांच मील का टुकडा है, उसको इस साल लेना चाहिए, और उस पर डामर कर देनी चाहिये । मुझे आशा है कि बजट में इतनी गुंजाइश आप कर सकेंगे और यह काम हो जायगा ।

(श्री नाथूलाल करोल)

मेरे जो छः कटौती के प्रस्ताव थे वें मैंने आपके द्वारा, माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री को निवेदन कर दिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय कटौती के प्रस्तावों का जवाब देते हुए यह कहेंगे कि मैं इस साल पूरा कराने की कोशिश करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण में मेरा जो कटौती प्रस्ताव है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

वैसे तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा राजस्थान में कितनी सडकें बनी हैं, किस प्रकार की सडकें बनी हैं यह तो अच्छी तरह से जानकारी है ही, परन्तु मेरा इस संबंध में निवेदन करना है वह यह है कि जिला-वाईज जो फन्ड एलाट किये जाते हैं और जो आवश्यक सडकें हैं उनको पूरी करने की जिस प्रकार की योजना है कि जिले के हैड क्वार्टर और सब-डिविजन के हैड क्वार्टर को सडकों द्वारा जोडा जाए और सबसे ज्यादा इसको प्राथमिकता देकर इन सडकों का निर्माण किया जावे। इस प्रकार की योजना होते हुए भी उसे पूरी नहीं की गई है इसलिए इसे पूरी की जावे। प्रथम पंच वर्षीय योजना में व दूसरी पंच वर्षीय योजना में सडकें बनाई गई और जो उद्देश्य हमारे सामने है उनको लेकर सडकों का निर्माण किया गया है उसमें यह बहुत बडी कमी रही है। मैं यह देखता हूं कि मेरे क्षेत्र में, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जिला हैड क्वार्टर व सब-डिविजन को अभी नहीं मिलाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि निर्माण का काम उदयपुर में बहुत होते हैं, लेकिन दूसरी जगह नहीं होते। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से मिलाने के लिये कार्य हो रहा है। इस डिस्ट्रिक्ट के लिये, सडकों के निर्माण के लिये हालांकि इस पंच वर्षीय योजना में कुछ रुपया रखा गया है जिससे मुश्किल से १०-१२ मील सडक बना पावेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिनिस्टर महोदय ने फरमाया कि सडकें पूरी हो जावेंगी, मगर जो प्रोविजन रखा है उससे यह स्पष्ट है कि आधी सडकें बनेंगी। दो नदियें बीच में पडती हैं उसके लिये भी पुलियें वगैरह जब तक नहीं बनेंगी तब तक सडक बनने से क्या लाभ होगा। इनके लिये प्रोवीजन नहीं किया गया है। वर्षा के समय में ४०-५० मील का चक्कर लगाकर जाना पडता है। इसलिए पहले नालों पर पुलियों का निर्माण हो और नोखाडी नदी है उस पर पुलिया बने तब कहीं जाकर सडक का उपयोग हो सकता है। बिना इसके सडक का उपयोग नहीं हो सकता।

दूसरा यह कि गुलाबपुरा जो सब-डिविजनल हैड क्वार्टर है तीसरी पंच वर्षीय योजना में आसीन्द से गुलाबपुरा को रखा गया था लेकिन अब यह कोर आफ दी प्लान में आ जाने से हटा दिया गया है। और जो २।। मील का टुकडा बनाने का रखा था उसको भी हटा दिया है। जबकि पहले सारे आसीन्द से गुलाबपुरा की सडक को रखा था।

इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह सडक बहुत जल्दी होनी चाहिये, अगर यह सडक नहीं बनेगी तो लोगों को बहुत आवागमन में असुविधाएं हो जावेंगी। भीलवाडे की तरफ तो अभी ४-५ मील का टुकडा बना है मगर उधर और · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री सदन में पान खा सकते हैं ?

श्री सभापति : इस संबंध में पहले व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री रामकिशन : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री सभापति : जानकारी विधान सभा सचिवालय से कर लें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ब्यावर, भीम, कामली-घाट की तरफ सडक पर इतने मोड पडते हैं और इतनी ऊंचाई से होकर सडक जाती है उसमें मोड के कारण कई एक्सीडेन्ट हो जाते हैं । अगर माननीय मंत्री इस तरफ ध्यान देंगे तो इस प्रकार के एक्सीडेन्ट होने से बचाया जा सकेगा । साथ ही साथ जो ब्यावर, बदनोर के बीच में सडक है उसको भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने का था । उधर बदनोर से आगे भीम की तरफ माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि फेयर वेदर रोड है अगर इसको ब्यावर-बदनोर-भीम नेशनल हाईवे में मिला दिया जावे तो सीधा पडता है और जो असुविधाएं लोगों को हैं वे भी टल जावेंगी ।

इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रामपुरा की तरफ भी ७ या ८ मील का टुकडा बन चुका है । मगर इसके साथ साथ ब्यावर, करेडा, आसीन्द की मंडी में है उनको मिलाना है । गंगापुर से करेडा रोड को आसीन्द तक मिला दें । आगे ब्यावर को रोड मिल जावेगी और इस से तीनों मंडियें मिल जावेंगी और इसी तरह से आवागमन के साधन भी बढ जावेंगे और उससे इस क्षेत्र की तरक्की हो सकेगी ।

दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि आज-कल सडकें जो बनती हैं वे ठेके से बनती हैं और ठेकेदार इस प्रकार की सडकें बनाते हैं कि आगे सडक बनती जाती है और पीछे से साफ होती जाती है । समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये सडकें बनाई जाती हैं । अगर एक मील सडक आगे बनाई जाती है तो पीछे की सडक टूट कर बरबाद हो जाती है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो सडकें आज कल कोन्ट्रेक्टरों से बनाई जाती हैं वे बहुत जल्दी टूट जाती हैं, इसके लिये किसकी जिम्मेदारी है । मैं यह कहूंगा कि पिछले साल उधर एक सडक बनवाई थी । अब अगर उस सडक की हालत देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें बहुत बडे बडे गड्ढे हैं और इस वजह से उस रूट पर चलने वाली नई मोटरें, मोटरवालों की एक ही साल में बेकार हो गई । पहले जो सडकें बनती थीं उनको पांच-पांच, दस-दस साल तक रिपेयरिंग की जरूरत नहीं होती थी ।

दूसरी बात यह है कि जो फेयर-वेदर रोड्स पहले की बनी हुई हैं और जिन पर हजारों रुपये लगे हुए हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । बदनोर से भीम तक फेयर-वेदर रोड है आज से आठ-दस साल पहले बनी थी, उसी प्रकार दूसरी फेयर-वेदर रोड्स भी हैं । सरकार को चाहिए कि उनकी मेन्टीनेन्स के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाये जाने चाहिये । इसी प्रकार पुलियें वगैरह भी बनने चाहिये । अगर ये नहीं बनते हैं तो भी सडक बनती है तो वर्षा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में खराब हो जाती है और उससे आवागमन के साधन रुक जाते हैं । इसलिये इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

अब मैं वर्क चार्ज पर जो लोग काम करते हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका फिक्सेशन होना चाहिए । उनका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है । बहुत से आदमियों को परमानेन्ट नहीं किया गया है, जिनको आज ८-८ और १०-१० व १५-१५ साल काम करते हो गये हैं । इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने से उन लोगों में बडा असंतोष है । इसलिये जो लोग वर्कचार्ज स्टाफ के हैं और पी. डब्ल्यू. डी. में काम करते हैं उनके लिए भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिये जिस प्रकार दूसरे सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिये होती है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order, Sir. Some body has crossed the floor from this side.........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : I stand liable, Sir. But the Hon'ble Member is so sensitive about this position.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: The House is going on and he has crossed.

श्री निरंजननाथ आचार्य: It is a matter of comfort to the Member and if he so demands, I can go there.

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, अब मैं थोडा वर्कचार्ज के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : He may jump to that side

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो मजदूर ओन ड्यूटी, भीलवाडा के पास में सडक कूटने के एंजिन से मर गये । उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं । वे सडक कूटने का एंजिन ले कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे । वे एंजिन को खडा करके रात को सो रहे थे । एक ट्रक रात को उस एंजिन से टकराया और उस एंजिन से दब कर दो मजदूर मर गये । एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को एप्रोच किया गया तो कहा गया कि मोटर ट्रक का धक्का एंजिन को लगा, इसलिये मोटर ट्रक का मालिक कम्पेन्सेशन देगा । इसके लिये जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह तो की ही गई है, दावा तो किया गया पर सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार से लोग ओन ड्यूटी हों और मर जायं उनको कम्पेन्सेशन कानून के तहत तुरन्त देना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोडा सा निवेदन और करूंगा । आसींद में थाने की बिल्डिंग है उसके बारे में निवेदन कई बार किया गया है कि थाने की कोई बिल्डिंग नहीं है, शिवजी के मंदिर में थाना लगा रखा है और जो मुल्जिम वगैरह आते हैं उनके सम्बन्ध में पूछ-ताछ और पुलिस वाले जो हरकतें करते हैं वे सब वहां की जाती हैं ।

एक माननीय सदस्य : पुलिस वाले क्या हरकतें करते हैं ?

श्री सभापति : मुल्जिम भी झूंठ नहीं बोलेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शिवजी के मन्दिर में ये हरकतें होती हैं इसलिये विरोध है । शिवजी के मन्दिर के बाहर हों तो भी ऐतराज होनाचाहिए, यह क्या आर्ग्युमेंट है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is habituated to interrupt, Sir.

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब थाने वगैरह बनवाने का प्रबन्ध कर रहे हैं और वहां ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें दूसरी जगह थाना ले जाकर रखें, तो इस असुविधा को दूर करना चाहिए । थाने को शिवजी के मन्दिर में लगा रखा है, इसके लिये बिल्डिंग की व्यवस्था की जाय ।

मैं उप-शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि होस्टल्स, मिडिल स्कूल्स वगैरह बनाने का प्रावधान रखा है पर गांवों के लिये एक भी हायर सैकेन्डरी स्कूल, होस्टल, मिडिल स्कूल, गर्ल्स स्कूल वगैरह की बिल्डिंग के लिये एक पैसे का भी प्रोविजन नहीं रखा है । यह सौतेला व्यवहार सरकार गांव वालों और शहर वालों के बीच में करती है । यह न्याय-संगत नहीं है, पहले भी इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया गया पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । ५० प्रतिशत तक पैसा गांव वाले अपनी तरफ से लगा कर ६०-७० हजार की हायर सैकेन्डरी की बिल्डिंग्स बनाते हैं पर गांवों में गवर्नमेंट ने कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल, होस्टल वगैरह की बिल्डिंग नहीं बनाई है, यह गांव वालों के साथ न्याय नहीं है । इसी प्रकार गांवों में जहां हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं वहां साइन्स क्लासेज खोलने की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

इसी तरह हैल्थ सेंटर में क्वार्टर्स वगैरह गांवों में बनाने पड़ते हैं, इनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है, इससे असुविधा होती है । आसींद क्षेत्र के गांव वालों ने १० हजार का कांन्ट्रिब्यूशन दिया तो सरकार को भी १० हजार देना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मोहनलाल सारस्वत ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : सभापति महोदय, निर्माण विभाग का अलग अलग शीर्षकों पर मारा १० कटौती प्रस्ताव हैं । इं डिपार्टमेंट में जीं में के सारा का सारा राजस्थान का काम और सडकों के संबंध में थोडी सी में आपके सामने में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी सूं अर्ज करूं, नई सडकां बणाण की तो वां की योजना है, वां सडकां की कद मंजूरी होसी, आपत्तिकालीन स्थिति बता के, धन की कमी बता के अभी निर्माण मंत्रीजी कह देवे के रुपयां की कमी है, नई सडकां बणणी मुश्किल है । फेर भी जका जका करोडां लाखां रुपया लगार पहली बणियोडी है वां की मरम्मत तो सर्वप्रथम करणी चाहिजे । जकी सडकां पहली बणियोडी है वां पर साल में एक पीसो भी लागे नी और वां सडकां की इसी स्थिति हो रही है कि जका लोग रात-दिन आवे-जावे है, बहुत मुसीबत को सामनो वांने करणो पडे है । तो मैं माननीय सभापति जी, आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी सूं अर्ज करूं हूं के जकी रोड बीकानेर सूं

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
दिल्ली की हाईवे है वीं की मरम्मत कराण रो वचन आज हाउस में देवेगा। वीं सडक पर लाखों रुपया लागोडा है और गोडा गोडा सूदा खाडा पडियोडा है, वां गोडा गोडा सूदां खाडां में एक भी आदमी रो आणों-जाणों मुस्किल है। नई सडकां बणा रया हो, मिट्टी कुटवा के, तारकोल नहीं चुरू सूं रतनगढ की सडक बण रही है, वीं की आ स्थिति है के साल सूं ज्यादा चालणवाली नहीं है। जकी पहला बणियोडी है वां की मरम्मत नहीं होवे, जो नई बणे हैं वा पर तारकोल नहीं होवे तो मैं आ अर्ज करनी चाहूं हूं के जका पुराणी सडकां बणियोडी है वां पर ध्यान देणों चाहिये।

अब दूसरी बात अस्पतालां की बाबत कहणी चाहूं हूं। चूरू जिला में अनेक अस्पताल बणियोडा है, वां में बीदासर अस्पताल की स्थिति आ है के मिनख खडो नहीं हो सके, सालाना मरम्मत होवे नहीं, सौ दो सौ रुपया लागे वे बीच में ही खतम हो जावे। तो जका अस्पताल वगैरह बणियोडा है वां की मरम्मत कराणी चाहिजे। कलेक्टर साब की बिल्डिंग मारे चूरू में बणियोडी है, कई बार निर्माण मंत्रीजी ने लिखर दियो के वीं में जो सामान लागियो है वो बहुत नीचे दर्जे रो है, कन्स्ट्रक्शन गडबड को है। जका कन्ट्रेक्टर बिल्डिंग बणाई वीं की पूरी की पूरी जांच वाने कराणी चाहिजे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को काम सारा राजस्थान का निर्माण को काम है। वीं में छोटा-छोटा जका प्रोपोजल दिया जावे वांने आपत्तिकालीन स्थिति कह के टालणा नहीं चाहिये। बीकानेर में जठे जठे रेलवे क्रोसिंग है वां पर इसी स्थिति है के रेलवे वाला दोनूं तरफ लकडा गाड राखिया है, बडी तकलीफ होवे लोगों ने आण जाण री। वां क्रोसिंग पर अच्छी तरह लोग आ जा सके, इस्यो प्रबन्ध करणो चाहिजे।

अब मैं कुछ वां रोडां की बाबत कहणी चाहूं हूं·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य मारवाडी में रोडां शब्द नहीं होता, सडकां हो सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : रोडा भैंस को कहते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : चारूं तरफ रोडा ही रोडा दीखे हैं।

(विराम)

तारकोल को नाम ही कोनी, नयोडी मारे बीकानेर में बनी है वां पर। तो सभापति महोदय, मैं आपरी मार्फत मंत्री महोदय सूं अर्ज करणो चाहूं हूं के सुव्यवस्थित रूप सूं ईंको प्रबन्ध करावें। रुपया पीसां की कमी हुआं भी जका बजट राजस्थान में पेश होवे वी में पुराणी सडकां री मरम्मत का पीसा तो जरूर लगाणां चाहिजे।

नेशनल हाईवे बीकानेर टू आगरा बणण वालो है, वीं को काम भी बिलकुल पाछली साल होणां की बात ही, ईं साल होणां की बात ही, दो साल तो गुजर गया। मांका डिविजन में ५ मील को भी कोई टुकडो तैयार होयो नहीं। तो मैं निर्माण मंत्रीजी सूं अर्ज करूंला के वे ईं काम ने जल्दी ही प्रारम्भ करावे।

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

एक बात आ केणों चाहूं हूं के म्हारे अठे एस. डी. ओ. की बिल्डिंग की बडी जरूरत है, वा अबार धर्मशाला में है, धर्मशाला में दफ्तर ले राखियों है तो आबा जाबा वाला यात्रियां ने बडी मुसीबत रो सामनो करणों पडे है।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मारी पार्टी को दस मिनट को समय है। और कोई भाषण देबा वाला नहीं है मारे सिवाय।

श्री सभापति : प्रारम्भ रखिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कौनसी पार्टी है आपकी ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : निर्दलीय, जो सर्वोत्तम है आपके हाउस में।

तो निर्माण मंत्रीजी को ध्यान जको काम चूरू जिला में हो रह्यो है और पोल हो रही है बीं की तरफ दिलाऊं। एक बात है के निर्माण मंत्रीजी बीकानेर डिवीजन की तरफ ध्यान कोनी दियो। बहुत संजिदा है और प्यारा है। हरेक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने है। अब तक मारा डिविजन में काम करयो नहीं। १ साल बीत गयो और दूसरो साल शुरू हो गयो। मारा जिला में कोई दौरो करियो नहीं। बहुत बडो ओलम्बो वाने देऊं के बीकानेर डिविजन की ओर वाने पूर्ण रूप सूं ध्यान देणो चाहिजे। जको बिल्डिग्ज अपूरण पडी है वांके वास्ते कहूं। रतनगढ हायर सैकेन्डरी स्कूल अधुरो पड्यो है। पांच-चार कमरा और बणा दे। रतन-नगर के स्कूल की यह हालत है और बीं के सिवाय मारे अठे गंदे पानी को नालो है, जणी में लाखां रुपया पी. डब्ल्यू. डी. और सेठ साहुकारां द्वारा लगाया है। पांच-दस पानी निकास का नाला आपसी दलबन्दी सूं रोंक दिया है और कई दर्खास्तां जनता की ओर सूं स्वायत्त शासन मंत्री जी ने और निर्माण मंत्रीजी ने भेज चुक्या। बीं ने पूरी करवा वोगा और नाला ने आगे ले जाने की बात हो तो वींने जरूर ले जावो।

चूरू रोड वां की सोचनीय दशा है। रतनगढ की रोड है। बीं की आ स्थिति है कि आदमी जा-आ नहीं सके है।

मूं आपको ध्यान दूसरी रोडां जको बणयोडी है वां की तरफ आकर्षित करूं। एक माननीय सदस्य कह्यो के कोटा और झालावाड में सडक की दिक्कत है और आबा-जावा में दिक्कत है। निर्माण मंत्रीजी या तो दिखावा के वास्ते राखी होगा। बीं रोड पर गडबड कम जने है।

बीकानेर डिविजन में रोड बणो है जींकी मरम्मत कर सके नहीं, जो नया काम करे पूरा होवे नहीं। पहले जको स्थिति थी वही हो जावेला। बीं वास्ते आपके द्वारा मंत्रीजी सूं निवेदन करूं के जको काम शुरू कराओ ऐसी नींव डालो के जो १०० बरस तक चाले।

पांच-दस मील की रोड राजलदेसर-रतनगढ टाउन के बीच है, आगरा और दिल्ली के नेशनल हाईवे में होता थकां भी काम शुरू हुओ नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समय समाप्त हुआ । श्री अब्दुल जब्बार ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : सभापति महोदय,····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय,····

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, आपका नाम सूची में है लेकिन एक शर्त के साथ लिखा हुआ है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शर्त की बात नहीं होगी । मैं बोलूंगा ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : सभापति महोदय, रोडवेज के सम्बन्ध में काफी चर्चायें सदन में हुई । उसके सम्बन्ध में खास तौर पर मैं सरकार का ध्यान ७ अप्रेल, १९६१ को केन्द्रीय यातायात मंत्री, श्री सुब्बाराव की ओर ले जाना चाहता हूं, जिन्होंने यह चाहा था कि यातायात का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं जचता और हो सकता है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य को कुछ लिखा हो । यह तो मंत्री महोदय अपने जवाब के दौरान में बतायेंगे कि क्या सूचनायें आयीं और उन पर सरकार ने क्या विचारधारा बनायी । इस सम्बन्ध में अधिक न जाते हुए मैं इतना कहूंगा कि हजारों आदमियों के होठों की मुस्कराहट को छीन कर यातायात के राष्ट्रीयकरण को बनाते वक्त सरकार को सोचना चाहिये था कि जिन लोगों की मोटरें बन्द करके राजकीय मोटरें चलाया जा रही हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? मेरे पास कुछ प्रमाणित-पत्र पत्रिकायें, जो कुछ समझा जाय हैं । ४-१२-६१ को इस प्रकार की सूचना प्रकाशित कर दी गई कि उनको दूसरी लाइन पर मोटरें चलाने का मौका दिया जावेगा लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि उन दरख्वास्तों का जो मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार को पेश की गई थीं बतायीं १-३-६२ तक कुछ नतीजा नहीं निकला । ६३ का सवाल आ रहा है । मोटरों के परमिट नहीं मिलते । साथ साथ यह देखने में आया है कि जब उनकी मोटरें बन्द की गई राजस्थान सरकार ने चलाने की बात की तो उनके लिये सोचना चाहिये था कि वे अपना काम कैसे चलायेंगे । लोंग रूट जयपुर से अजमेर, जयपुर से दिल्ली और जोधपुर, लोंग रूट पर गाडियां चलती हैं, बीच में पेसेन्जर पडे रहते हैं । सरकार यह मानती है कि गाडी की कमी है और इमी जियेटली कोटा नहीं मिलता । ७० गाडियां चाहिये और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है । एक तरफ मार्केट की मजबूरी है । सरकार मजबूरी बताती है और दूसरी तरफ यह स्थिति है कि पेसेन्जर रास्ते में खडे रहें, उनको बैठने का मौका न मिले । गरीब मोटर वालों को परमिट नहीं दिया गया या संकोच किया गया या बाधायें उपस्थित की जाती हैं । मेरा यह निवेदन है कि बीच के रास्ते का परमिट दे दिया जाय । यहां से दूदू तक दे दिया जाय । उनकी रोजी चल जावेगी, धन्धा चल जायेगा । आज की संकटकालीन स्थिति में एक नये पैसे को दांतों से सरकार पकडना चाहती है । जनता को भी मजबूर नहीं करना चाहिये कि वे अपने पेट पर पत्थर बांध कर रातें गुजारें । मंत्री महोदय अवश्य इस पर विचार करेंगे ।

इसके अलावा राजस्थान रोडवेज के सम्बन्ध में एक छोटी सी पुस्तक मिली है,

(श्री ग्रब्दुल जब्बार)

परिचय ग्रन्थ कह दूं तो ताज्जुब की बात नहीं होगी । सुन्दर प्रिन्ट छपा है । यह कहा गया कि वर्कशाप हैं और रिपेयरिंग होती है । साथ साथ ऐसी चीज पढने को मिली है और सुनने को मिली है कि कमल एन्ड नाम की कोई वर्कशाप है जहां राजस्थान रोडवेज की मोटरें दुरुस्त होती हैं और काफी पैसा उसको दिया जाता है । इसके सम्वन्ध में एक माननीय सदस्य ने चैलेन्ज किया था और क्या क्या एडजेक्टिव्ज लगाये । इसके विषय में एस्टीमेट कमेटी के सामने चर्चा आयी । रोडवेज की मोटरों की रिपेयर करते हैं । लम्बी-चौडी लिस्ट है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीरावाद) : सम्माननीय सदस्य जो प्राक्कलन समिति का जिक्र कर रहे हैं वह रिपोर्ट क्या पब्लिश हो गई है ?

श्री अब्दुल जब्बार : उसको सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

श्री सभापति : नहीं, तो आप नहीं बोल सकते थे ।

श्री अब्दुल जब्बार : सभापति महोदय, इस तरह से जो चीजें सामने आयी हैं प्राईवेट वर्कशाप्स में मोटरें दुरुस्त होती हैं इससे राज्य का पैसा व्यर्थ में जाता है । जब आपने लम्बा चौडा बिजनेस चला रखा है तो उसके लिए एक छोटा सा वर्कशाप चालू नहीं कर सकते ? ट्यूब टायर तो आपके पास रहते ही हैं मामूली से औजार और चाहिये आप अपने यहां ही वर्कशाप चालू कर सकते हैं ।

अब मैं सैद्धान्तिक वात पर आता हूं राष्ट्रीयकरण के संबंध में क्या आपने कोई कमेटी बना रखी है जो इस बात को देखे कि कौन से रूट को राष्ट्रीयकरण किया जाय और कौन से को न किया जाय । जिले के हैड क्वार्टर्स या सब-डिवीजन हैं इन्टर स्टेट्स के साथ साथ जो रोड्स बनी हुई हैं उसका सब का ख्याल रखा जाता है । मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं वह इलाका मध्य प्रदेश के बोर्डर पर है वहां डेली १२ बसें मध्य प्रदेश से आती हैं परन्तु राजस्थान स्टेट रोडवेज ने एक भी मोटर को उस तरफ ले जाने का साहस नहीं किया । जब कि उदयपुर ले जाने के लिये भीलवाडा से १९ गाडियां हैं । इससे मालूम होगा भीलवाडा के अन्दर अच्छी खासी जमात बसों की हो जाती है । भीलवाडा से उदयपुर वाया कपासन तो यह निकल गया, वह लाइन चालू होगी तो उस वक्त क्या होगा । इस महीने में उस रोड पर एक आदमी मय ट्रक के मारा गया मोहनलाल, जिसका नाम था जाति से ब्राह्मण था उसके ऊपर ट्रक के पत्थर आ गये । इसी तरह की आपकी हालत बनने वाली है अगर आपने वहां रोडवेज शुरू की । रोडवेज की वस के चलते ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह एरिया ऐसा है जहां छोटे छोटे गांव हैं । गवर्नमेन्ट इसको टालना चाहती है । वे ऐतराज करते हैं कि कमेटी इस बारे में निर्णय नहीं लेती है । चित्तौड से उदयपुर वाया मंगलवाडा पक्का रूट बना हुआ है, इस पर राज्य सरकार ने काफी पैसा खर्च कर रखा है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया । प्रतापगढ से भीलवाडा मोटर नहीं चलती है जब कि मध्य प्रदेश की रोडवेज चित्तौड तक आती है । नीमच से प्रतापगढ चित्तौड के बीच में रन करती है, लेकिन अपने अधिकारियों को जिन्होंने ३५ लाख

(श्री अब्दुल जब्बार)

रुपये का बजट बना दिया किन्तु इस रूट को मौका नहीं मिला । राजस्थान का सपूत बेटा कहा जाय तो वह रोडवेज ही है। लेकिन साथ साथ हम यह भी मानते हैं कि इतनी कमाई करने वाले पर निगरानी भी रखी जाय। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जिस रूट पर इन्फ्लूएन्शल आदमियों की मोटरें चलती हैं उनको किसी प्रकार से भी छेडा नहीं जाता । इसका प्रहार होता है तो गरीब मोटर मालिकों पर जो हायर पर्चेज पर गाडी लाते हैं । आज उनका केपीटल डैड हो गया, इसलिये सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस किस्म के रास्ते हैं उन पर विचार किया जाय ।

चित्तौड से बूंदी फर्स्ट क्लास रास्ता है । मोटरों में लोग खडे खडे जाते हैं यदि इस पर बस चलायी जाय तो लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है। चित्तौड से बूंदी फर्स्ट क्लास रूट है आगे जाकर मध्य प्रदेश से वह रास्ता मिलता है और काफी तादाद में पेसन्जर्स मिलते हैं ।

निम्बाहेडा से उदयपुर ६४ मील का डिस्टेन्स है इस पर आप तुरन्त रोडवेज की बस चला सकते हैं । इस रूट के बारे में माननीय मंत्री महोदय के सामने अर्ज करूं अगर कोई आदमी उधर से मोटर निकाले पास में खडा रहने वाला यदि दस बार वहां खडा रह जाय तो उसको टी. बी. हुए विना नहीं रहेगी । क्योंकि उस सडक पर आपने नया पैसा भी नहीं लगाया । १४ साल हो गये मंगलवाड, धीनवा, डोरिया इन में होता हुआ जो मार्ग जाता है उसमें इतने बडे बडे गड्ढे हैं अपनी असेम्बली हाल की छत से और ग्राउन्ड से जितना डिस्टेन्स है उससे करीब ५० परसेन्ट डिस्टेन्स के गढारे हैं । बताइये वहा पर वे कैसे जा सकते हैं। गढारे हम दिन रात देखते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है इतने उन्डे-उन्डे रास्ते हैं ।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो कमाई के रास्ते हैं जो पैसा देने वाले हैं । सरकार जहां चाहती है समाजवादी समाज की रचना हो तो वैसी हालत में जनता पर टैक्स न बढाये जायं, जनता के साथ सद्व्यवहार हो, उनको अच्छा धंधा दिया जाय । सरकार जब चाहती है कि नोन टैक्सेबल रेवेन्यू बडे, नोन टैक्सेबल रेवेन्यू बढाने के लिये नेशनेलाइजेशन ऑफ रोडवेज एक तरीका है ये सोर्सेज हैं जिनके द्वारा आप इन्कम बढा सकते हैं। दूसरी जगह आप चाहे नेशनेलाइज्ड बसेज न भी चलावें, लेकिन जहां आपने चला रखी है उनको मजबूती के साथ पकडे रहें । यदि आपने ऐसा किया तो राजस्थान के लोगों को, यकीनन मानिये, राहत मिलेगी ।

मैं इस बारे में थोडे सजेशन अर्ज कर देना चाहता हूं । जहां अपना बुकिंग आफिस है वहां इस बात की कोशिश की जाय कि वहां रेलिंग लगाया जाय ।

बुकिंग आफिस के पास बैठने की जगह नहीं है, वहां खडे खडे पैर दुख जाते हैं । इसलिये वहां पर बैठने की व्यवस्था की जाय ।

इसके अलावा जो बसों के अन्दर हिदायतें लिखी हुई हैं उनमें एक प्रकार से हिन्दी की मजाक उडा रखी है; जहां "धूम्रपान मत करिये" लिखा होना चाहिये वहां

(श्री अब्दुल जब्बार)
"धूर्मपान" लिखा हुआ है। इस तरह की हिन्दी की हालत कर रखी है। हम जब बसेज में बैठते हैं तो यह हमें अखरता है। हम भी सोचते हैं कि यदि खड्डी या और चीज होती तो हम ही मिटाकर ठीक कर देते।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : यह तो नये शब्द कोष में लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखा गया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप जब से डिप्टी मिनिस्टर बनें हैं इस प्रकार के शब्द प्रयोग में आने लगे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप यह लिखे हुए को सही मानते हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : भाषा विज्ञान ऐसा विकट है जिसमें क्या शुद्ध है या क्या अशुद्ध, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री सभापति : यह तो आपके समक्ष में नहीं आ सकता।

श्री अब्दुल जब्बार : व्याकरण और शब्दकोष के लिहाज से तो यह गलत है। चाक होती तो मैं ही मिटा देता। हम मिटा नहीं सकते इसलिये मैंने सजेशन बुक में यह दर्ज कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(३.०० म. प.)

अब मैं मोटर कर्मचारियों के बारे में अर्ज करूंगा। मोटरों के कर्मचारी आम तौर से कहते हैं, उनकी आपस में जो बातें होती हैं वे सुनते हैं तो मालूम होता है, वे कहते हैं कि इन्सपेक्टर और ड्राइवरों के रेंक बराबर हैं। इसमें फर्क होना चाहिये।

साथ ही यह भी बतलाया है कि जैसे टी. टी. चलते हैं रेल में, उसी तरह से मोटरों में कन्डक्टर्स हैं, ड्राइवर हैं, खलासी तो हैं ही नहीं, तो उनको माइलेज मिलता है। इसी तरह से इन मोटरों में चलने वाले ड्राइवरों, कन्डक्टरों आदि को भी माइलेज मिलना चाहिये। जैसे जयपुर से अजमेर और अजमेर से जयपुर १६४ मील का सफर उनका हो जाता है। उनको बैठने उठने की कई तरह की तकलीफें सफर में होती हैं तो इसके लिये माइलेज उनको मिलना चाहिये। एक एम. एल. ए. बैठकर जाता है, गजेटेड अफसर और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाते हैं तो उनको एक आना इन्सीडेन्टल चार्जेज के मिलते हैं। एक आना पर मील। तो फिर इन गरीबों को क्यों नहीं राहत दी जानी चाहिए। जोधपुर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से कोटा, जयपुर-अलवर, दिल्ली, बहुत दूर दूर जाते आते हैं और पेंट उनकी नीचे से ऊपर तक गीली हो जाती है, गर्मी बरसात सरदी में वे कभी बैठते हैं, कभी खड़े रहने की नौबत आ जाती है, तो थककर चूर हो जाते हैं तो अगर ऐसे डिजर्विंग केस में भी आप उनको माइलेज नहीं देंगे तो यह हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यह मानवता के साथ अन्याय होगा। वे चाहे मोटरों के कर्मचारी हों, चाहे सेक्रेटेरियेट के। मानवता के नाते भी सबको यह माइलेज मिलना चाहिए।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मेरे भी कुछ कटौती के प्रस्ताव इस मांग पर हैं।

इसके पहले कि मैं कटौती प्रस्तावों की बात करूं, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि यह डिपार्टमेन्ट सरकार के अन्दर अपना एक महत्व रखता है।

आज इस विकास और योजनाओं के काल में से जब राजस्थान गुजर रहा है तब यह विभाग एक महत्वपूर्ण पार्ट इसमें अदा करता है। आज मैं यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि एक तरफ वह डिपार्टमेन्ट है जो केवल खर्चा ही खर्चा कराता है, और एक तरफ यह है जो राजस्थान का निर्माण करता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढाने वाला है। तो हमारी पंचसाला योजनाओं में यह एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने वाला विभाग है।

अब हमें यह देखना है कि आप इस निर्माण विभाग में जनता की आकांक्षाओं को कैसे मूर्त रूप देते हैं। मैं कह सकता हूं कि आज इस तीसरी योजना काल तक जो कुछ भी हमें सारे राजस्थान में देखने को मिलता है, चाहे उसके बारे में कुछ शिकायतें हों, मैं उन शिकायतों से इनको बरी नहीं करना चाहता, पर फिर भी यह सही है कि साल-दर-साल जो कदम इस विभाग ने रक्खे हैं वे भविष्य में आने वाली सन्तति के लिये भी पक्के कदम होंगे। इसलिये मैं इस महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ और भी अधिक गौर से देखें और एक सहानुभूतिपूर्ण रुख इनकी तरफ रखें।

मैं यह भी कह सकता हूं कि इस निर्माण विभाग के द्वारा आज राजस्थान में ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जो करप्शन होता है उसके लिये इनका सबसे ऊंचा नाम है। काम की दृष्टि से इसके महत्व की बात तो मैंने बता दी, पर चाहे अंग्रेजों का राज्य रहा हो, चाहे आज का, इस विभाग में एक तरह का लीगेलाइज्ड करप्शन है। हमारे पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने भी बार-बार इस विभाग का जब जब जिक्र आया है तब तब यह कहा है।

मतलब यह कि राजस्थान का ही यह हाल हो, और यहां करप्शन हो इस विभाग में ऐसी बात नहीं है अंग्रेजों के वक्त से और आज भी सभी जगह सारे देश में इस विभाग का यह हाल है। उनकी एक व्यवस्था है कि इन्जीनियर और कॉन्ट्रक्टर का जो कुछ उनका बन्धा हुआ है उसको तो वे अपना एक कदीमी हक समझकर लेते हैं। इसमें उनको हिचकिचाहट नहीं है।वे बुरा भी नहीं मानते। इस प्रकार की प्रिसीडेन्ट और तरतीब सी इस विभाग में बनी हुई है। पर कई मर्तबा उसके ऊपर भी स्थितियां आती हैं तो चिन्ता का विषय बन जाता है और इसको मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि आप जब से यहां इस विभाग में आये हैं मेरा अनुभव यह है कि जब जब आपकी निगाहों में ऐसी बातें लाई गई हैं तब तब आप उस पर एक्शन लेने को तैयार रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज आपके इस विभाग के महत्व को सभी माननीय सदस्य समझते हैं और अपनी अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में क्या क्या निर्माण कार्य कराने आप जा रहे हैं, उसको देख देख कर वे खुश भी होते हैं।

पर अत्यन्त खेद के साथ कहना पडता है कि हम हाथ उठाकर आपकी मांगों को पास करवाकर, अपनी अपनी कान्स्टीट्युएन्सी की निर्माण की बातों को लेकर, आपके छपे हुए रिकार्ड को लेकर जब अपनी अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में जाते हैं और अपने लोगों के सामने कहते हैं कि हमारी सरकार ने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
हमारे क्षेत्र में यह निर्माण करने का ये सडकें निकालने का तै किया है। तो लोगों को आशायें बन्धती हैं। और आपके इन रिकार्डो के बलबूते पर हम भी उनको जोर देकर उम्मीदें दिला देते हैं।

पर इधर से बिखरे और फिर पीछे आपके यहां क्या मामला होता है कि जिस बजट को पास करवाने में डेवलपमेन्ट और एमर्जेन्सी की दुहाई दे दे कर हम मंत्री महोदयों को सहारा देते हैं, इन मन्त्रियों के पीछे हमारे हाथ होते हैं और हम भी यह महसूस करते हैं कि हमने कुछ किया। उस बजट की पवित्रता और महत्व को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखते हुए सारे डिपार्टमेन्टों में एक कट नामकी चीज चली है। यह क्या बला है, मैं नहीं जानता। पर यह सुनने को मिलता है कि निर्माण विभाग में यह कट होगा वह होगा। हम निश्चित रूप से अपने पीछे ऐसी चीज छोड जाते हैं जिनके निर्माण से हमारा गौरव बढेगा, इस निर्माण विभाग द्वारा उसमें जब कट करने की बात आती है तो बडे दुख की बात यह होती है। फिर यह भी कह दूं मैं कि उस का कट नहीं होता जिसका कोई महत्व नहीं पर महत्वपूर्ण विभाग में आप कट कर देते हैं यह उचित नहीं।

हमें पता लगता है कि ३० परसेन्ट काम इस विभाग में जो हो गया है उसको चालू रखना चाहिये। इस तरह के सर्कूलर्स आप के निकलते हैं और वित्त मन्त्रालय कट करके आपको लिखता है। अजीबो गरीब सर्कूलर्स हैं ये। उनमें लिखा जाता है कि जो ३० परसेन्ट काम हो गया है उनको तो पूरा कर दिया जावे, पर जो शुरू करने हैं उनको शुरू नहीं किया जावे।

हम खुशियां मनाते हैं, आपके द्वारा दी हुई किताबें और प्रोग्राम ले जाते हैं और गांव वालों को कहते हैं कि यहां सडक बनेगी यहां स्कूलें बनेंगी, हम पास करके आये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मिनिस्टर महोदय से कि अगर इस तरह की स्थिति है कि इसमें कट होगा तो मैं आपसे बाअदब गुजारिश करूंगा कि आप इस सदन को इस तरह भुलावा न दें और विशेष तौर से इस निर्माण विभाग के लिये। आप इसमें किसी तरह का कट न करें।

तो मैं कहता हूं कि उस ३० परसेन्ट का क्या होता है। जहां पर हमने देखा, जिस तरह की आज सरकार है, मंत्री या सरकार में अमुक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो उनकी जगहों में तो काम शुरू हो जाते हैं तीस परसेन्ट वहां पहुंच जाता है, और बाकी रह जाते हैं। तो यह तीस परसेन्ट का सर्कूलर बन्द करिये। आपने सारे राजस्थान के विकास का इरादा जाहिर किया है। हां, यह बात आपकी समझ में आ सकती है कि जहां तीस परसेन्ट काम कराया है उसको भले ही बन्द रक्खें पर जो नये शुरू होने हैं वे सारे शुरू करेंगे। तो तसल्ली होगी हमें।

पर कट का आपका यही तरीका है तो सारे राजस्थान में विकास कार्यों में रुकावट पैदा हो जाती है और निन्दा हम इस बात के लिये करते हैं कि जो महत्वपूर्ण मेम्बर हैं उनके यहां काम शुरू हो जाता है। और उसको पूरा करने के लिये सारे रुपयों को उधर आप डाइवर्ट कर देते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह के सर्कूलर बन्द करिये। हमें एक तरफ वादा देकर दूसरी तरफ से ऐसे सर्कूलर निकाल कर हमारी

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)
पीठ पीछे से काम मत करिये। हम बहुत बार देख चुके हैं आपकी ये बातें। मैं आप को आगाह करना चाहता हूं।

निर्माण विभाग में कोई भी कटौती नहीं करने दी जाय। अगर करी जाय तो ऐसी जगह करी जाय जहां पर काम हो गया है। जहां पर कोई काम नहीं हुआ है वहां कोई कटौती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस निर्माण विभाग के बारे में हर तरह से हम मदद करें इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे सुझाव ये हैं कि जहां पर आप के इंजीनियर हैं उस लेवल पर आप एसोशियेट करिये कुछ लोगों को जो पब्लिक के हों। उनको अधिकार कुछ नहीं होना चाहिये, केवल अधिकार यही होना चाहिये कि उन लोगों की जो कोन्सप्रेसी है वह टूट जाय। आपके विभाग में कान्ट्रेक्टर्स और दूसरे जिनके द्वारा बुराई पैदा होती है उस पर अंकुश करने के लिये आप कोई न कोई मशीनरी दीजिये। इससे आपको नुक्सान नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग के लिये अगर एडवाइजरी बाडी बन सकती है तो मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी निर्माण का काम होता है वहां भी उसी तरह से एसो-सियेट किया जाय जो देख रेख कर सके, जो लोग सही तौर से आपको खबर कर सकें, जो क्लर्क कहे जाने वाला है, उस पर लान्छन है तो उसको डिफेन्ड कर सकें, यदि लान्छन की स्थिति पैदा हो तो आपको खबर कर सकें इस तरह की मशीनरी जरूर बनानी चाहिये।

इसके साथ मैं कहूंगा कि इस सदन ने जो राशि रखी है उसके बारे में मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानता हूं। आपने सडकों के बारे में पिछली मर्तबा रखा लेकिन वहां बंदर के हाथ में तलवार देकर कट करने का काम शुरू नहीं किया जाय। आप उसको वैसा ही रखिये। मैं सही तौर से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका ३० पर्सेन्ट कट करने का सर्क्यूलर गलत है। जो कुछ हमने यहां पर पास किया है वह आपके पास थाती के रूप में है, आपके पास अमानत है, हमारे वोट से पास कराके ले जाते हैं उसमें कट मत करिये। यह पैसा कर्ज में नहीं जाता है, नौकरियों और तनख्वाह बांटने में नहीं जाता, तनख्वाह बांटने के लिये जिसको मुनीम बना रखा है उसमें कट हो सकता है; लेकिन निर्माण विभाग में कट नहीं हो सकता, निर्माण विभाग में कमी नहीं होनी चाहिये। आपके पास अमानत है। जो पास किया है उसके अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी आपने ली है, यदि आप वहां बैठे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा आपके मिनिस्टर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पास कराया है उसको पूर्ण करेंगे। ६ महीनों में या ८ महीनों में मैं मांग करता हूं कि आपने जो बजट में रखा था उसमें क्या प्रोग्रेस हुई हमको, हर मेम्बर को उसकी कॉन्स्टीट्युएन्सी के बारे में खबर दें कि जितना रखा था उसमें कितना आगे बढने का काम किया।

अब मैं इस पर आता हूं। अभी दूसरे डिपार्टमेन्ट के महत्व की बात कहीं, मुझे खुशी है, मैं सरकार की बहुत तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। आज सब की निगाह में रोडवेज है। सरकार ने जो ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइजेशन किया है उसके कुछ नतीजे हमारे सामने आये और मैं समझ

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

सकता हूं इस बात को, इसमें ऐसी पोटेन्शियेलिटीज थीं जिसमें आज हमारी वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने में बहुत बडा साधन हो सकता है। हर जगह यू. पी. में, पंजाब में, मेरा निकट से देखने का मौका रहा है क्योंकि मैं ड्राइवरों और मजदूरों की यूनियन में काम करता रहा हूं, अर्से से मेरी जानकारी में है कि किस तरह तंग रास्तों में से, किन गलतियों में से यू. पी. को निकलना पडा है और किस तरह पंजाब में नेशनेलाइजेशन निकला यह लंबा इतिहास है यह यहां से शुरू किया जाता है। कानून की पेचीदगियां हर सरकार के सामने हर जगह पैदा हुई हैं। जहां नेशनेलाइजेशन हुआ है इन पेचीदगियों पर धीरे धीरे सब सरकारों ने काबू पाया है। मैं समझता हूं हमारी सरकार भी उन पर काबू पायेगी, क्योंकि क्वासी जुडिशियल बाडी इस पर बैठेगी। कानून की रूह से सबको अधिकार है कि उसका उपयोग करे। वहां आपको भी आदमी की तरह सरकार को खडा होना पडता है और खडा होने के बाद जो भी कानूनी स्थिति होती है उसके अन्दर एक क्वासी जुडिशियल बाडी को फेस करना पडता है, इसके बावजूद भी आपने जो तरक्की की है उसका नतीजा आया है, उससे मैं समझता हूं हर माननीय सदस्य को संतोष हुआ होगा कि इससे नॉन टैक्स रेवेन्यू बढी है। हमको हर साल टैक्स लगाने पडते हैं। इस उम्मीद में निगाह गई है कि आज इससे जो आमदनी है उससे दो गुना या तीन गुना मुनाफा हमको मिलेगा, यदि पूरी तरह गौर के साथ आपने इस डिपार्टमेन्ट को चलाया तो।

मैं समझता हूं, आज सवेरे एक सवाल था, मैं जानता हूं किस पीठ पर खडा होना पडा है। २ साल पहले जैसे मैंने कहा था पी. डब्ल्यू. डी. राजस्थान में ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में करप्शन का स्रोत है, यह एक्सेप्टेड बात है जिसको गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया और पंडितजी भी कहते हैं। लेकिन इस रोडवेज में हमको पूरी तरह से यह देखना है कि आप किस पीठ पर खडे हैं। जितना क्रिटिसिज्म इस सदन में पिछली साल में हुआ है उस वजह से देखा जाय तो हमेशा इस डिपार्टमेन्ट के बारे में सारे सदस्यों द्वारा करप्शन और उसकी चर्चा सदन में होती रही है। दो साल पहले आपको मालूम हुआ होगा जब डिपार्टमेन्ट चालू हुआ, हाई कोर्ट में फैसले चलते हैं, एक तरह से सारा वातावरण गंदा हो जाता है, इस डिपार्टमेन्ट की वजह से जो फैसले होते हैं हमने इसके लिये जोर दिया कि नेशनेलाइजेशन कर दिया जाय। इस वक्त आपके सामने समस्याएं आई हैं, वे नेशनेलाइजेशन की समस्याएं हैं। जिस पीठ पर खडे हैं उसका इश्यू अभी आया था। मुझे मालूम हुआ कि यह दो साल पहले की बात है, फिर भी आपको इस बारे में ध्यान देना है। मैं मानता हूं कि यह जिस वक्त का किस्सा है उस वक्त ऐसे १०-२० किस्से थे जो कोट किया गया था, सभापति महोदय, वह आपके द्वारा किये गये थे····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): आनरेबिल सतीशचन्द्र जी ने कहा था, सभापतिजी ने नहीं।

श्री सभापति: सभापति को इसमें न घसीटें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं सतीशचन्द्रजी कह देता हूं····

श्री सभापति: आसन को बीच में न लावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आसन को अलग कर रखा है। मैं कह रहा था कि इस सिलसिले में जो अभी बात आई, जो सडान है उसको निकालने की कोशिश होनी चाहिये। जहां पर पर्सुएशन के ढंग से होता है तो उस ढंग से होना चाहिये। मेरे दिमाग में यह बात आई कि क्या अब भी उसी तरह से हो रहा है तो मुझे मालूम हुआ कि पुरानी चीज है जिस पर आपको चुप होना पडता है।

मैं समझता हूं, आप होशियारी रखें, इस तरह की चीज़ इस डिपार्टमेन्ट में कभी नहीं होनी चाहिये। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आर. टी. ए. के वर्किंग के बारे में सरकार को ताक़त मिली है, उसके अन्दर सुधार के लिये मैं कहता हूं कि उसमें जुडिशियल लोगों को लेना चाहिये, उनके हाथ में इसे देना चाहिये औरउसके आधार से ऐसा न्याय कराने की कोशिश की जाय जिससे कि लोग यह समझें कि यह न्याय करते हैं, जनता को लगे कि लोगों को न्याय मिलता है। मैंने ये जो सुझाव रखे हैं, उनके ऊपर विचार करें, यह मैं निवेदन करता हूं।

अब मैं कुछ सुधार की बात कहना चाहता हूं। आपके पास बहुत बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनमें मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है जो आपके यहां काम करते हैं। आज जब मालिकों की बात आती है तो यह समझ में आता है कि मालिक अपने स्वार्थों के लिये किस तरह मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि आप के मातहत जितने मजदूर काम करते हैं, उनकी तरफ़ आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मैं इसके लिए कह सकता हूं कि मेरी मज़दूरों से बात होती है और वे बताते हैं कि आपका उनके प्रति जो रवैया है वह कम से कम सुनने का है। उनका हित आप चाहते हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं वे दूर हों। उनको क्या चाहिए, वह मैं उनकी तरफ़ से मांग करता हूं। यहां पर यूनियनों के लिए कहा, मजदूरों के लिये कहा, मैं कहता हूं आप सारे मज़दूरों पर रहम करो। उनको एक हो जाने दो। ट्रेड यूनियन का एक मौलिक सिद्धान्त है कि मजदूर मालिक का तब ही सामना कर सकते हैं जब वे एक हो जायं। हम सब पापी हैं जो मज़दूरों को बांटने की बात करते हैं और उनको बांटने के बाद सरकार के सामने यह प्रश्न लाते हैं कि फ़लां पार्टी यूनियन को क्यों रिकॉगनाइज़ किया, फ़लां पार्टी की यूनियन को क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता हूं कि उन्हें इस माहोल से निकलने दीजिये, उनको छोड़ दीजिये, उन पर रहम कीजिये, उनको एक हो जाने के अन्दर मदद दीजिये। उन मज़दूरों को बांटने का काम करके आप उनकी कुसेवा करना चाहते हैं, और उनकी यह कुसेवा करके उनको दुःखी बना कर यूनियन बनाना चाहते हैं। मैं आपके सामने निश्चित रूप से यह मान्यता रखना चाहता हूं,अगर मेरी बात मान कर नहीं करना चाहते हैं तो सरकार की पोलिसी में आप विश्वास करते हैं, आप प्रान्त में निर्माण और विकास करके उसे आगे ले जाना चाहते हैं, पांच साला योजनाओं को और आगे बढ़ाने का विचार है तो मज़दूर संगठनों को आपको महत्व देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन ट्रेड यूनियन्स . . .

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): चाहे बहुमत हो तो उसके मनमाने तरीक़े से काम करने को मान्य करते हैं क्या?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं : आपने मेरे से आगे की बात कह दी। मैं वहीं आ रहा हूं।

मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि वहां पर कोशिश इस बात की कीजिये, वहां पर यह कहने की कोशिश कीजिये कि आप लेवल मत लगाइये। मैं भी यूनियन का चेअरमैन रहा हूं, वहां पर भी मैंने यूनियन के अन्दर इस चीज़ को ग़लत समझा और मैंने साफ़ कहा था कि एक यूनियन रखो तुम्हारी। आप भी कहें कि एक यूनियन रखो। लेकिन आज कल क्या रवैया हो रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग है जो पोलिटेरियट डिक्टेटरशिप के सिद्धान्त के अन्दर विश्वास करते हैं, वे इस एमर्जेन्सी के मामले के अन्दर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिस हिन्दुस्तान की हुकूमत और यहां की जनता ने डेमोक्रेसी के अन्दर विश्वास प्रगट किया है वहां कुछ लोग हैं जिन लोगों ने पोलिटेरियट डिक्टेटर-शिप के सिद्धान्त को अपनी कन्वीनियेन्स के लिये सिद्धान्त रूप में मान लिया और वे चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के ज़रिये पोलिटेरियट डिक्टेटरशिप लायें। उन्होंने इस सिद्धान्त को माना है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वे लोग इस एमर्जेन्सी के वक्त में हमारी तरह आपकी मदद करेंगे ? मैं समझता हूं यह सोचना गलत है क्योंकि वे डैमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, वे इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं इसलिये हमें उनसे ज्यादा होशियार रहना है-अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं कहता क्योंकि उनकी ईमानदारी को समझने की हममें ताक़त है और वे हमको ईमानदारी से समझ सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने कहना चाहता हूं कि ये लोग वे हैं जिन्हें डैमोक्रेसी के अन्दर विश्वास नहीं है। यह मैंने पार्टियों के सिद्धान्त की बात कही ....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय सदस्यों को मैंने पोलिटेरियट डिक्टेटरशिप का पाठ पढ़ाया है। क्या हमको वे वही उल्टी बात पढ़ायेंगे ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : स्वामी जी जो कहें वह मुझे हन्ड्रेड पर्सेन्ट मन्ज़ूर है, क्योंकि उनको मैं समझता हूं। वे जो कुछ हुक्म दें वह मानेंगे। मैं कहूंगा कि वे जो कहें, सरकार को मानना चाहिये–यहां तक मैं जाता हूं। मैं जानता हूं कि वे डैमोक्रेसी में विश्वास करते हैं।

(३.२५ म० प०)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनकी हालत यह है कि पार्टियों को वे कन्वीनियेन्स के लिये लेते हैं, मैंने उनके सिद्धान्त की बात कहीं जो उनके पिछवाड़े देखे जाते हैं और पार्टी लेवल से आ रहे हैं। यह मैंने इतनी बात कही, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपा-ध्यक्ष....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप रहने दीजिये। आप उनसे अलग हैं। आपको ज़रूरत नहीं उन की तारीफ़ करने की।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये मैं सरकार के ऊपर ज़ोर देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में ...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक प्रश्न में यह पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि एक ट्रेड यूनियन होनी चाहिये · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : मज़दूरों में, तो क्या यह भी होना चाहिये कि वह इन्टक की होनी चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सम्माननीय सदस्य को सफ़ाई दूं कि मैं बराबर इस बात को मानता हूं कि ट्रेड यूनियन के अन्दर न कोई सोशलिस्ट है और न कोई कॅम्युनिस्ट है। वे सब संगठित होकर ही मालिक का सामना कर सकते हैं और मालिकों ने इस सिद्धान्त को, जो ट्रेड यूनियन का है, बदल कर मज़दूरों के अन्दर बंटवारा किया है और वह बंटवरा किया है राजनैतिक–में उसका विरोधी हूं। कई पार्टियों वाले बीच-बिचोलिये बन कर इस तरह मजदूरों का उपयोग करते हैं उनको मैं ग़लत मानता हूं। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करदें, और जो मैंने मिल कर चलने की वात कही उसको न मानें, मेरी बात को मान कर नहीं चलते हैं तो मैं कहता हूं कि यह स्वाभाविक है किसी एक पार्टी के लिये पार्टी को प्रिफ़रेन्स देना। आज कांग्रेस पार्टी ताक़त में है तो यह स्वाभाविक है कि वह प्रिफ़रेन्स उसको ही दे जो उसके सिद्धान्त में विश्वास करते हों · · ·

श्री मुरलीधर व्यास : चाहे ग़लत हो या सही ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आ रहा हूं उस बात पर। आप घबरा क्यों र हे ? आप जरा अपने दिमाग को ठंडा रखिये, मैं बताता हूं ।

मैं ज़ोर देना चाहता हूं कि सारी ट्रेड यूनियनों को आज के दिन इस बात पर ज़ोर देना चाहिये कि हर वह काम जो देश के हित में हो सके, वह काम पूरी तरह से करें। आज मजदूर नौकर नहीं है, इस डैमोक्रेसी के अन्दर हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम देश के नौकर हैं किसी व्यक्ति के नौकर नहीं। देश हमारा है, मजदूरों का है। मैं मिसाल दूं, देश के अन्दर जब एमर्जेन्सी उठी तो इस देश के ग़रीब और कामन आदमी के दिल में आग लगी और कामन मजदूर, किसान के दिल जलने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पैर लद्दाख में रखा था और उस पैर के ऊपर दुश्मन ने पैर रख दिया। मज़दूर उछल पड़ा और देश के अन्दर एक तूफ़ान की तरह उठा। उन लोगों ने जी जान लगा कर काम किया और सबने एक राजनैतिक पार्टी की तरह से काम किया। हम पैसे वालों को पहचानते हैं, जो पैसे को भगवान, राष्ट्र और देश समझते हैं और हम उन लोगों को भी पहचानते हैं जो यह कहते हैं कि उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है; वे लोग, मज़दूर लोग इस देश को अपना देश मानते हैं, किसान इस देश को अपना देश मानते हैं, ग़रीब इस देश को अपना देश मानते हैं। इन लोगों के बटवारे का काम मत करो। सरकार को कहता हूं कि उनके लिए जो कुछ कर सक, वह आपको करना चाहिये। अगर पजाब पांच रुपये दे सकते हैं इस एमर्जेन्सी के वक्त तो क्या वजह है कि आपकी सरकर न दे। आप और टैक्स लगाये हम उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन इन ग़रीबों को इस मंहगाई के वक्त कुछ दिया जाना चाहिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनको कुछ दिया जाना चाहिये। बस मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन जो है वह राजस्थान रोडवेज़ की वर्कस यूनियन को मान्यता के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय तो लूंगा नहीं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि माननीय मन्त्री महोदय, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को मैं देख नहीं रहा हूं, उन्हीं पर मुझे तमाम चार्ज लगाने हैं। मेरी यह चार्ज है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज़ में जितनी गड़बड़ी है उसके ज़िम्मेदार हैं हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब । इससे पहले हमारे माननीय सदस्य, अजमेर से आने वाले, कह चुके हैं, कि One union in one industry. वह बिल्कुल सही है। यह भी हमारा ही नारा, है, One union in one industry. होनी चाहिये चाहे हम कम्यूनिस्ट हों चाहे सोशिलिस्ट हो चाहे कांग्रेसी या जनसंघी हों, कोई भी हों हमारे पोलिटिकल विचार आपस में दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जहां तक यूनियन में हम काम करते हैं तो बहुमत से जो चुनावों में आवेंगे वे ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिये आज भी और आज से २० वर्ष पहले से भी हमारा यह नारा था one industry and one union.

लेकिन हमारी इस बात को कोई मानता नहीं और आज भी इसी बात को मैं मानने को तैयार हूं और मेरी यह भी मान्यता है कि इसमें कितना करप्शन है ? आज जो हम कहते हैं, 'करप्शन करप्शन'; यह Corruption from the top है और ऊपर से नहृ ठीक होगा तो नीचे से ठीक नहीं होगा । हमारे कमिश्नर साहब ने एक जेबी यूनियन बना ट्रान्सपोर्ट रखी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान रोडवेज की यूनियन है वह सबसे बड़ी यूनियन राजस्थान में है । जिसकी मेम्बरशिप ७०० है । मगर हमारे मंत्री और राजस्थान के इस विभाग के डाइरेक्टर ने एक महीने पहले बनी हुई यूनियन को जो पोकेट यूनियन है और जैसा मैंने सुना है, हमारे मंत्री और डाइरेक्टर शिवहरे द्वारा एक महीने के बच्चे को मान्यता दे दी है । उन्होंने उस यूनियन को जो हाल ही में बनी है रिकॉग्नीशन दे दी है और रोडवेज जो बहुत पुरानी है उसको नहीं दिया है । यह मेरा चार्ज है। वे मेरे चार्ज का जवाब दें ।

दूसरा मेरा चार्ज है, Implementation Committees in public sector undertakings—no representation of P.W.D. Workers' Federation. जितने आपके पी. डब्ल्यू.डी. फेडरेशन्स हैं और भी लोग हैं मैंने एन.टी.सी. का नाम नहीं लिया । मैं कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री महोदय को कि आपने अपनी जेबी यूनियन को रिकाग्नीशन दिया है और किसी को नहीं दिया है ।

तीसरा चार्ज फिक्सेशन के बारे में है, Fixation of P.W.D. workers not yet done though integrated in 1958 उनका कोई फिक्सेशन नहीं । न उनकी कोई सिक्योरिटी इन सर्विस की गारन्टी । यह है मेरा दूसरा चार्ज ।

चौथा चार्ज रहा है Fixation of special staff of P.W.D. since 1950 not yet done.

(श्री कुमारानन्द)

यह आज तक तय नहीं किया है। यह हमारा फोर्थ चार्ज है।

पांचवां चार्ज है। Retrenchment of P.W.D. workers against the Truce Resolution.

मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और सारा सदन इस बात को स्वीकार कर चुका है कि अगर लड़ाई में मदद दी है तो गरीब मजदूरों ने जी खोलकर मदद दी है और मालिकों ने ज्यादा सहयोग नहीं दिया।

एक और चार्ज है जो आपसे मैं कहता हूं, No overtime allowance, no promotion. Driver's salary is Rs. 50/- Conductor's Rs. 75/-, Assistant Inspector's Rs. 100/-, Traffic Inspector Rs. 130/-

दूसरा स्टाफ है उसकी तनख्वाह बहुत कम है। उसके लिए उन्होंने कई बार आश्वासन दिया है। मगर उसको आज तक हमारे मंत्री महोदय ने इम्पलीमेंट नहीं किया है। वर्कर्स कमेटी बनाने को कहा उसको उन्होंने नहीं बनाया और उन कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रिमूव कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं। १८, १८ महीनों से लोग सस्पेंड पडे हैं। यह है हमारा मोटर ट्रांसपोर्ट का विभाग। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि उनको वे डराते, धमकाते हैं और उनकी छंटनी कर देते हैं। कितनों की छंटनी की। उसकी लिस्ट हमारे पास है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मोटर वर्कस हैं या लाइन पर काम करने वाले हैं उनमें आज हम जितनी रिश्वतखोरी देखते हैं उतनी कहीं नजर नहीं आती है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। रोडवेज का दफ्तर है वहां आप उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ चलें, आपको बता सकता हूं कि वहां पर क्या क्या घोटाले होते हैं।

मैं इस बात को कह कर यह कहना नहीं चाहता कि हमारे मंत्री महोदय रिश्वत खाते हैं। मैं उन पर यह चार्ज नहीं लगा सकता वे मेरे दोस्त हैं और इमानदार हैं। लेकिन मैं इसलिये यह कहता हूं कि वे आंखें बन्द करके रहते हैं। वहां पर भ्रष्टाचार होता है उसके लिये कुछ करते नहीं हैं या करना नहीं चाहते। इसलिये मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिये बहुत बड़ा अपना यातायात का साधन है जिसके लिये शिकायत है भ्रष्टाचार की, एक बार नहीं कई बार। आप कह सकते हैं। मैं जानता हूं माननीय मंत्री कुछ न कुछ इसका जबाब देंगे। यह भी हम जानते हैं। हम असेम्बली में कहते हैं उसका जबाब हमको मिलता है। मगर मैं यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर देश में इस प्रकार भ्रष्टाचार चलता रहा और इसको प्रोत्साहन दिया गया तो देश में, मैं साफ कहता हूं, it will pave a way for revolution. यह बात मैं आपको साफ कहना चाहता हूं। मेरा ५० साल का पोलिटिकल अनुभव है और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों में बगावत की भावना पैदा हुई है। लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची बात कहना चाहता हूं। हम दिलों में नेक हैं। अगर इस समय किसी प्रकारकी देशमें गडबडी हो, बगावत हो, रिवोल्यूएशन हो, जो देश

(श्री कुमारानन्द)

में, माफ करें कुछ सदस्य, हमारे देश में रीएक्शनरीज हैं उनको आगे आने का मौका मिल सकता है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज देश खतरे में है। पब्लिक समझती है, इसलिये मैं यह ट्रान्सपोर्ट के प्रस्ताव को लेकर सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पुराने अनुभव हैं, मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस खतम हो जावे। हो सकता है कि कुछ लोग यह चाहते हों कि कांग्रेस खतम हो जावे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस में जो सच्चे लोग हैं रहें। मैं यह नहीं चाहता कि प्रतिक्रियावादियों का बोल बाला हो। इसलिये मैं आपको साफ कहना चाहता हूं इस बात के लिये कि हमारे माननीय मंत्री चाहें तो भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। वे यह विचार लें कि चाहे कुछ भी हो, वे गद्दी पर बैठे हैं, वे यह न समझें कि हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपकी चलेगी नहीं। मैं आपको एक बात का दृष्टान्त देकर अपना भाषण खतम करता हूं।

दो वर्ष पहले All-India Trade Union Congress दार्जीलिंग में हुई थी। मैं गया था और एक दिन साइट सीन के लिये निकले। एक डांगी थे। बंगाली में पूछा तुम्हारा क्या नाम है। मैंने कहा कुमारानन्द। डांगी ने देखा यह है कुमारानन्द। हमको बुला कर ले गया और कहा कि कम्यूनिस्ट मजदूर कांग्रेस मजदूर संगठन करती है, समाजवादी और जनसंघ वाले मजदूर संगठन करते हैं। हिन्दुस्तान में सिर्फ क्रान्ति कारी हैं तो कम्युनिस्ट हैं। मैंने उनको समझाया कि जिस समय देश गुलाम था उस समय क्रान्ति की आवश्यकता थी। तो देश के नौजवानों के दिलों में ऐसे भी ख्याल, ऐसी भावना पैदा हो रही है। इसको यदि आप रोकना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा, खास करके कांग्रेस मेम्बरों से, जैसा मैंने कहा :

It is a glorious record of glorious past, but to day it has become a sinking boat.

आज इसलिये मैं कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस मिनिस्टरों से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का पक्षपात करेंगे, इस प्रकार का भ्रष्टाचार रहने देंगे तो हम भी कहते हैं कि हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे जैसा कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, न किया है और न करेगा।

इसलिये मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट रोडवेज में धांधलेबाजी हो रही है, वह अविलम्ब बन्द होनी चाहिए बस मैं यही कहना चाहता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनियां।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव भवन निर्माण की, शहर तथा ग्रामों के लिये राज्य सरकार की जो भिन्न भिन्न नितियां हैं उन पर कहना चाहती हूं। यह मैं कोई यह राजस्थान सरकार की आलोचना की दृष्टि से नहीं कहना चाहती, पर जिस जनता से हम लोग वोट लेकर आये हैं, उसकी जो भावना है उसी को मैं यहां व्यक्त कर रही हूं। ग्रामीण जनता आज महसूस करने लग गई है कि राजस्थान सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार, भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रही है। इसके मैं उदाहरण दूं कि कोई भी

(श्रीमती गौरी पूनिया)

छोटी-मोटी प्राईमरी स्कूल की बिल्डिग बनाने की बात होगी तो गांव वालों के साथ वन-फोर्थ या वन-थर्ड की शर्त होगी। इसी तरह से किसी मिडिल स्कूल की बिल्डिग की बात होगी, किसी हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल या औषधालय की बिल्डिंग की बात होगी तो गांव वालों के साथ कोई न कोई शर्त अवश्य रखी जाती है, पर दूसरी तरफ शहरों के लिये लाख, लाख की बिल्डिगें खडी हो जाती हैं, उनके लिये कोई शर्त नहीं बडे बडे अस्पतालों की बिल्डिगें बन जाती हैं, पर शहर वालों के साथ कोई शर्त नहीं, फिल्टर हाउसेज, जिनसे शुद्ध पानी पीने को मिलता है, शहरों में बनाये जाते हैं तो शहर वालों के साथ कोई शर्त नहीं रखी जाती पर ग्रामीण जनता के लिये सारे निर्माण कार्यों के लिये शर्त है, यह भेदभाव पूर्ण भिन्न भिन्न प्रकार की सरकार की नीति है, वह ज्यादा दिन नहीं चल सकती। इस लिये राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस मूलभूत नीति में परिवर्तन करें।

डेगाना मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल बने ६ वर्ष हो गये, पर आज भी उसमें कमरे उतन ही हैं जितने कि मिडिल स्कूल में थे, केवल दो कमरे ज्यादा बने हैं। यह अकोमोडेशन बहुत कम है, बच्चे बडी मुश्किल से बैठते हैं। दो शिफ्ट चलते हैं। सुबह प्राइमरी का शिफ्ट और दोपहर के बाद हायर सेकेन्डरी की क्लासेज चलती हैं। ऐसा शहरों में भी चलता है। पर छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं तो इससे देखनेवालों के दिलों को बडी ठेस पहुंचती है। मैं खुद इस बात को मानती हूं कि पढाई पेडों के नीचे भी की जा सकती है, और झोंपडों में भी, पर शहरों और ग्रामों के बीच में धरती और आकाश का अन्तर देखा जाता है, यह न्याय संगत नहीं है। ग्रामीण और शहरी बच्चों की सुविधाओं में धरती और आकाश का अन्तर देखते हैं तो दिल व दिमाग को ठेस लगती है तब कहना पडता है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वह समय रहते हुए चेत जाय।

दूसरा औषधालय का प्रश्न है, महरबानी करके ३० हजार की औषधालय की बिल्डिग किसी बहिन ने बनादी। उसे गवर्नमेन्ट को टेक ओवर किये आज ५ साल हो गये पर अब तक उसकी कोई बाउन्डरी तक नहीं बनाई गई, न डाक्टर के लिये क्वार्टर बनाया गया है। डाक्टर, नर्स के लिये क्वार्टर का तो अलग रहा, चौकीदार का क्वार्टर भी राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। बाउन्डरी न होने से दरवाजे वगैरह लगे हैं उनका जानवर नुकसान करते हैं। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। और साथ ही साथ हायर सेकेन्डरी स्कूल की दयनीय स्थिति है उसकी ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं कि इनकी उचित व्यवस्था करें।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव सडकों का जिलेवार सही वितरण नहीं किया जाता, उसके संबंध में है। जिलेवार सडकों का वितरण अगर बजट के पृष्ठ उलट कर देखें तो राज्य सरकार का रवैया बिल्कुल पक्षपात पूर्ण नजर आता है। झालावाड, उदयपुर, गंगानगर, अजमेर इनमें सडकों का जाल बिछ गया है पर नागौर जिले में एक भी

(श्रीमती गौरी पूनिया)

सडक नई नहीं बनने को है। खास तौर से डेगाना तहसील को तो इस तरह से छोड दिया गया है जैसे इस नाम की कोई तहसील ही राजस्थान में नहीं है। यह मैं कोई व्यक्तिगत आलोचना की दृष्टि से नहीं कहती, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था। इस कुर्सी पर जो भी बैठता है, उसका रवैया ऐसा हो जाता है। जिसको अवसर मिला है उसने लाभ उठाया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। राजस्थान सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि उसे सब को समान दृष्टि से देखना चाहिये। राजस्थान सरकार के लिये, सब जिले, सब शहर, सब गांव बराबर हैं, सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए और १५ वर्षों से जो नीति अपना रखी है उसमें मूलभूत परिवर्तन जरूर करना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष, मेरा मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–पर एक कटौती का प्रस्ताव है; सिकराय से चालचला घाटी बैर फतेह-रोड व सिकन्द्रा से गुढा चन्द्रजी सडक पर व भांडारेज से मेवाडी घाटी पर बहस करने के बारे में। सिकराय से चालचला घाटी की सडक के बारे में मैं अपना दृष्टिकोण बताऊंगा, ६२ के बजट में आंकडे बताये गये हैं उसके बारे में निवेदन करूंगा। ६३,७२१) रुपयों का खर्चा बताया है पर वहां एक भी पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय, अपने भाषण में बताने की कृपा करें कि यह पैसा कहां लगाया गया है, कहां नहीं लगाया है। भांडारेज से लालसर की सडक है इसके बारे में मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन किया था तो कहा था कि ६२ तक काम पूरा हो जायेगा पर इस साल तक २५ हजार रुपयों का खर्चा बताया है और वह सडक अभी तक पूरी नहीं हुई, जब कि चार लाख का बजट है। चाहे चार लाख का बजट हो विशेष खर्चा करते रहे, ९९,७२९) रु० इस पर खर्च कर दिये पर अभी तक बनी नहीं है।

दूसरा इस बजट के हिसाब में सिकराय के बारे में ६२,७२१) रुपया बताया है, घाटी का ६८,४००) रुपया बताया है। मैं जानना चाहूंगा कि यह रुपया कहां कहां खर्च किया है? सिकन्दरा से गीजगढ होती हुई गुढा को सडक गई है। इसके बारे में अर्ज करूंगा कि घाटियां काटी हैं उनमें से आज भी गाडियां पास नहीं हो सकती, गंगापुर से दिल्ली ग्वालियर को जो चलती हैं।

तीसरी बात मैं शिक्षा मन्त्रीजी से कहूंगा कि सिकराय के लिये १४ हजार की मन्जूरी स्कूल के लिये थी, वह भी अभी तक नहीं बनी है। जयपुर जिले का रुपया जयपुर ही जयपुर में खर्च किया करते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं देते? जितना पैसा आता है, सब को समान रूप से दिया जाय।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित मोहन।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा, सु०) : मेरा कटौती प्रस्ताव है इस पर मैं

(श्री ललित मोहन)

बोलना चाहता हूं। पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय आदिवासी क्षेत्र के लिये, उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर जिले के लिये हमारे नेताओं ने, गुरुजनों ने यह आश्वासन दिये थे, ५२ में वोट लेते समय कि तुम्हारे यहां पर पेरिस के माफिक कांच के माफिक सडकें बनेंगी और उनमें तुम्हारा मुंह दिखेगा। आपके यहां शिक्षा की उन्नति हो जावेगी और न जाने क्या क्या आश्वासन दिये थे। १५ वर्ष हो गये आजादी प्राप्त हुए। कांच की तो क्या काली और गोरी सडकें भी नहीं बनी हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, वह इलाका उदयपुर से पश्चिम की तरफ ८० मील दूर पडता है, फिर वहां से आगे ३०-४० मील और पडता है। यह लम्बा-चौडा मील इलाका है। वहां पर बहुत छोटे छोटे व्यापारी और काश्तकार रहते हैं। आदिवासी क्षेत्र है। सडकें पूरी नहीं हुई। हर साल धनराशि आंकडों में बतायी जाती है, भाषणों में बतायी जाती है, मुख्य मन्त्री और लोकनायक भाषण देते हैं कि हम आदिवासियों का उत्थान करते हैं, क्या उत्थान करते हैं देख रहे हैं, सडकें नहीं हैं। सडकों पर सब कुछ निर्भर है। शिक्षा भी इसी पर निर्भर है। अध्यापक भी वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं। सामान पहुंचने के लिये महीनों लग जाते हैं। ब्लॉक की कोई जीप आती हो तो पहुंच पाता है। सडकों के बगैर शिक्षा में भी बाधा पहुंच रही है।

कृषि के लिये भी बाधा हो रही है। संकटकालीन स्थिति है और मुख्य पर्पज इस गवर्नमेंट का है कि उत्पादन बढाओ इसके लिये नये नये तरीके के औजार पहुंचाने चाहियें। पंचायत समितियां वहां पर किसानों के कुओं के लिये सीमेन्ट पहुंचाना चाहती हैं, बीज पहुंचना चाहती हैं लेकिन पंचायत समितियां नहीं पहुंचा पाती हैं, किसानों का इससे बडा अहित होता है।

उद्योगों का भी यही हाल है। बांस के जंगलों का वह बडा अच्छा इलाका है। कर्नल टॉड जैसों ने उस क्षेत्र को हिन्दुस्तान का दूसरा काश्मीर कहा है। वहां पर कागज के अच्छे उद्योग चल सकते हैं। लेकिन उस क्षेत्र को आपने अन्डमान निकोबार बना रखा है। वहां उद्योग पनप नहीं रहे हैं। लाखों रुपयों की इन्कम वह इलाका जंगलात से देता है। लेकिन वहां एक चौथाई भाग भी खर्च नहीं किया है। एज्युकेशन के लिये कुछ नहीं किया, सडकों के लिये नहीं किया। यह सरकार कितनी निस्क्रीय है, उदासीन है, कोटडा में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल की बिल्डिंग आज तक नहीं बना पायी है। तीन, चार अधूरे कमरे डेकोरेशन के रूप में खडे हैं। मास्टर भी पूरे नहीं। बैठने के लिये कमरे नहीं, फर्नीचर नहीं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मंत्री, शिक्षा) यह हायर सेकेन्डरी स्कूल कहां का ?

श्री ललित मोहन कोटडा का....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनता ने सहयोग नहीं दिया।

श्री ललित मोहन : एक तरफ कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की तरक्की करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सहयोग दो। क्या श्रमदान दो? एक तरफ कहते है कि बहुत मदद कर रहे हैं, लाखों, करोडों का

(श्री ललित मोहन)
खर्चा करते हैं। हम आपसे लाख रुपया नहीं मांगते। आप चालीस हजार दे दीजिये, २५ हजार दे दीजिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यों कैसे दे दें? लोग भी तो सहयोग दें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): जयपुर के कॉलेजों से कहां तक मांगा है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह भी आता है।

श्री ललित मोहन : मेरा समय क्यों आप खराब करते हैं? मुझे आप डिस्टर्ब न करिये। मैं कोई पचास बार खडा हुआ हूंगा। बडी मुश्किल से मुझे यह समय मिला है। महरबानी करके मुझे डिस्टर्ब न करिये।

तो मैं कह रहा था कि सडकें नहीं हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अखबारों में एडवर्टाइजमेन्ट कर दिया जाता है। मूल में, जड में न मालूम क्या खराबी हो गई है। ४७ के समय के पूर्व से राजाओं की स्थिति थी उसी तरह से इनकी भी आयी दिखाई देती है। चारों तरफ यह दिखाई देता है। जनता में भ्रष्टाचार फैला दिया। जहां तरक्की होनी चाहिये थी वहां नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन सडकों की तरफ भी ध्यान दें। आसपुर के लिए अर्ज करूं कि सडकों की हालत बुरी है। सडकें नहीं हैं। जब सुखाडिया जी साहब उदयपुर में आते हैं तो सडकों पर पानी छिडक जाता है, वर्मा साहब आते हैं तो सफाई हो जाती है लेकिन उधर जब मोटरें चलती हैं तो गुलाल उडती है, गुलाल, से टी.बी. के मरीज जैसी लोगों की हालत हो जाती है। उधर डॉक्टर, मास्टर जाना पसन्द नहीं करते हैं। चार महीने स्कूलें बन्द हो जाती हैं। मास्टर लोग पगडंडी से उदयपुर चले आते हैं। तनख्वाह ले लेते हैं। आदिवासी चार महीने तक एक अक्षर भी नहीं पढ पाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महरबानी करके दो मिनट और दीजिये।

पिछडे इलाके के लिये आपको कुछ करना चाहिये। कथनी और करनी में भेद नहीं करना चाहिये। तो उस इलाके में आवागमन के साधनों में तरक्की करके, सडकों का निर्माण करके ठीक करायें ताकि कृषि के बारे में उन्नति हो, शिक्षा के बारे में उन्नति हो, कुटीर उद्योग और बडे उद्योगों में उन्नति हो। उधर के लोगों ने बडा सहयोग दिया और वक्तन फवक्तन सहयोग देते ही रहते हैं। सुरक्षा फण्ड में भी अच्छा पैसा दिया है। सेना के लिए जवानों की भर्ती भी अच्छी हो रही है। १५ वर्ष तक वोट भी दिये। अब नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। वोट के रूप में हर समय दूध पिलाते रहे रहे हैं। डूंगरपुर से सरथूना रोड लम्बे अर्से के बाद भी नहीं बनी है। आसपुर की सडकों की भी बुरी हालत है। महारावल साहब की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है। महारावल साहब आगये तो क्या हुआ? यह तो वैसी ही बात हुई कि घांची बीमार और मोची को डामना। जनता ने उचित समझा सो चुन कर भेजा। सब समान भाव रखिये। द्वेष की भावना मत रखिये आपको द्वेषता है डूंगरपुर महारावल साहब से, वहां की जनता ने आपका

(श्री ललित मोहन)

क्या विगाडा है ? इस मावना से जनतन्त्र नहीं चलेगा। लोकहित को ध्यान में रखना चाहिये। इतना ही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष का जो बजट पेश किया गया है हमने चार्ज लगाया था कि बजट पेश किया गया वह बैलेन्स्ड बजट नहीं था। वह अर्थ-शास्त्र के कुछ सिद्धान्तों के खिलाफ था। उसके उदाहरण अगर देखें जायें तो सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जो हमारी डिमान्ड है उसमें आपको मिलेंगे। राजस्थान सरकार का यह कर्त्तव्य है कि राजस्थान का जो विकास होता है, डवलपमेन्ट होता है वह चहुमुखी होना चाहिये। परन्तु जो बजट पेश किया गया है या पिछले वर्ष में पेश किये गये हैं उनको मद्देनजर रखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कहीं पर तो बजट का बहुत बडा हिस्सा खर्च कर दिया गया है और कहीं पर बहुत कम। जहां प्रदेश के हिस्से में बहुत लोग रहते हैं वहां कम और अधिक वहां जहां कि कम और लोग रहते हैं। हम यह देख रहे हैं कि जो इलाका डवलप्ड है उसमें ज्यादा खर्च हो रहा है और जो अनडवलप्ड है वह वैसा का वैसा ही पडा है। राजस्थान के उस इलाके के लिये अर्ज करूंगा जो राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है और जो रेगिस्तान है। यदि देखा जाय तो पीने का पानी भी नहीं है। कम से कम दस–बारह मील या चार-पांच मील दूर से अमूमन पानी लाया जाता है।

(४ म० प०)

आप राजस्थान के उस हिस्से की तरफ भी देखियेगा। इस सरकार के बनने के बाद प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिये कि जिस हिस्से के लोगों को पीने के लिये पानी तक नहीं मिलता उनको पीने के लिये पानी दिया जाय। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि १९५६ से लेकर ६२-६३ तक पानी का प्रोविजन रखने के लिये राजस्थान के पिछले बजट और इस बजट में कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। मामूली जो पैसा आप लगा रहे हैं वह सफीसियेन्ट नहीं है। बैलेन्स्ड बजट के लिये यह जरूरी है और राजस्थान के एक हिस्से के लिये ज्यादा और दूसरे हिस्से के लिये कुछ भी प्रोवीजन न रखा जाना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। हमारा इलाका राजस्थान का वह इलाका है जहां सिंचाई के लिये भी पानी की आवश्यकता रहती है अगर इस हैड में आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरे हैड से देना उसके लिये लाजमी हो जाता है ताकि इस हिस्से का डवलपमेन्ट भी बराबर होता जाय। राजस्थान का बाडमेर और जोधपुर का इलाका उसी तरह का है जिस तरह का १९५२ में था। पहले जैसी ही उसकी स्थिति है। हम हमारा जो मूलभूत हक है, उसको पाने के लिये सरकार से निरन्तर मांग करते आ रहे हैं। उस ओर सरकार ध्यान देकर पानी की प्राप्ति के लिय वहां सर्वे करेगी। पानी की समस्या को हल करने के लिये पी. डब्लू.डी. द्वारा उस इलाके में प्रबन्ध रखा जायगा, जिन इलाकों में पानी की ज्यादा कमी है।

इसके साथ अन्डर-डवलप्ड एरिया है जहां रोड्स का कोई प्रबन्ध नहीं है। जहां पानी की इतनी दिक्कत है उस इलाके में रोड का प्रबन्ध हो जाता है तो लोग पानी दूर दूर

(श्री गंगासिंह परिहार)

से भी ला सकते हैं। लेकिन पिछले बजट को ध्यान में रखते हुए अगले साल हम यह आशा लगा रहे थे कि इस साल इस मद में अच्छा पैसा रखा जायगा। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें भी पालिटिकल कन्सीडरेशन्स काम करते हैं। यह सरकार का परम् कर्त्तव्य है कि पालिटिकल एक्टीविटीज की ओर ज्यादा ध्यान न देकर प्रान्त के जो हित में हैं-कौन सा कुआ हो, कौन सी सड़क को प्राथमिकता दी जाय-इस पर हमें विचार करना चाहिये। मैं आपका ध्यान उस इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं। वह राजस्थान का वह इलाका है जिसके साथ साथ पाक बोर्डर लगता है। बोर्डर इलाका होते हुए भी डिफेन्स रोड्स को भी हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यह सेन्टर का कर्तव्य होते हुए भी राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि स्टेट्स की सड़कों का कनेक्शन इन डिफेंस रोड्स से हो जाय ताकि जो पाकिस्तान का डर हमारे ऊपर चक्कर काट रहा है किसी समय वह भयंकर रू धारण न कर ले।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, नागोर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर रोड्स का प्रोग्राम बहुत कम है। वहां बहुत बड़ी बड़ी सड़कें तो हैं ही नहीं। मामूली सड़कें हैं जिनको प्राथमकिता देनी जैसी बात नहीं। फिर भी मैं एक सड़क की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा खाटू से तनाऊ की। जब जोधपुर सरकार थी, इस सड़क को प्राथमिकता दी गई थी और जब राजस्थान बना इस सड़क को १९५२ से लेकर ५४ तक बराबर स्थान दिया है। उ रोड़ का होना बहुत जरूरी है। योंकि खाटू का पत्थर बहुत जगहों पर जाता। इस रोड के बन जाने से न केवल आवागमन में ही सुविधा होगी, बल्कि इससे स्टेट को आमदनी का फायदा भी। होगा इस रोड के लिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जावे।

इसके अलावा हमारे स्कूल्स और कॉलेजेज की बिल्डिग्ज की बहुत कमी है। उस ओर भी इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया।

इसके अलावा जो सिविल कोर्टस् हैं, अब जब कि क्रिमिनल केसेज भी उनको दे दिये गये इसलिये क्लाइन्ट्स की संख्या भी ज्यादा हो गई। कोर्ट के बाहर २००, २५० आदमी बैठे रहते हैं। बैठने के लिये क्लाइन्ट-शैड नहीं है। सर्दी के मौसम में बाहर भी खडे रह सकते थे किन्तु गर्मी के मौसम में इसका अभाव महसूस करते हैं। बैठने की जगह न होने की वजह से बरामदे में बैठते हैं तो वह भी सेपरेट न होने की वजह से वहां भी नहीं बैठ सकते। इसलिये नागौर कोर्ट के अन्दर क्लाइन्ट-शैड बनाने की बहुत आवश्यकता है।

इसके अलावा नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो रोड्स हैं जो पहले से बनी हुई हैं उनकी भी बिल्कुल मरम्मत नहीं हो रही है। कहीं कहीं तो एक एक फुट गहरे गड्ढे पडे हुए हैं। उनको भी ठीक करने की जरूरत है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर और तहसील का कनेक्शन नहीं हुआ है उसका कनेक्शन होना जरूरी है। पुलिस हैड-क्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर को मिलाना लाजिमी हो जाता है, यह सरकारी ड्यूटी हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखा जायगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सार्वजनिक निर्माण और रोडवेज से सम्बन्धित कई कटौती प्रस्ताव हैं उन सब के विस्तार में न जाकर मैं संक्षिप्त में कुछ निवेदन करूंगा।

रोडवेज के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये वे तो हैं ही उनके अलावा मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो कन्डैक्टर और ड्राइवर २०० मील पर दिल्ली व आगरा में ठहरते हैं उनको १) रुपया रात्रि को ठहरने का दिया जाता है वह बहुत कम है, जब कि पहले ३॥) रुपया दिया जाता था। कन्डैक्टर जिनको ७५) रुपया माहवार मिलता है और ड्राइवर जिसको ८५) रु० मिलता है इस १) रुपये में दिल्ली आगरा, जैसे शहरों में ठहरते हैं उनका इससे काम नहीं चलता। खास तौर से मैं निर्माण मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको रात्रि का ठहरने का अधिक भत्ता दिया जाय।

सार्वजनिक निर्माण के संबंध में हमें दो-तीन तरह से विचार करना है। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में जो सडकों का निर्माण हो रहा है उसमें राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण गांव और शहर के लिये भिन्न भिन्न है। राजस्थान में कुल १७ हजार मील सडक है। साढे तीन हजार मील सडक गांवों में है और बाकी की सारी सडकें शहरों में बनी हुई हैं या शहरी क्षेत्र से लगे हुए हिस्से में हैं। इस संबंध में हमें गंभीरता से सोचना चाहिये। इस पर भी यह देखा जा रहा है कि राजनैतिक मंत्री या राज–पुरुष जिस क्षेत्र का होता है और ताकतवर होता है तो उस क्षेत्र के लिये वह पहले यह काम करता है। इस तरह से मैंने खास तौर से तीन जिले देखे हैं। मैं इसमें अपनी गल्तियां भी स्वीकार करता हूं। अक्सर देखा जाता है कि जब भरतपुर के सार्वजनिक निर्माण मंत्री आर्य श्री जुगल किशोरजी चतुर्वेदी तो ५० से ५२ में भरतपुर में सडकें बनी। अब जब कि झालावाड के मंत्री हैं तो झालावाड को सडकों के जाल से छा दिया गया। इसी प्रकार जब अलवर के मंत्री थे तब अलवर में सडकें बनी। इसी प्रकार राजस्थान के मुख्य मंत्री ९ साल से श्री मोहनलाल सुखाडिया हैं तो राजस्थान के १७ हजार मील सडकों में १२ हजार मील सडकें केवल उदयपुर जिले में बनी हुई हैं। यह ठीक है कि उनका उदयपुर जिले से संबंध है लेकिन आखिर काम तो कुछ हिसाब से ही होना चाहिये। सडकें जहां उद्योग चलते हैं या खानें हैं ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती हैं तो किसी को एतराज करने का सवाल नहीं। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र में किस तरह से ताकत मिले इसको दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन तो मैं यह करना चाहता हूं कि वे इस दृष्टिकोण को बदलें। भरतपुर में सडकें बनाने का मेरा आग्रह नहीं है। वह तो वे नहीं बनावेंगे, मैं कहूंगा तो भी। वहां तो नई सडकें बनी नहीं हैं। पर दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि वे सडकें बनाने के लिये सिद्धान्त निश्चित कर लें। मैं उन सिद्धान्तों की रूप-रेखा भी बता दूं।

एक तो यह हो कि जहां जहां खनिज सम्पत्ति है वहां सडकें बनाई जानी चाहिये। जहां जहां पर उद्योग धन्धे चलते हैं वहां पर बननी चाहिये। जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां

(श्री रामकिशन)

बनानी चाहिये । इसके बाद जो खास तौर से पिछडे हुए इलाके हैं उनमें बनानी चाहिये ताकि हम उनको भी अपने पास ला सकें, सभ्य बना सकें । इस तरह से दृष्टिकोण बनाना चाहिये ।

अब मैं थोडा भरतपुर के बारे में निवेदन कर दूं । तीसरी योजना में लक्ष्य रखें हैं आपने कि जिला को तहसीलों से मिलाया जावेगा । पर यह मन्त्रीजी की भी जानकारी में हैं कि वहां भरतपुर में तहसीलें ऐसी तो थीं नहीं जो वहां सडकों द्वारा नहीं मिली हुई हों, स्टेट के जमाने में ही वहां सडकें बनी हुई थीं । राजस्थान बनने के बाद तो केवल एक तहसील वैर थी जो जिले से नहीं मिली थी, नहीं तो बाकी तो राजाओं के टाइम में ही मिल गई थीं । वैर तहसील नहीं मिली थी, जो आज भी नहीं मिली है और न इसकी सम्भावना ही है इस राज्य में मिलने की । तो मेरा निवेदन यह है कि आप और कोई सडक बनावें या नहीं बनावें, पर तीसरी योजना में जो आपने लक्ष्य रखा है वह आज आजादी के १५ वर्षों के बाद तो पूरा कर दें । इतना निवेदन है ।

दूसरा निवेदन यह है कि जो एप्रोच रोड्स हैं गांवों को मिलाने वाली आप उनके लिये ध्यान दीजिये । गांव के लोग सहयोग देना चाहते हैं । आपके पास इसके लिये पूंजी नहीं, पूंजी. की जरूरत है । लोग यह पूंजी खुद देकर बनवाना चाहते हैं । आप इस नई पूंजी को आने दें। इसके लाने में आप सहयोग करें। लोग आज सडक और स्कूल के नाम पर अपनी पूंजी देना चाहते हैं । इसलिये जहां जहां गांव वाले कहें कि हम पूंजी देंगे, हम स्वयं सडक बनवायेंगे, मिट्टी डालेंगे, श्रमदान करेंगे, वहां सरकार को प्रयत्न करना चाहिये । तो इस सडक के बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना था । वैसे राजस्थान में पैसे की कमी है । पर मेरा निर्माण मन्त्री पर यह आरोप है और मैं समझता हूं, स्वयं मन में वे इसे स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे वे ।

१ करोड के करीब उन्होंने मिट्टी डलवा दी जगह जगह । दिसम्बर ६२ में रुपया मन्जूर होता है, उनके गुट्ट के लोगों के एरिया में सडकें बनवाने के लिये और आपने वह एक करोड की मिट्टी डलवा भी दी । कांग्रेस में भी दो गुट्ट हैं उनके लोगों क्षेत्रों में ही मिट्टी डलवाई गई है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कोई दो गुट नहीं हैं कांग्रेस में ।

श्री रामकिशन: सब जगह सडकें बनवा दीं । मिट्टी डलवा कर जैसे भरतपुर, दौसा झालावाड आदि जगह पर और इसके बाद एक सरक्यूलर निकला । दिसम्बर में यह मिट्टी डलवा दी जाती है । इसके बाद सरक्यूलर निकला कि जहां दस प्रतिशत भी मिट्टी का काम हो गया हो वहां अब बन्द करा दिया जावे । वोट प्राप्त करने के लिये एक करोड रुपया खराब किया । कांग्रेस के लिये नहीं, कांग्रेस में भी विशेष गुट्ट को मदद देने के लिये । मैंने सारी लिस्ट देखी है । वह मिट्टी वहीं डाली है जहां गुट विशेष के लोग थे । अब यह मिट्टी तो पानी में यों ही बह गई कुछ तो और बाकी अब वह जावेगी ।

तीसरा निवेदन पी. डब्ल्यू. डी. के संबंध में मुझे जो करना है वह यह है कि इस विभाग

(श्री रामकिशन) में डिप्लोमा होल्डर्स को इसलिये रखा था कि पढ़े-लिखे ट्रेन्ड इन्जीनियरों की कमी थी और यह नियम भी बना था कि जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर १५ साल पूरे कर चुके हैं उनको एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बना दिया जावेगा। यह तब बना नियम जब इन्जीनियरों की कमी थी। अब इन्जीनियर काफी मिल रहे हैं। पर अव सरकार ने उल्टा नियम बनाया है कि दस साल तक डिप्लोमा होल्डर जो रहे हैं उनको एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बना दिया जावे। मेरी जानकारी में यह है कि किस तरह के इन्जीनियर हैं जिनको आप खपाना चाहते हैं। मेरा यह कहना कोई आरोप की दृष्टि से नहीं है, आपके पास योग्य लोग हैं अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो वे हतोत्साहित हो जावेंगे। इस पर सरकार को निश्चित तौर से ध्यान देना चाहिये।

मैं भरतपुर जिले की बात नहीं, धौलपुर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सडकों के बनाने में मैंने कुछ सिद्धान्त स्थिर करने की बात कही है। उनमें एक सिद्धान्त यह भी हो कि डकैतियां जहां अधिक पडती हैं, जहां अधिक डाकू लोग हैं वहां सडकों का जाल बिछा देना चाहिये क्योंकि इससे जो कई लोगों की हत्याएं होती हैं, लुटते हैं, जान-माल की हानि होती है, उनको बचाना जरूरी है किसी भी सरकार के लिये। और ये हत्याएं वगैरह इसलिये होती हैं कि आने जाने के साधन वहां नहीं होते। धौलपुर में तो वैसे भी आपने सडकें बनाई ही नहीं हैं। सडकें आप न बनावें, पर जहां पुलों की जरूरत है वे जरूर बनाये जाने चाहिये। धोलपुर में श्रम-दान से (लोगों ने कुछ) पुलियाएं बना दीं। ३० हजार रुपये के करीब का लोगों ने श्रम-दान किया है। पर आगे सडक बनाने का प्रबन्ध नहीं करते। लोग इसके लिये भी पैसा और श्रम-दान देने को तैयार हैं पर वहां भी सडकें वनाने के लिये सरकार समुचित रूप से विचार नहीं कर पाती।

केन्द्रीय सरकार ने धौलपुर और ग्वालियर तक सडक बनाने के लिये रुपया दिया। पर वह सडक भी बगैर पुलों के रुकी पडी है। वहां भी लोग श्रम और पैसा देने को तैयार हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक नहीं कहूंगा। एक कटौती का प्रस्ताव था मेरा पर्यटन के विकास के लिये। यहां इसकी बडी सम्भावना है। पर जो बाहर से आते हैं, उनको न तो हमारे यहां ठीक व्यवस्था है ठहरने की, न उनको हमारे राजस्थान की समुचित जानकारी देने की कोई व्यवस्था है सन्तोषजनक। यह शिक्षा मन्त्रालय का काम हो, चाहे सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का काम हो, उनको यह करना चाहिये कि राजस्थान के जितने डाक बंगले हैं या स्वागत-भवन हैं उनमें आप मीरा के बारे में, राणा सांगा और प्रताप के बारे में और जो सन्त महापुरुष यहां हो गये हैं उनके बारे में इस तरह का जो साहित्य उनको मिलता ही नहीं है, वह उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करें। आपके राजस्थान में लोग पर्यटन करने के लिये केवल इसलिये नहीं आते कि गुलाबी नगर जयपुर ही अकेला है; मीरा के कारण, राणा सांगा के कारण और प्रताप के कारण लोग आकर्षित होते हैं। आप दक्षिण में जावेंगे तो आपको जानकारी मिल जावेगी

Page No 99

(श्री रामकिशन) :

कि उधर के बड़े सन्त कौन हैं, दक्षिण की बड़ी महिला कौन है, पर राजस्थान के डाक-बंगलों और विश्रामालयों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आप इस तरह के साहित्य की व्यवस्था कर दें तो जो बाहर से आते हैं राजस्थान की जानकारी लेना चाहते हैं उनको जानकारी मिलेगी और विदेशी मुद्रा भी अधिक प्राप्त होगी।

जैसे रणथम्भोर का किला है। ऐतिहासिक दृष्टि से वह बहुत मशहूर है। पर इसकी तरफ राजस्थान सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। कभी दक्षिण वाले रणथम्भोर के लिये पूछते हैं कभी मीरा और अन्य के बारे में पूछते हैं। उदयपुर और चित्तौड़ के बारे में कम पूछते हैं। तो वहां ठहरने की व्यवस्था नहीं है। रणथम्भोर में तो सीमेन्ट कम्पनी में, जिसका मेल-जोल है, वह भले ही ठहर जावें। तो ऐसी ऐतिहासिक महत्व की जो जगह है, मीरा का स्थान है, हम्मीर का स्थान हुआ इन पर डाक-बंगले बनाने चाहियें ताकि जो देखने आना चाहें वे हतोत्साहित न हों; वहां आसानी से जा सकें और ठहर सकें। तो इस बारे में आप साहित्य भी उपलब्ध करें और ठहरने आदि की वहां प्रबन्ध भी करें।

इसी तरह से राजस्थान में एक ऐसा फकीर हुआ है जिसने संसार की यात्रा की है बहुत पुराने युग में और वह जैसलमेर में हुआ था। उसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में बिहार शरीफ के लोग पूछते हैं—क्या वहां ठहरने की जगह है, कैसी क्या व्यवस्था है? तो ऐसी जो साहित्यिक चीज है, ऐतिहासिक चीज है, स्थान है उनके बारे में साहित्य निर्माण किया जाय, उनकी जानकारी दी जाय, वहां ठहरने और देखने करने की व्यवस्था की जाय। इससे राजस्थान वालों को भी आप ज्ञान दे सकेंगे, अन्य प्रदेश के लिये पैसा पैदा कर सकेंगे, विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकेंगे और अपने यहां के स्थानों का आप विकास भी कर सकेंगे।

अब मैं थोड़ा रोडवेज के बारे में निवेदन करूं। रोडवेज में आपके कर्मचारियों के बारे में और वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है एक पुस्तिका के रूप में हालांकि वह सब अंग्रेजी की किताब में लिखा गया है। पढ़ तो गया हूं मैं उसे ...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : नहीं पढ़ते आप। आपने कैसे पढ़ ली अंग्रेजी? समझ में कैसे आई?

श्री रामकिशन : पढ़ी। आपने एक बात कही दादा निकलने वाली। बच्चे की तकलीफ समझ करके इसे सहना चाहिये। बच्चा है गलती करता है इसलिये तो क्षमा कर देते हैं। पर उस बच्चे की अगर ठीक देखभाल नहीं हुई तो वह बिगड़ जावेगा। यह देखने का काम माता-पिता का है। उसे छूट नहीं देनी है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : बच्चे का सवाल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तो किसका सवाल है? आप क्या उसे मारना चाहते हैं?

श्री रामकिशन : तो मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो यह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने वाला हूं।

(श्री रामकिशन)

गाडियों में आपके यहां सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई औरत उल्टी कर देती है तो उसे साफ करने की व्यवस्था आपको रखनी चाहिये जगह जगह स्टेशन बना कर इसके लिये।

आपने इसमें १५ पर्सेन्ट का नफा बताया है। मैं आम तौर से निजी उद्योगों के मुनाफे की बात नहीं कहता। अगर आपने १५ पर्सेन्ट नफा किया है तो ठीक है। सार्वजनिक दृष्टि से सरकारी संस्थाओं में १५ प्रतिशत नफा काफी है।

लेकिन डेढ करोड की पूंजी पर यदि कोई प्राइवेट उद्योग होता तो मेरे ख्याल से साल में वह ७०-८० लाख रुपये प्राप्त करता। आप इसको इस तरह से मत देखिये कि हमने २७ लाख रुपये कमा लिये। आप यह देखिये कि और लोग इतनी पूंजी में जितना कमाते उतना हम कमा पाये या नहीं? यदि आप इतना देखेंगे तो आप अपनी प्रगति की रफ्तार तेज कर पायेंगे। गलत काम किया तो प्रगति रुक जायगी। वैसे मंत्रीजी ने कहा है कि राजनैतिक दृष्टिकोण से नेशनेलाइजेशन नहीं करते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि मंत्रीजी बस के व्यापारी नहीं हैं, लेकिन जो हैं वे बता सकते हैं जैसे कांकरोली वालों को आपने उप-मंत्री बना दिया। उसी तरह से इनमें से भी किसी को कह दीजिये कि हम तुमको कुछ बना देंगे, किसी को कुछ समझा दीजिये...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : जैसे आपको समझाया।

श्री रामकिशन : यदि आप इस ओर ध्यान रखेंगे तो राजस्थान को घाटा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल। आप केवल ५ मिनट लेंगे

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है वह आवागमन के साधनों पर है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बडा साधन जो है वह हमारे आवागमन का साधन है जिसके द्वारा हर चीज सुविधानुसार पहुंचाई जा सकती है। हमारे लिये पैदावार को बढाने के लिये, अपने समय को बचाने के लिये जो सार्वजनिक साधन बनाये जाते हैं यातायात के वे इसलिये बनाये जाते हैं कि समय की बचत हो और एक जगह से दूसरी जगह बडी आसानी से पहुंच सकें। मैं थोडा सा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जगह सडक नहीं होती है या आने-जाने के साधन नहीं होते हैं वहां डकैतियां पड जाती हैं तो हमको वहां सुविधा करने के लिये दो-दो रोज लग जाते हैं, गरीब आदमियों की सहायता समय पर नहीं कर पाते। इसलिये निवेदन करता हूं कि जहां आवागमन के साधन नहीं हैं वहां ध्यान रख कर उस जगह भी इस तरह के साधन बनाने चाहियें।

मैं दूसरी तरफ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसे कुछ दिन पहले हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ। केन्द्रीय सरकार ने आने-जाने के साधन पहले से नहीं बनाये थे जिनके कारण हमें बडे खतरे का सामना करना पडा और हमें हर तरह के हथियार, खाने-पीने और पहिनने का सामान तथा मिलिट्री को भी हवाई जहाज के द्वारा पहुंचाना पडा था और बहुत सा धन जैसे ऊपर से सामान डालते थे, हथियार डालते थे, या खाने-पीने का सामान डालते थे, उसमें से आधे से भी कम हमारे फौज के आदमियों के हाथ लगता था। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो हमारे राजस्थान की सीमा के

(श्री श्रवणलाल)

क्षेत्र हैं जहां अब तक साधन उपलब्ध नहीं हैं उन स्थानों पर साल में कई बार डकैतियां होती हैं वह सीमा-क्षेत्र करीब ७०० माइल तक है जहां कोई आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं किये गये हैं। हमारी जो सरहद पाकिस्तान की सरहद से मिलती है वहां भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिये मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि उधर ऐसे साधनों के लिये भी हमें जागरुक रहना चाहिये; क्योंकि पता नहीं चलता है, पहले चीन भी 'भाई-भाई' का नारा लगाता था और इस रूप में पाकिस्तान भी जो इस बात को कहता है और कई दिनों से बात-चीत चल रही है फिर भी पता नहीं कब क्या हो जाय। इसलिये हमें भी सतर्क रहना चाहिये क्योंकि वह भी एरिया बहुत बडा है– ७०० माइल का है। कोई बात हुई तो हम अचानक साधन नहीं जुटा पायेंगे और कोई सामान नहीं पहुंचा पायेंगे और न व्यवस्था पहुंच पायेगी।

अब मैं थोडा सा अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जितनी माइन्स विभाग या खनिज विभाग के लिये सडकें जाती हैं उनसे कम से कम साल भर में लाखों रुपयों की आमदनी सरकार को होती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वहां की सडक आप देखेंगे तो इस सडक की यह हालत हो रही है कि कम से कम एक एक फुट गहरे खड्ढे आपको जगह जगह मिलेंगे, सडक ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ ६ मील का टुकडा है और साल भर में लाखों रुपयों की उससे आमदनी होती है। लेकिन पता नहीं उसकी तरफ सरकार उदासीनता से क्यों सोचती है? इससे लाखों रुपयों की इन्कम होती है इसलिये जल्दी ही बना दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि हिन्डौन से तलेटी जाने वाली सडक है जो करीब ६ साल से अधूरी पडी है, मिट्टी डाली जा चुकी है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन मैं थोडा समय और लूंगा। उस सडक को ओर देखा भी नहीं जा रहा है। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने में बनी हुई सडकें हैं वे बर्बाद होने जा रही हैं। उनको भी पी. डब्ल्यू. डी. में मिलाने की कृपा करें, क्यों कि वे सडकें छोटे छोटे गांवों से गुजरती हुई बडी सडकों से मिलती हैं और खराब हो रही हैं। इसलिये मैं मंत्रीजी को आदेश करूंगा . .

एक माननीय सदस्य : आदेश करेंगे ?

श्री श्रवणलाल : मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो सडकें हैं उनको भी पी. डब्ल्यू. डी. में मिलाने की कृपा करें। पी. डब्ल्यू. डी. में मिला कर उनकी देख भाल करनी चाहिये जिससे छोटे छोटे गांवों का भी सहयोग मिले और गांवों में जाने का रास्ता मिले।

मैं रोडवेज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपकी जो रोडवेज की बसेज जयपुर से भरतपुर तक जाती हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि यहां पर क्या होता है कि जो बसेज जाती हैं वे एक जगह से सवारी लेकर चलती हैं तो चाहे खाली हो, चाहे भरी हुई हों थ्रू चली जाती हैं। बहुत सी सवारियां सुबह से शाम तक खडी खडी परेशान होती हैं। मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि बसों में ऐसा करिये कि एक मेल रखिये, दूसरी नीचे की श्रेणी की रखिये। मेल मुख्य स्थानों पर ठहरती हुई जावे और दूसरी पैसेन्जर रखिये जो हर एक स्थान पर ठहरती हुई जावे। इस तरह करेंगे तो आम जनता को फायदा होगा। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं।

(श्री श्रवणलाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। जयपुर के सिंघी कैम्प से जो बसें महुआ के लिये जाती हैं उसमें क्या होता है कि टिकट का किराया ३ रु० ४६ नये पैसे है लेकिन जो घाट गेट से टिकट ली जाती है उसका किराया २ रु० ६९ नये पैसे है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सिंघी कैम्प वाले से ३ रु० ४६ पैसे लें और घाट गेट पर बैठने वाले से २ रु० ६९ पैसे लें, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का फर्क नहीं होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं दो मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Swatantra Party has taken 50 minutes.

श्री मानसिंह महार : मैं दो ही मिनट लेना चाहता हूं, महत्वपूर्ण मुद्दा मंत्रीजी के सामने रखना है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'be Minister!

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण व यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के माननीय सदस्यों ने जो बहस की है और जो जो सुझाव रखे हैं उनके लिये मैं उनमें से हर एक को बधाई अर्ज करना चाहता हूं। कई महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं उनके ऊपर इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि इन सुझावों के ऊपर मैं और मेरे डिपार्टमेन्ट्स विचार करें और जहां तक हो सके उनका पालन करने की कोशिश करें। आज जो बहस हुई उनमें ३ तीन डिपार्टमेन्ट डिस्कस हुए पी. डब्ल्यू. डी., रोडवेज और ट्रान्सपोर्ट, तीनों अहम डिपार्टमेन्ट हैं, अच्छा यह होता कि तीनों पर एक एक दिन बहस होती तो ज्यादा अच्छी तरह से मैं जवाब दे सकता और सुझाव भी ले सकता। लेकिन समय कम होने से मैं जितना भी इस एक दिन की बहस के संबंध में आपकी सेवा में निवेदन करूंगा, मैं आशा करता हूं, आप सब उसको मानेंगे और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। वैसे राजस्थान में सडकों की बडी कमी थी और चूंकि अलग अलग रियासतें थीं, कोई बडी कोई छोटी रियासतें थीं, इसलिये आजादी के पहले डवलपमेन्ट जहां तक रोड का था, बहुत कम था। पहली पंचवर्षीय योजना में थोडी बहुत शुरुआत हुई, लेकिन यह कह सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद राजस्थान में सडकों का विकास हुआ, लेकिन जिस पैमाने पर राजस्थान में विकास होना चाहिये था, वह विकास शायद नहीं हो पाया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा प्रांत एक पिछडा हुआ प्रांत रहा है और इसकी जो आर्थिक हालत है, वह दूसरे प्रांतों के मुकाबले में कमजोर रही है। सडक एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिये, मेरी यह मान्यता है, राजस्थान की आर्थिक हालत, जनता की आर्थिक हालत सुधर सकती है, खास तौर से जो भाई गांव में रहते हैं, जो काश्तकारी करते हैं, जो तिजारत करते हैं—उनकी माली हालत तभी सुधर सकती है जब कि सडकें बनें। यह एक इनडाइरेक्ट फायदा प्रांत को मिलता है और जितनी तवज्जह इसके ऊपर होनी चाहिये वह तवज्जह मैं नहीं देख रहा हूं अर्थाभाव के कारण, डिवीजन आफ प्लान कहिये, कोर आफ प्लान कहिये—क्योंकि इस महकमे में काफी रुपया खर्च होता है, और

Page No 103

(श्री हरिश्चन्द्र)

वे देखते हैं तो कटौती के वक्त सबसे पहले इसमें कटौती आती है। लेकिन इसका आज असर नहीं पडेगा। बाद मे जाकर, वर्षो के अन्दर असर पडेगा और वह असर यह पडेगा कि जो एक तेज रफ्तार से हमारी जनता की, राजस्थान की जनता की आर्थिक हालत सुधर रही थी, उसमें एक रुकावट आयेगी। सडक जो है, वह आपको आमदनी देती है। आज सडक नहीं होती तो प्राइवेट बस आपरेटर्स या रोडवेज को ले लीजिये, चल नहीं पाती। तो सडक जो है, एक मूल आधार है हमारे प्रांत की तरक्की के लिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर राजस्थान के अन्दर सडक और बिजली का जाल बिछाया जाय, तो राजस्थान की जनता की आर्थिक और माली हालत बडी तेजी के साथ सुधर सकती है। इसका डाइरेक्ट कन्सर्न इन्कम से नहीं है। अगर आप सारी इन्कम मिलायें, रोडवेज को मिला लीजिये, आपके ट्रांसपोर्ट को मिला लीजिये और आपकी कोई और आमदनियां हैं—जैसे व्यापारी को फायदा होता है, काश्तकारों को फायदा होता है मण्डी में जाने का–इन सबको आप टोटल-अप करें तो आपकी नेशनल इन्कम बहुत बढती है सडक होने से लेकिन इतना हर्जा होता है क्योंकि कटौती का सवाल आता है तो सबसे पहले कटौती हमारे ऊपर आती है। आपको ताज्जुब होगा, जैसे कई माननीय सदस्यों ने सडक की व्यवस्था खराब बताई, मैं यह नहीं कहता कि सारी सडकें एक्सीलेन्ट हैं, अच्छी हैं। यह नहीं हुआ है। यहां तक हुआ कि इतने बडे बडे खड्ढे हैं कि मेरा जैसा आदमी उसमें घुस जाय। हो सकता है कि मैं घुस जाऊं इतने बडे बडे खड्ढे हों

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बढा चढा कर कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है कहीं इतने बडे बडे खड्ढे हों। मुझे मालूम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : आपके पहुंचने से पहले वे खड्ढे बन्द कर दिये जायेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : आप मुझे ले जायें तो वे खड्ड बन्द हो जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको खड्ढे में गिराना नहीं चाहते।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा निवेदन करना यह है, मैं आपके सामने रिपेअर की ग्रांट है वह नजर करना चाहता हूं कि हमको क्या मिलता है एक सडक की रिपेअर के अन्दर। मद्रास में एवेरेज कास्ट आफ मेन्टेनेन्स पर माइल जो है वह २३०६ रुपये हैं पंजाब में १५८८, आसाम में ३४७८ है, बम्बई में १००० और राजस्थान में ८४०।

श्री रामकिशन (वैर) : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या है?

श्री हरिश्चन्द्र : वह मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन : उनको क्लाईमेट का सवाल है।

श्री हरिश्चन्द्र : तो इसके अलावा जो मिनिमम भी है, हजार रुपया भी दे तो भी हमारी रिक्वायरमेन्ट्स जो मेन्टेनेन्स की होती है वह १ करोड ७१ लाख की होती है। उसके बजाय जो हमें मिलता है, वह १ करोड

(श्री हरिश्चन्द्र)

४४ लाख है कुल मेन्टेनेन्स पर। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, कि बावजूद इसके एक मीगर टोटल के राजस्थान की सडकें हैं, कई भाई जो दिल्ली से आते हैं—और आते हैं जो नेशनल हाई-वे या स्टेट हाई-वे की कन्डीशन्स हैं, मैं यह नहीं कहता कि कोई एक्सीलेन्ट है, लेकिन कई दूसरी रियासतों, प्रांतों से अच्छी हैं और अगर इसमें मेन्टीनेन्स ग्रांट हमें ज्यादा मिले तो हम इन सडकों को बहुत अच्छी कर सकते हैं। एक भाई जो आये अपने रतनगढ के, उन्होंने एक सडक के लिये कहा—बहुत दुर्दशा में है। वह सडक आज नहीं, कई वर्ष पहले, जब लास्ट लडाई हुई थी उस समय बनी थी और एक साल में सौ, डेढ सौ मील कम्पलीट हुई। उसमें न सीलिंग है क्योंकि एमर्जेन्सी थी उस समय सडक बना दी। आज उस सडक को ठीक तरह ठीक करते हैं तो उसमें लाखों रुपये का खर्च होता है। उसके लिये हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है। हमने मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स को लिखा है, रिक्वेस्ट की है, कि स्टेटेजिक इम्पोर्टेन्स इस रोड की पहले थी, अब भी हो सकती है, हमको एक्स्ट्रा पैसा देकर इस सडक को बनवायें। उनके यहां से कोई उत्तर नहीं मिला है। जो मीगर ग्रांट मिली है, उससे चार मील, छः मील, दस मील का टुकडा बना देते हैं। उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रोसेज कन्टीन्यू रहेगा, वह मेन्टेन होती रहेगी। लेकिन आज की आज सारी सडक डामर की बना दें, इस पोजीशन में मैं नहीं हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान में जो टोटल एलोकेशन हमारा था वह ९ करोड ४१ लाख ५० हजार था, उसकी एवज में जो खर्च हुआ है वह हुआ है १० करोड ७ लाख ६१ हजार। यह खर्च बुक हुआ है ......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उसी प्लान में?

श्री हरिश्चन्द्र: सैकिंड प्लान में इसका स्पिल ओवर है मायने ऐसी सडकें, जो सैकिण्ड प्लान से थर्ड प्लान में गई। कई ऐसी सडकें हैं जो फर्स्ट प्लान से चली आ रही हैं, जो भी थर्ड फाइव ईयर प्लान में हैं। उनका अनुमान करीब ५ करोड ३३ लाख के करीब आकर पडता है और जो फिजिकल टार्गेट हैं, सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान के एण्ड में जो हमारा टार्गेट था, ४६५० कम्पलीट माइलेज, हुआ है ४१५४ और करीब २४०४ मील स्पिल ओवर में गई है। यह आपके सामने इस वास्ते अर्ज किया कि आप लोग, माननीय सदस्यों को मालूम हो कि सैकिण्ड प्लान में क्या था।

अब सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान को जब देखते हैं तो हमें उस वक्त ऐसा लगा कि पी. डब्ल्यू. डी. के थर्ड फाइव ईयर प्लान में हमको कुछ अधिक रुपया मिलेगा और उस अधिक रुपये को हमने पहले सोचा कि शायद १६ करोड रुपया, फिर १६ करोड से रिड्यूस होकर १३ करोड पर आया, १३ करोड से कोर आफ प्लान बना, वह साढे ग्यारह करोड का बना। अब जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं उसको देखते हुए शायद १० करोड के आस पास पहुंचेगा। अब दस करोड जब आप लेते हैं तो पांच करोड तो स्पिल ओवर का है, तो आपके पास नई सडकों के लिये सिर्फ पांच करोड की गुंजाइश रहती है। यह एक बडी पिक्चर मैंने माननीय

(श्री हरिश्चन्द्र)

सदस्यों के सामने रखी है। इसके अलावा जो पहला साल था थर्ड फाइव ईयर प्लान का, उसमें हमने बुक किया है २.३९ करोड। दूसरा साल है जो चल रहा है उसमें हमारा जो खर्चा है वह १.९० लाख का होगा। अब भी हमारा एलोकेशन हुआ है वह हुआ है, १.२५ करोड। तो मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. बहुत स्फूर्ति से काम करना चाहे तो भी वह स्फूर्ति नहीं दिखा पाती। क्योंकि जो इसके लिये २.३५ का एलोकेशन था वह १.२५ अब एलोकेशन हुआ है तो अपने आप गति धीरे होगी। यह माननीय सदस्यों के दिमाग की बात नहीं होनी चाहिये कि बहुत बडा काम पी. डब्ल्यू. डी. करेगी। I dont want to hide anything at all from the House.

अब इसी रफ्तार से चलते हैं तो अगले दो वर्ष रहते हैं उसमें ४.४६ बचते हैं उसको आप देखें तो हमारा एलोकेशन होना चाहिये अगले दो वर्षो में २.२३ तभी हम १० करोड में पहुंचते हैं। नहीं तो हमारा प्लान १० करोड से रिड्यूस होता है तो उसका नतीजा यह होता है कि हमारी सडकें नहीं बनती हैं और जब सडकें नहीं बनती हैं तो राजस्थान की जनता की प्रोसपेरिटी पर जाकर असर पडता है। इसलिये मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जनता के हित में और हमारे आर्थिक दृष्टिकोण के हित के लिये पी. डब्ल्यू. डी. स्टाफ को अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में धन-राशि मिले ताकि हम सडकों का जाल बिछा सकें और गांवों तक जावें और उसका फायदा हर आदमी उठा सके। माली हालत ठीक हो·····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह माना जाए कि आपने जो कार्य प्लान में रखे हैं उनकी भी पूरे होने की संभावना कम है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जो फिगर्स रखे हैं उससे यह अनुमान होता है। आगे क्या होता है यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो १.२५ है उसको देखकर हमको २.२३ करना होगा। तो हम १० करोड तक पहुंचेंगे। अगर यह नहीं होगा तो हम नहीं पहुंच पावेंगे। यह हमने ब्रोड पिक्चर आपके सामने रखी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) यह एलोकेशन कम क्यों हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मैंने ब्रोड पिक्चर आपके सामने रखी है। इसके अलावा राजस्थान बना उस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स, डिवीजन हैड क्वार्टर्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे और हम नहीं पहुंच पाते थे। जब राजस्थान बना और काम शुरू हुआ तो हमारे यहां २१२ कुल तहसीलें हैं, तो फर्स्ट प्लान में १०७ तहसीलों को जोडा। उसके बाद १७५ तहसीलों को दूसरी पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक जोडा और तीसरी पंचवर्षीय योजना में २०३ तहसीलों को जोडने की हम सोच रहे हैं। मगर इसमें एक बडा भारी प्रोविजो है कि धन-राशि पर्याप्त मात्रा में मिले तो। इसके बावजूद भी ९ तहसीलें रह जाती हैं। यह हम चाहते हैं कि प्लानिंग का अर्थ यह होना चाहिये कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई भी तहसील ऐसी न रहे जिसके पास सडक नहीं हो। कोई इससे वंचित नहीं रह जावे····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप सारे जिले वाइज पूरा करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : धनराशि की इसके लिये जरूरत है। तो धन राशि हमें मिलनी चाहिये। अब अगर यह कहें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये ९ तहसीलें छूट गई हैं . .

श्री मुरलीधर व्यास : अभी कई डिस्ट्रिक्ट भी जुड़े नहीं हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप कह रहे हैं। मैं समझता हूं आपकी मंशा को। जो ९ तहसीलें बचती हैं उनको कम से कम हम जोड दें। जोडने का अर्थ जो माननीय सदस्यों के दिमाग में चक्कर लगा रहा है वह यह है कि कई सडकें ऐसी हैं जहां पुलिया नहीं है। वर्षा में हम नहीं जा पाते हैं . . . . .

श्री मुरलीधर व्यास : हमारे यहां कौनसी पुलिया का प्रश्न है ? हमारे यहां तो पानी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप उदयपुर, झालावाड ले लीजिये। वहां पर हम सडकें बनाते हैं। वहां पर लोगों की वाजिब मांग है पुलियां बनानी चाहिये। लेकिन हमारे डिपार्टमेन्ट की मुसीबत यह है कि जितनी सडकें बनी हैं और सब पर ऐसी पुलियां बनाई रखें कि बारह महिने ट्रेफिक चले तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने करोड का प्लान बढ जाता है। इसलिये हम नहीं बना सकते। इसके अलावा कितने आदमी आकर कहते हैं कि सडक बना दो पुलिया की हमको जरूरतनहीं मानना पडता है। कई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि नालियां बनादें तो उनकी भी बात माननी पडती है। क्योंकि हमारा एग्जिस्टेन्स आप पर ही तो है। एग्जिस्टेन्स इन एयर तो नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: उधर वालों पर है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप और इन सब पर है। हम हवा में फ्लोट नहीं करते।

इसलिये सदन को यह सोचने की जरूरत है कि नक्शा बनावेंगे। सडक बनावें, तो पुलिया बनानी चाहिये। यह मेरा प्रश्न नहीं है। यह आपको सोचना है। आप जिस पहलू में ले जावेंगे उसी पहलू में मैं जाने को तैयार हूं। मैं मनमानी नहीं करता। मैं हर सदस्य से कहूंगा कि आप ठीक सोच लें। अगर सोचने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं तो हमें धनराशि दें। हम काम करने को तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र: गवर्नमेन्ट तो पहुंचा गई है कि सडकें बनाते हैं तो पुलियां बनानी हैं। हम भी किसी चीज पर आधारित हैं, पैराशूट से नहीं उतरे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक आदमी पैराशूट से उतरे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र तो मैं यह अर्ज कर रहा था

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स भी नहीं जुड पाये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : गंगानगर की बात कह रहे हैं आप, मैं अभी बता देता हूं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य बीकानेर से आये हुए बीमार हो गये, उन्होंने दो-तीन पोइन्ट्स उठाये थे। एक पाइन्ट था गंगानगर से बीकानेर तक सडक बननी चाहिये। मैंने अपने डिपार्टमेन्ट से पूछा तो

(श्री हरिश्चन्द्र)

मालूम हुआ कि गंगानगर से बीकानेर सडक है, उस पर काम चालू नहीं है, यह बात नहीं है, बीकानेर से लूणकरणसर ४० मील खत्म हो गयी है. लूणकरणसर से फिर ४४ माइल आता है सूरतगढ, अब सूरतगढ के बीच में ६ माइल कम्पलीट हो चुकी है, गंगानगर की तरफ से पांच मील का काम शुरू है। पर यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में ली हुई है, काम चलेगा पर आप फरमायें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कम्पलीट हो जाय तो मैं आपको आश्वासन देने को तैयार हूं कि स्पिल ओवर होकर जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : सीमा का सवाल है, इसलिये सीमा पर तो सडकें बननी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : सीमा का सवाल दो तीन माननीय सदस्यों ने रखा है। यहां सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के होम मिनिस्टर साहब आये थे, उनके सामने बात हुई, पी. डब्ल्यू. डी. ने रिकमन्डेशन भेजी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने लिख कर भेजा है सभी ने भेजा है, । मैं एक बात अर्ज करूं, आप अगर इसे डिफैन्स की तरह देखते हैं तो इसका चार्ज हमारी पी. डब्ल्यू. डी. पर नहीं पडता ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स को न जोडने का तो चार्ज आप पर पडता है।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो मैंने निवेदन किया कि हम कर रहे हैं। हमको और पैसा मिलता है इस पर्पज के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि झटपट काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि बोर्डर रोड्स के लिये मैंने डेढ लाख रुपया और दिया है, हमारे बजट से काट कर दिया है, इसका काम थोडा बहुत शुरू है आगे थोडा बहुत और होगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने यहां बिल्डिंग के बारे में आपत्ति उठाई। बिल्डिंग का कई दफा यह मामला हाउस में भी उठा है और माननीय सदस्य मुझ से भी आकर पूछते हैं कि कई बिल्डिंग्स अधूरी दीखती हैं, काम पूरा नहीं हुआ है। तो यह निर्णय सरकार ने लिया था कि कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जिनका काम प्लिन्थ लेवल तक हो गया इससे नीचे हैं तो उनको रोक दिया जाय। पर इसके माने यह नहीं होते कि जो मकान सीलिंग तक आ गया है, उसको भी रोक दिया जाय। जो बिल्डिंग्स कम्पलीट होने के लायक हो गयीं हैं, उनको कम्पलीट कर दिया जाय। जो आधी हैं, आधी से ज्यादा हैं वे इस वजह से बन्द हो गई हैं ऐसा ब्लैन्केट रूल लगा दिया है। तो मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप बता दें, हम कार्यवाही करने को तैयार हैं। जो प्लिन्थ लेवल से ऊपर हैं, या इससे नीचे हैं, इनके लिये सरकार का आर्डर है कि काम शुरू नहीं किया जाय। १० पर्सेन्ट कटौती हुई है, प्लान एक्स्पेन्डीचर में कमी का सवाल आया है तो कई एक्सपेन्डीचर जिन पर १० पर्सेन्ट से नीचे खर्च हुआ है, उनको बन्द करने का कह दिया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि ये सडकें नहीं ली जायंगी। ली जायंगी जरूर, अगले साल ही धनराशि आ जाय और हम इस पोजीशन में हों तो शुरू किया जायगा। तो जो कहीं की सडक बन्द हो गई तो वह इस ब्लैंन्केट रूल में आई है, पर सडक बनेगी, पहले इनको पूरा करेंगे, फिर नई सडक लगे। तो जो यह कहा गया कि कुछ हुआ है वह अधूरी छोडने से वेस्ट होगा, यह बात नहीं,

(श्री हरिश्चन्द्र)
वेस्ट नहीं होगा, उन पर काम करेंगे। इसी तरह से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी कमेटी बने जो वर्क्स का एवेल्युएशन करे। तो इसके लिये निर्णय लिया गया है और कमेटी बनाई गई है जिसमें चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स एण्ड, रोड्स,चीफ इंजीनियर इरिगेशन, प्रिंसिपल मेडीकल कालेज, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कालेज हैं। तीनों आदमी इस चीज को ओन दी स्पोट सर्कल्स पर जाकर एग्जामिन करें कि क्या काम अकोर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है कि नहीं? अगर बिलो स्पेसिफिकेशन है तो जिम्मेदार आदमियों को बुक आन करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस कमेटी में प्रिंसिपल मेडिकल कालेज रखा है वह क्या सडकों की नाली देखेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रिंसिपल मेडिकल कालेज नहीं, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कालेज।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने प्रिंसिपल मैडिकल कालेज कहा था।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी गलती हो सकती है, माफ करें। प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कालेज है।

इसके अलावा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, क्योंकि यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा कई तरह से चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, रोकने के सुझाव आते हैं। पर मैं यह सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप हम सभी जानते हैं भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को किस तरह से रोका जा सकता है, इसका कोई भी सुझाव, किसी तरह के सुझाव आयें, उनको सरकार हमेशा मानने को तैयार है और कांकरीट स्टेप्स मानने को तैयार है। पर मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि भ्रष्टाचार, यह ह्यूमन फैक्टर है, और इस ह्यूमन फैक्टर को जब तक आप टैकल नहीं करेंगे तब तक यह जाने वाली चीज नहीं है। यह एक सिद्धांत, मानने जैसी चीज होती है कि जो भी कन्ट्री इन्डिपेन्डेन्स में आता है और इकानोमिकली बैकवर्ड रहता है, वहां पर ये चीजें आती हैं क्योंकि दूसरी चीजों से मनी जवर्दस्त होता है, सारी चीजें मनी के जरिये रिलेटेड हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Order/Order ! सदन का समय समाप्त होना चाहता है। क्या सदन की मंशा है कि मांगें पारित नहीं हो जायं तब तक सदन का समय बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक कि मांगें पारित नहीं हो जायं तब तक के लिये बढाया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो कन्ट्री, इकानोमिकली बैकवर्ड होता है वहां यह चीज आती है ....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : On a point of information, Sir

जो कन्ट्री इकानोमिकली वैल टू डू हैं (Well to do) वहां भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने पहले ही कहा, I qualify by saying कि यह एक ह्यूमन फैक्टर है, इसको आप हम सब मिल कर टैकल नहीं करते हैं तब तक यह जाना मुश्किल है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : डीमोरेलाइज करने की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर होती है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सुझाव, जो इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उनको सरकार मानने को तैयार है जिनको कि····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार के पास कोई कार्यक्रम भ्रष्टाचार मिटाने का नहीं रहा ?

श्री हरिश्चन्द्र : देखिये, सभी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं पर ताज्जुब की बात है कि मिट नहीं रहा है।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : इसीलिये मैं पूछता हूं कि क्या सरकार के पास इसे मिटाने का कार्यक्रम नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज कर रहा हूं न, आप जो सुझाव देते हैं····

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा यह कन्विक्शन है कि कार्यक्रम से कोई भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। यहां बैठे बैठे कहें कि रुकना चाहिये, इससे नहीं रुकता। एक पोलिसी होनी चाहिये, जिसे मासेज में एज्यूकेट करें कि यह नेशनल करैक्टर के खिलाफ है,

(५ म० प०)

नेशनल पोलिसी के खिलाफ, देश के खिलाफ और अगर उनमें इतनी जागृति होगी तो भ्रष्टाचार मिटेगा।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : विभागीय लेवल पर आपने क्या कदम उठाये हैं इसके लिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य जो नसीराबाद से आए हैं······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a a point of information, Sir, चीफ इंजीनियर इकट्ठे होकर भाषण करें और पढ़े-लिखे लोगों को नेशनल करेक्टर सिखायें कानून से नेशनल करेक्टर नहीं सिखा सकते।

श्री हरिश्चन्द्र : कानून से भ्रष्टाचार कभी नहीं रुक सकता। It may be wrong. You can challenge me but it is my personal conviction.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो सबसे बड़ा मिस्फोर्चून है। यह गवर्नमेंट डिमारेलाइज़ हो गई है, अपने आप करप्शन दूर नहीं कर सकती, और हमारा यह कन्विक्शन है कि आज जिस प्रकार की गवर्नमेंट चल रही है उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देना है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह बिल्कुल गलत है। मैं जो कह रहा हूं माननीय सदस्य को पसन्द नहीं आवेगा। कानून के जरिये नहीं होता है। यह डर के जरिये से मिटता है। अगर डर है तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। जनतन्त्र में डर एक ऐसी चीज होगी जो डिबेटेबल क्वेचन है, जो यहां रेज नहीं कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डर तो कानून का है। If the Law has its force, it can improve matters.

श्री हरीश्चन्द्र : I don't want to debate that question. This is a debatable question but I have my own opinion.

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य नसीराबाद से आये हैं उन्होंने एक सुझाव दिया कि आपको एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिये कि जो डिस्ट्रिक्ट में पी. डब्ल्यू. डी. के काम होते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है कोई चीज गड़बड़ है तो उसको डिस्कस करें और उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दें, सरकार को दें, उसकी उस लेवल पर जांच हो सके। मैं समझता हूं कि उनका जो यह सुझाव है वह मानने लायक है। हमारे एम. एल. एज. की पी. डब्ल्यू. डी. में एक कन्सल्टेटिव कमेटी बने, उसमें डिस्कस करके क्या अधिकार दिये जायं, किस तरह से फन्क्शन करेंगे जिससे यह काम भी बढ सके और उससे भी रुकावट हो सके-इस प्रकार के स्टेप लेने के लिए मैं हाउस में वायदा करता हूं और जल्दी से जल्दी इस ओर कदम उठायेंगे।

जो माननीय सदस्य भरतपुर से आये हैं उन्होंने एक बात कही कि डेकोइटी एरिया है, उस एरिया के लिए स्पेशल ग्राण्ट मिलनी चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सेण्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि यहां पर दो क्षेत्र हैं-एक धोलपुर का एरिया और दूसरा शाहबाद का एरिया जिनमें और पैसा मिलना चाहिये ताकि वहां सड़कें बन सकें जिससे डेकोइटी मीनेस है वह समाप्त हो सकें, लेकिन अब तक इस तरह का वहां से जवाब नहीं आया है कि मैं जिस पर यह कह सकूं कि वहां से पैसा मिलेगा या नहीं। हम उनको रिमाइण्ड कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट हमारी इस अम्बल रिक्वेस्ट को मंजूर करेगी।

अगर कोई ऐसा पोइण्ट रह गया है जो इण्डिविजुअल सड़क के बारे में है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप मुझ से मिल लें। जिस सवाल पर हम चल रहे हैं उसके लिए मैं आपको मदद दे सकता हूं, उसकी प्रोग्रेस स्लो है तो उसको एक्सपीडाइट किया जा सकता है।

जहां तक नयी सड़क का सवाल है, जैसा निवेदन किया कि १० पर्सेन्ट ऐसी हैं जिन पर खर्चा होकर बन्द हो गया, उनका काम शुरू होने के बाद नयी सड़कों का काम ले सकगे। हमारे जो प्लान्स बने हैं, एम. एल. एज. की कन्सल्टेटिव कमेटी ने डिस्कस किये थे, प्लान्स भी आये थे, सुझाव भी आये थे उनको माना भी है, उनको इन्फोर्मेशन भेज दी जावेगी कि ये सड़कें मानी हैं और स्वीकार हुई हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): मैंने वर्क-चार्ज स्टाफ के लिए निवेदन किया कि भीलवाड़ा में दो व्यक्ति ऑन ड्यूटी पर गये उनको कम्पेन्सेशन देने के लिए कुछ नहीं फरमाया।

श्री हरिश्चन्द्र: यदि सरकार से, कोई ऐसा प्रावधान है, उनको मिल सकता है तो Certainly we will gladly consider. आप मुझ को लिख कर दिलवा दीजिये। इसके सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने पहले भी जिक्र किया था मैंने कहा था, बात करेंगे। कोई ऐसा है तो दे दिया जाय।

अब मैं राजस्थान रोडवेज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान रोडवेज की १९५९ से शुरुआत नेशनलाइज़ेशन की हुई। कई माननीय सदस्यों ने, खास तौर पर जो रायसिंहनगर से आये हैं उन्होंने पंजाब के भी कोटेशन दिये और जगहों के भी

(श्री हरिश्चन्द्र)

दिये । राजस्थान रोडवेज शुरुआत में है, टीथिंग ट्रबल में है । और यह खुशी है मुझे कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे बजट सेशन में उस वक्त सदन के सामने मैंने यह निवेदन किया था कि यह सरकार की पोलिसी है कि हम नेशनलाइज़ेशन को प्रोत्साहन देंगे और नेशनलाइज़ेशन के जरिये हमारे रिसोर्सेज़ को बढ़ायेंगे । मैं समझता हूं, जो भी आश्वासन मैंने उस वक्त दिये थे, हो सकता है कोई गलती हुई हो, कोई गलती नहीं हुई हो यह मैं नहीं कह सकता, आपने कहा कि यह काम होना चाहिये या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एक कदम आगे लिया है पीछे नहीं गये हैं । जो फिगर मुझे मिले हैं, राजस्थान सरकार को २२.२३ लाख का नेट प्रॉफिट होगा १९६३ में

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बजट में २७ कहा था ।

श्री हरिश्चन्द्र : अगले साल ।

लेकिन इस नेशनलाइज़ेशन को चलाने के लिए हमारे दुश्मन भी बहुत हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : चलाने के लिए ?

श्री मुरलीधर व्यास : चलाने के लिए या बिगाड़ने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : चलाने के सिलसिले में ।

हमें हर कदम पर ओब्स्टेकल लेनी पड़ती है । लेकिन यह मैं हाउस के सामने कह सकता हूं कि जो हमारी पोलिसी है उससे डेवियेट नहीं होंगे । हम चलायेंगे कोई भी ओब्स्टेकल हो ।

मैं आप माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे मदद रूप हों, आप मददगार हों और जहां पर भी हों आप इस बात को, हमारे जो ओपरेटर्स हैं, कण्डक्टर्स हैं ड्राइवर्स हैं उनसे भी कहता हूं और जो आते हैं उनसे भी कहता हूं, यह एक नेशनल वेल्थ है हमारे स्टेट की, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो हमेशा कहें, हम २४ घन्टे सुनने के लिये तैयार हूं । लेकिन यह नहीं हो कि ऊपर से रोडवेज की बात करें और अन्दरूनी रोडवेज की खिलाफत हो । मैंने यह भी देखा है कि ऊपर से बात करते हैं नेशनलाइजेशन की लेकिन नेशनलाइज़ेशन का प्रोग्राम इन इफेक्ट चलता है तो हाय-तौबा बड़ी जबर्दस्त मचाते हैं ।

इतनी जबरदस्ती मचती है कि बड़ी मुश्किल सामने आती है कि किस तरह आगे बढ़ें ।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि नेशनलाइज़ेशन की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारे में से कोई हैं जो आपके सामने अड़चनें डालते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जनरल ऑपरेटर्स जो होते हैं वे कहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Name them if any........

श्री हरिश्चन्द्र : इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात हो तो आप अवश्य मुझसे कहें, जनरल मैनेजर से कहें; कोई भी इस प्रकार की खामी हो उसको मिटाने के लिये हम जागरूक हैं । आपके सुझावों को बराबर इनकोरपोरेट करके हम चलने के लिये तैयार हैं ।

पहले पहल राजस्थान रोडवेज के समक्ष लीगल डिफीकल्टीज आई उनको हमने

(श्री हरिश्चन्द्र)
ओवरकम किया । अब हमारे सामने किसी प्रकार की लीगल डिफीकल्टीज का सवाल नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तो फिर पोलिटिकल डिफीकल्टीज़ होंगी ।

श्री हरिश्चन्द्र : मुख्य डिफीकल्टी जो हमारे सामने है वह है राजस्थान की इस नेशनलाइज़ेशन की पोलिसी को अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसमें पर्याप्त धन-राशि मिलनी चाहिए, तभी आगे बढ़ सकेंगे । इसके लिये सरकार ने सोचा है कि लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से बातचीत की जाय, उनसे जो रुपया मिल सकता है लेना चाहिये ताकि नेशनलाइज़ेशन की जो पॉलिसी है उसको फुर्ति से चला सकें । वह अगर चलती है तो राजस्थान रोडवेज आमदनी देगा और वह राजस्थान के हित के अन्दर खर्च हो सकेगी ।

इस तरह से हमारे पास २६१ बसेज हैं । पंजाब को ६ करोड़ का नफा हर साल होता है उनके फिगर्स भी मैंने देखे । जो अन्य प्रान्तों की फिगर्स हैं वे भी मैं आपके सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ।

जो प्राफिट हमने डिक्लेअर किया है उसको पर-माइल वर्कआउट करते हैं तो भिन्न भिन्न स्टेट्स में इस प्रकार आता है :

बम्बई ..	.. १५ न. पै.
उड़ीसा ..	.. १७ न. पै.
गुजरात ..	.. २ न. पै.
मैसूर ..	.. १२ न. पै.
आन्ध्र प्रदेश	.. १० न. पै.
पंजाब ..	.. ४० न. पै.
राजस्थान ..	.. २२ न. पै.

इसको देख कर आप यह कहेंगे कि पंजाब में ४० न. पै. क्यों आता है ? जब हमने इस बात को देखा तो हमने प्रिलिमिनरी सर्वे इस बात की की पंजाब में जो टैक्सेज़ रोडवेज के आते हैं १।५० While Rajasthan is paying 4.10 as taxes. हो सकता है पंजाब रोडवेज में जो टैक्सेज की छूट हो सकती है उनका प्रोफिट इम्पलीट हुआ हो, Rajasthan Roadways is paying more taxes today.

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बजट पेश हुआ है टैक्सेज़ का अनाउन्समेंट हुआ है उससे राजस्थान रोडवेज को और घाटा हो सकता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप भी एण्टी टैक्सेशन मूवमेंट में शामिल होइये ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो टैक्सेज इन्क्रीज हुए हैं उससे इस नेशनलाइज़ेशन पर असर पड़ेगा It will increase by 15 percent.

नेचुरली अगर आप यह चाहते हैं कि रोडवेज की आमदनी होनी चाहिये तो हमें आप आगे बढ़ने के लिये इजाजत दीजिये। इस वक्त ४ न. पै. पर माइल रेट फिक्स किया हुआ है वह १९५१ से फिक्स्ड है । इसी रेट पर हम आज भी चल रहे हैं । अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान रोडवेज इन्क्रीज होना चाहिये तो साथ साथ प्रोग्रेस इन्क्रीज न हो तो प्रोफिट का जैसा अगली साल हाल रहा, लोस में जाना पड़ेगा, प्रपोर्शनेटली वह कम हो जायगा ।

Page No 113

(श्री हरिश्चन्द्र)

आप इण्टरस्टेड हों तो डेप्रीसियेशन के फिगर्स बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिह : किराये के फिगर्स बता दीजिये, बाकी की स्टेट में क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान में कई जगह से कम है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंजाब ने तीन करोड़ का प्रौफिट डिक्लेअर किया है ।

श्री हरिश्चन्द्र : टैक्सेज नहीं देते होंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका डेप्रीसियेशन पर माइल ज्यादा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : पंजाब ११.७० राजस्थान २०.००. We are paying more towards the taxation.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका केलकुलेशन गलत है ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो भिन्न भिन्न स्टेट्स में टैक्स का स्ट्रेक्चर है वह मैं निवेदन करे देता हूं ।

उत्तर प्रदेश	..	५ न. पै.
गुजरात ..	..	५ न. पै.
पंजाब ..	..	३ न. पै.
मध्य प्रदेश ..	..	५ न. पै.
राजस्थान ..	..	४ न. पै.

This is including passenger Tax.

यह मैंने फिगर्स आपके सामने इस वास्ते रक्खे ताकि आपको मालूम हो सके कि दूसरे राज्यों से हम कहां पर हैं ।

अब मैं कुछ पोइण्टस् जो माननीय सदस्यों ने रखे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा । बूंदी और कोटा के किराये की बातें हमारे सामने आयी है । इसके लिये राजस्थान सरकार द्वारा एक हाई पावर कमेटी बना रखी है उसके सामने यह बात आयी थी । उसके लिये एक छोटी सी कमेटी और बना दी है जो सारे फेअर स्ट्रेक्चर को रिवाइज करके हाई पावर कमेटी के पास ले गये । उसमें मुख्य आधार यह था कि रेल्वे का टर्मिनस हो वहां इस प्रकार केअर रखनी चाहिये जो डाइरेक्ट पेसेन्जर आते हैं उनको ज्यादा पे नहीं करना पड़े । इसको ध्यान में रखते हुए कन्सेशन दिया था । बूंदी के लिये ज्यादा देना पड़ता है, कोटा जाते हैं तो थोड़ा कम देते हैं । कमेटी के सामने यह सवाल है जो उचित होगा; उसको करने की कोशिश की जायगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपका डेप्रीसियेशन बताता हूं । इस हिसाब से ८५ न. पै. पर माइल आयेगा डेप्रीसियेशन । मांइलेज रन् ५५,५२,३८४ है ।

श्री हरिश्चन्द्र : २.३६० है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्थमेटिक है, आप इसको तसल्ली से देख लीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : I am not a very good Mathematician. You may be a good one.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Better keep Accountant.......

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ डिस्कसन हुआ । रोडवेज के बारे में फैसीलिटीज नहीं

(श्री हरिश्चन्द्र)

मिल रही है । मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि अगले साल के लिये इस मद में १० लाख का प्रोवीजन रखा है जिससे पैसेन्जर्स के सामान को उतराने चढ़ाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इस तरह की चीजें मिल सकेंगी । और हम यह उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सहूलियतें हम यात्रियों को दे सकेंगे ।

इसके अलावा पोर्टरों के बारे में शिकायतें थीं कि मिलते नहीं और काम नहीं करते । तो हमने उनको अब सख्त हिदायत दी है और विभाग को भी दी है, डिपो वालों को भी दी है कि जो पोर्टर हैं वे वहां जो भी पैसेन्जर आवें उनके सामान को सुरक्षा से रखें अच्छी तरह से रखें । तो हर एक संबन्धित व्यक्ति को यह हिदायत दे दी है । मैंने परसंनली जाकर कहा है कि आपकी तो तारीफ इसी में है कि सबसे ज्यादा वे हम्बली मिलें, पोलाइटली मिलें । मैं चाहूंगा कि राजस्थान रोडवेज के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको आप लोग भी आकर कुछ गाइडेन्स करें । उनको कहें कि क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या नहीं हैं । मैं खुद इस तरह के लेक्चर अरेन्ज करने को तैयार हूं । आप लोग आवें और कहें कि आपको क्या दिक्कतें हैं, वे आपकी दिक्कतों को समझें, उनको वे मालूम हों । किस तरह से आप हम्बली, मीकली और पोलाइटली सबसे मिल सकते हैं । ये सारी बातें बताने का जिम्मा कोई मेरे अकेले पर ही हो, ऐसा नहीं है । आप सब पर भी है । आप उनसे मिलें, कहिये ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप पैसेन्जर की एडवाइजरी कमेटी क्यों नहीं बनाते रेल्वे की तरह ?

श्री हरिश्चन्द्र : तो मैं चाहता हूं कि रोडवेज के कर्मचारियों के पास आप जावें । आप मुझे कह दें, मैं अरेन्ज कर दूंगा मीटिंग ।

तो धीरे धीरे हम इस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं कि जिससे उनके ये फीलिंग बने कि पैसेन्जर के साथ किस तरह से उनको बात चीत करनी चाहिए, किस तरह से नम्रता के साथ पेश आना चाहिये, कैसे उनकी दिक्कतों के प्रति जागरूक रहना चाहिये, किस तरह एक लेडी आवे तो उससे ट्रीटमेंट करना चाहिये । हम तक नहीं जानते आज । अभी उधर हमारी तवज्जोह नहीं है और इसके भी कई कारण हैं । हम यह नहीं देखते कि लेडी आती है तो उसे आगे जाने दें, उसे पहले बैठने दें । हम खुद ही आगे चलने लगते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप उनके लिये लेडीज कण्डेक्टर की व्यवस्था कर सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : हमारे पास चार एयर कण्डीशण्ड बसें हैं । उनमें लेडीज हैं लुक आफ्टर करने के लिये पैसेन्जरों की ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेडीज तो रामजी काक के फ्लाइंग क्लब में हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने सुना नहीं । आपने क्या कहा है ?

श्री जगनसिंह (दांता रामगढ़) : कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : हमारी एयर कण्डीशण्ड बसों में यह व्यवस्था है, फोरिन टूरिस्टों को लुक आफ्टर करने के लिये । हम तो यह भी चाहेंगे कि कण्डक्टर लेडीज़ हों, क्यों नहीं हो ? आज हमारा देश आजाद है । हम जो काम करते हैं तो हमारी बहनों को भी काम करना चाहिये इस में शर्म की बात नहीं । पर मैं समझता हूं कि इस आज के वातावरण में इसके लिये कहना जल्दी होगी । और शायद आउट ऑफ प्लेस भी होगा ।

इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी हमने बनाई है । उसमें वह एडवाइजरी बोर्ड की तरह से है और वह नेशनलाइज़ेशन ट्रांसपोर्ट के लिये या और जितने भी मसले हैं उन पर एडवाइज करते हैं ।

इसी तरह से यह भी मैं कहूंगा कि एक एम. एल. एज. की कन्सल्टेटिव बाडी भी बन जावे रोडवेज के बारे में, जो वक्तन फवक्तन मिलते रहें, और हमें एडवाइज करते रहें, ताकि हम भी एक्टिव हों और जो करना जरूरी हो वह भी कर सकें, तो यह भी हमारे ध्यान में है ।

कुछ शिकायतें आई कि चार परमिट दे दिये, पर उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है । कहीं तीन दे दिये हैं तो बसें वहां नहीं जा रही हैं । इसके लिये हमने यहां से आदेश दिये हैं कि आर. टी. ए. और आर. टी. ओ. जब जिला परिषद् में उनकी मीटिंगों में जावें और वहां पर आप उनसे कहें तो वे उनको नोट करें और उन शिकायतों का निराकरण करें । ऐसे आदेश उनको हमने दे दिये हैं । अब जो उनके जरिये होने वाले काम हैं वे स्वयं कर लेंगे और जो सरकार के जरिये होने वाले हैं उनको वे सरकार को भेज देंगे । और उनको हिदायत दी गई है कि वे इन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें । तो इससे आपके क्षेत्र से जो शिकायतें यहां आती हैं उनका बहुत सी का हल वहीं हो सकेगा ।

इसी तरह से माननीय सदस्यों ने एक मोटर व्हिकल इन्सपेक्टर के बारे में आपत्ति उठाई थी । कहा कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है । ये कई तरह की रिपोर्टें आती हैं । इसके लिये भी सोचा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाल सकें जिसके जरिये से वहां एक कमेटी बना दें एक दो जनों की कि वे वहां पर इसे रोक सकें और ये शिकायतें वहीं उसी लेवल पर तय हो जावें ।

इसके अलावा यह शिकायत भी पहले आती थी कि साहब आर. टी. ओ. की मीटिंगें नहीं होती हैं टाइम पर । तो मैंने कहा माननीय सदस्यों से बातचीत की थी । इण्डिविजुअली भी बातें की हैं । कलेक्टिवली भी की हैं । इसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि एक चैयरमैन होना चाहिए । उसके तहत जो बातचीत हुई थी उसके तहत यह निर्णय लिया गया कि आर. टी. ओ. एक का चैयरमेन हो । और हमने हिदायत दी है कि रेगुलर्ली मीटिंगें करनी चाहियें ताकि वहां पर यह शिकायत नहीं आवें कि मीटिंग नहीं हो रही हैं । हमें बेकार सताया जा रहा है ।

इसके अलावा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आर. टी. ए. के अन्दर कोआपरेटिव को एक्स सर्विस मिलिटरी मैन हैं कि कुछ न कुछ हो

(श्री हरिश्चन्द्र)
को प्रिफरेंस नहीं मिलता । मुझे मालूम नहीं लॉ के जरिये से ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं । में इसको इन्वेस्टिगेट करवा लूंगा । वैसे आर. टी. ओ. से भी जुडिशियल बॉडी है। उसके निर्णयों पर अपील होती है । तो ऐसी जगह में इण्टरफियर न करता हूं, न करना चाहता हूं । पर लॉ के तहत इनको कहां तक प्रिफरेन्स दिया जा सकता है यह इन्वेस्टिगेट करके देख सकूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : The law has been amended.

श्री हरिश्चन्द्र : I have no idea about it.

रायसिहनगर से आने वालों ने बैडफोर्ड कार के बारे में कहा । मेरे पास भी शिकायत आई है कि जो मीडोज़ इंजिन है वह ट्रबलसम हो रहा है । पर आजकल जो बैंडफोर्ड बनते हैं वे पार्किन्सन इंजिन से बनते ह । ये जो लिये गये थे ५६-६० में......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अगेन्स्ट टैक्निकल एडवाइज़ ये लिये गये थे ।

श्री हरिश्चन्द्र : वह मीडोज़ इंजिन ट्रबलसम होता है क्योंकि उनमें टैक्निकल डिफेक्ट है । इसके लिये वहां के प्रोपाइटर को भी लिखा हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि आपके टैक्निकल एक्सपर्ट ने भी कहा था ये ठीक नहीं हैं, इंज़िन, पर फिर भी आपने उसकी राय के खिलाफ उनको लिया ? इसमें क्या राज था, आपने पता लगाया ?

श्री हरिश्चन्द्र : हम पूरी कोशिश में जाय । मैं समझता हूं कि कुछ निणय ले पावेंगे हम ।

निम्बाहेड़ा से आने वालों ने कहा कि रिपेयर हमारे वर्कशाप में नहीं होती है । बाहर होती है, दूसरी जगह । तो यह मैं वाजिब शिकायत समझता हूं और मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी वर्क ऐसा बाहर जाता है, नहीं जाना चाहिये, वह हमारे वर्कशाप में होना चाहिये ।

दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं । अगर मुझे धन-राशि मिल गई तो बॉडी बिल्डिंग का काम भी हम अपने वर्कशाप में ही करना शुरु कर दें । हम क्यों पैसा बाहर वालों को दें । हमारे रोडवेज के वर्कशोप में भी बहुत कुशल कारीगर और मिस्त्री हैं । वे इससे भी अच्छी बाडी बना सकते हैं । तो इसकी भी कोशिश में हैं, पर यह धन-प्राप्ति पर निर्भर है । पर रिपेयर तो बाहर नहीं जानी चाहियें, इसका में प्रबंध करूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information, Sir. जो ये ३० बैंडफोर्ड चैसिस आपने खरीदी थी जिनके फोटोज़ मैंने टेबल पर ले लिये हैं और जिन को आपने अपनी टैक्निकल एडवाइज के अगेन्स्ट में जाकर खरीदा था और वे तीस के तीस ही चैसिस केवल बीस हजार मील चलने के बाद खड़े हो गये हैं । और जिनके संबन्ध में गंभीर आडिट आब्जेक्शन्स भी हैं, उनके बारे में क्या केवल इतना कह देने मात्र से स्पष्टीकरण हो गया ? इसके लिये जो जिम्मेदार रहे, जिन्होंने इतनी बड़ी हानि आपके एक्सचैकर को पहुंचाई है, उनकी आप पूरी जांच करके उनको सख्त से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सख्त सजा देने की भी कार्यवाही नहीं करना चाहते । ग्राप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ग्रौर जांच करावेंगे ऐसा कोई ग्राश्वासन भी नहीं देना चाहते । ग्रापने ऐसा कोई ग्राश्वासन सदन में नहीं दिया ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह ग्रापने फरमाया है, मेरे पास बात ग्राई वह मैंने कह दी । इसमें क्या हो रहा है, That I shall have to decide.

कुछ माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें ग्रौर उठाई थी बुकिंग ग्रोफिस है वहां पर रेलिंग्ज नहीं है, रेलिंग्ज के लिये हिदायत दी जायगी, बनाये जायंगे । इसके ग्रलावा ग्रापने फरमाया कि बैन्चेज नहीं हैं, मैं खुद गया हूं, इनके लिये ग्रादेश दिया जायगा, बैन्चेज लग जायगी । शब्दावली में गलती है वह मिटा दी जायगी ।

नाइट ग्रलाउन्स के बारे में दो-तीन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है । पहले नाइट ग्रलाउन्स था वह कम था, ग्रब रेट बढ़ा दी गई है· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रब १) रु० नाइट ग्रलाउन्स है ग्रौर २) रु० मंथली वाशिंग ग्रलाउन्स है । सारे भारतवर्ष में सबसे कम ग्रापके यहां नाइट ग्रलाउन्स है । ग्रापके दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के मुकाबले में भी कम है, ४) रु० मिलते है वहां ग्राप १) नाइट ग्रलाउन्स देते है ग्रौर २) मंथली वाशिंग के दे दिये जाते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : जब रात में बस को लुक ग्राफ्टर करते हैं तो १) रु० मिलता है ग्रौर १) रु० नाइट ग्रलाउन्स मिलता ह इस तरह से २) रु० मिलते है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्राप पेज नं. ८ निकाल कर देखिये, इसमें दिया हुग्रा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : में कह रहा हूं कि नाइट ग्रलाउन्स के ग्रलावा वहां सोता है तो १) रु. ग्रौर मिलता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस पुस्तिका में जिक्र नही है ।

श्री हरिश्चन्द्र : ग्रापका Mind less progressive. We are more progressive. ग्राप इसी को पकड़ कर बैठ जाते है, हम थोड़ा ग्रागे बढने की कोशिश करते है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रागे बढने की कोशिश करेंगे तब तो हम स्वागत करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यहां की परम्परा के ग्रनुसार केवल ग्रासन को संबोधित करें ग्रौर ग्रापस में वार्तालाप की तरह न चलें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रापके द्वारा ही यह वार्तालाप हो रही है । The transmission is through you.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : वाशिंग ग्रलाउन्स मार्च से जुलाई तक मिला है ।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य जो ब्यावर से पधारे हैं उन्होंने कहा कि कर्मचारी हैं राजस्थान रोडवेज़ के उनके ग्रगेन्स्ट में सरकार हस्तक्षेप करती है कोई मान्यता नहीं देती है, उनकी जो यूनियन है उसको । वहां पर दो यूनियन्स है । जिसके पास ज्यादा मेम्बरशिप होगी उसको मानेंगे । हस्तक्षेप करने का कोई सवाल नहीं है । लेबर डिपार्टमेन्ट को लिखा है, जांच करेंगे उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके ७०० मेम्बर्स हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो आपका फरमाना है, I must get a report from there. जो भी होगा, आपको यह फिक्र नहीं होनी चाहिये कि हम दबाना चाहते हैं । जो लेबर डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार काम किया जायगा । बस मुझे यही अर्ज करना था । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं वे उनको वापिस लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जयपुर-अजमेर रूट के संबन्ध में मामला उठाया गया था । जिस समय यह रूट नेशनलाइज हुआ उस समय भूतपूर्व ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने बस आॅपरेटर्स को आश्वासन दिया था कि उनको दूसरे रूट्स पर रिहेबिलिटेट किया जायगा । अब यह प्रश्न पैदा हुआ है कि जयपुर-अजमेर रूट जयपुर रीजन में आता है इसलिये यहीं पर उनको रिहेबिलिटेट किया जाय जब कि एग्रीमेन्ट यह था कि सारे राजस्थान में रिहेबिलिटेट किया जायगा । सरकार उस वादे को पूरा क्यों नहीं करती ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य के पास क्या आधार है जिसके आधार पर वे फरमा रहे हैं कि भूतपूर्व ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था ?

श्री भैरोंसिंह : आज से ५ दिन पहले राजस्थान के भूतपूर्व ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर का लटर मिला है · · ·

श्री हरिश्चन्द्र : किसके पास आया है ?

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने लिखा है कि मैंने कमिटमेन्ट किया था गवर्नमेन्ट को उसका पालन करना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास तो ऐसा कोई लैटर नहीं आया, आपको पहले ही मालूम हो गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या चिट्ठी रास्ते में चुराई गई है ?

श्री मुरलीधर व्यास : इम्पलीमेन्टेशन कमेटी आपने बनाई है, अच्छी कमेटी है लेकिन इसमें जो मेम्बर्स लिये गये हैं वे सारे इन्टक के हैं । दूसरों को क्यों नहीं लिया ? जिनकी मेम्बरशिप ज्यादा है, जिनको मान्यता प्राप्त है पी. डब्ल्यू. डी. के पैटर्न में उनको क्यों नहीं लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार को डिस्क्रीशन है । I have nominated.

श्री मुरलीधर व्यास : यह अच्छा है क्या ? पैटर्न आप मान्य करते है तो · · ·

श्री हरिश्चन्द्र : अच्छे बुरे का सवाल नहीं है । I have used my discretion.

श्री मुरलीधर व्यास : यह सरकार के लिये शर्म की चीज है ।

श्री कुमारानंद : "Fixation of P.W.D. workers not yet done though pending since 1948" यह भी हमने पूछा था ।

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार की यह नीति है कि जो २ साल से कम होते हैं वे तो वर्क चार्ज में कहलाते हैं और जिनका पीरियड दो साल से ज्यादा हो जाता है १० साल तक वे सभी पर्मानेण्ट होते हैं और १० साल से ऊपर के हैं उनको पर्मानेण्ट माना जाता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिक्सेशन आॅफ पे स्केल्स उनके ऊपर लागू नहीं हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसके लिये आप बतावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information, Sir, जिन ड्राइवर्स, हैल्पर्स एवं क्लीनर्स कोसस्पेण्ड किया, ६ महीनों से ऊपर हो गये है उनके केसेज जल्दी डिसाइड क्यों नहीं किये जाते हैं जब कि कोर्ट ने अपना फैसला देकर उनको एक्विट कर दिया है। उसके बावजूद भी वे सस्पेण्डेड चल रहे हैं। क्या आप उनके केसेज़ शीघ्र डिसाइड करके बरी करने का आश्वासन देते है ?

श्री हरिश्चन्द्र : केसेज़ डिसाइड करने का आश्वासन देता हूं, बरी करने का नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया, जिनकी कोई गलती नहीं पाई गई क्या कारण है कि उनको अभी तक सस्पेण्डेड रखा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो आप फरमा रहे हैं, में जब देखूंगा तब पता चलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : वर्क चार्ज के बारे में अर्ज की थी, जिनकी २० साल की सर्विस हो गई है, जो रिटायरमेन्ट पर है क्या उन लोगों को भी रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी आदि बेनिफिट देने की व्यवस्था की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने अभी प्रश्न रखा है, में ऑफ हेंड जवाब नहीं दे सकता।

आप मुझसे मिल लीजिये, नें संबंधित ऑफिसर को भी बुला लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : काफी स्पष्टीकरण हुआ, में समझता हूं मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उन्हें माननीय सदस्य वापिस ले रहे हैं क्या ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक बात और पूछनी है। कंट्रोल आफ कोर्स में बहुत गड़बड़ियां हुई है। पब्लिक कोटा (Quota) से सरकारी कोटा में गई हैं इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा आपके डिपार्टमेन्ट के सर्विस रूल्स नहीं बने हैं जिनके कारण पी. एस. सी. ने एप्रूव नहीं किया है, उनको भी १९५९ में ए. आर. टी. ओ. लिया गया उसने रिजेट किया, और जिसे उसने एप्रूव नहीं किया, उन दो को आपने आर. टी. ओ. ले रखा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उनका केस सरकार के विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह झाला : कंट्रोल आफ कोर्स के बारे में भी बता दीजिये। जो पब्लिक कोटा में से गवर्नमेंट कोटा में ले ली है, वह गवर्नमेंट कोटा में से मिनिस्टर को दे दी हैं, ऑफिसर्स को दे दी है।

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेंट कोटा से आफिसर्स को दे सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : गवर्नमट कोटा से आप इण्डिविजुअल को नहीं दे सकते, गवर्नमट इंस्टीट्यूशन्स को दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी स्पष्टीकरण हो चुका है। अब में समझता हूं। जो कटौती के प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हुए हैं क्या सम्बंधित माननीय सदस्य वापिस लेना पसन्द करेंगे।

(हां, हां की आवाजें)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य, ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय, ५२–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४६,१४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २७ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२२,७७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाव ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले में वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०१,९०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ११४–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७०,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई ।

(विराम)

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे कर ४२ मिनट पर बुधवार दिनांक २७ मार्च, १९६३ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार दिनांक २६ मार्च, १६६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक स्कम्भ

सस्पेण्ड पुलिस कर्मचारी–जिला चूरू। ४५३१

मोहन्स स्कूल–टोंक ।

जागीरदारों को मोटर परमिटों का वितरण–उदयपुर डिवीजन ।

छात्रों पर खर्चा–आयुर्वेद कालेज

तहसील दौसा में चोरियां।

किशनगढ़ जिला अलवर के लिए तालाब का निर्माण ।

कदेला तालाब से सिंचाई–असनावर, तहसील झालरापाटन ।

समाज कल्याण कार्यालय का हिंडौन से स्थानान्तरण ।

भूतपूर्व नरेशों को पानी और बिजली ।

बाढ़ पीड़ित की सहायतार्थ धनराशि ।

थोई में चोरियां।

पुलिस सलाहकार समिति के अधिकार।

महेश टाकीज, गंगापुर।

आदिवासी भील कॉलोनी, लखावा जिला कोटा।

आबूरोड-मंडार रूट का राष्ट्रीयकरण एवं रोडवेज की बसें ।

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट के अधीन पंजीयन ।

राजस्थान शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चालान–अलवर। स्कम्भ

डेगाना-खाटू रोड का सर्वे।

स्थायी श्रम समिति की बैठकें।

अनवासा तालाब योजना–मांडलगढ़ ।

गैर सरकारी होस्टलों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता ।

दूदू-मकराना बिजली योजना हेतु खम्भों की खरीद ।

ग्राम चाकसू में बिजली।

इन्जरीज के केसेज के लिये पट्टियां

जल प्रदाय योजना-बाड़मेर ।

बीकानेर-डूंगरगढ़ सड़क निर्माण योजना

स्थगित प्रश्न ४५८६

[८-३-६३]

मृत्यु भोज करने के अपराध के मामले।

स्कम्भ

(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३)

२. **प्रतिवेदनों का उपस्थापन** ४५९०

श्री नारायणसिंह मसूदा, सभापति, याचिका समिति/विशेषाधिकार समिति ने निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया:—

(१) याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन

(२) विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

(३) कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर विचार

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

३. **आय-व्ययक** १९६३-६४ ४५९३

द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक—

५०. सार्वजनिक निर्माण कार्य

५०. सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त)

स्कम्भ

स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र पर व्यय।

५२. सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत।

(२) मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत।

(३) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाड़ियों पर कर।

(४) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७—सड़क तथा जल परिवहन योजनायें

(५) मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ११४—सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत।

उपरोक्त मांगें श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इन मांगों पर कुल ७६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

निर्माण मंत्री के उत्तर के पश्चात् समस्त कटौती प्रस्ताव वापस लिये जाकर उपरोक्त मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ५ बज कर ४२ मिनट पर बुधवार, दिनांक २७ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक २७ मार्च, १९६३ की

कार्य सूची ४७७०

१. जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नामजद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा

२. मांग संख्या २५, २६ एवं ४३—बहु प्रयोजन नदी योजनाएं एवं सिंचन, नौचालन, तट बन्धन इत्यादि।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ का उत्तर देखिये)

B.KHOSLA & CO.,

Chartered Accountants

Johari Bazar Jaipur

Mohan's School, Tonk (Rajasthan)

Receipts & Payments Account for the year ending on 31-3-62.

Receipts.		*Payments.*	
To Subscription, fines, Admission Fee and Examination Fees. ..	150.87	By salaries	1470.00
To loan from Shri Mohan Lal Badiwal ..	996.10	By Stationery ..	31.21
To Grant in aid from Govt. of Rajasthan ..	1124.71	By Water Charges	54.00
		By Rent ..	570.00
		Electricity Expdt.	17.37
		By Travelling Expdt. ..	58.60
		By Law Charges	25.00
		By Miscellaneous Expenses ..	45.50
TOTAL Rs. ..	2271.68	TOTAL Rs.	2271.68

sd/
Sanchalak.

We certify that we have audited the above Receipts and Payments accounts of Mohan's School, Tonk (Rajasthan) for the year ending on 31st March, 1962 with the books of accounts, vouchers and other documents of the school produced before us and explanations given to us and have found the same to be correct in accordance therewith.

Jaipur
Dated 7*th* August, 1962.

sd/
Chartered Accountants.

Government of Rajasthan

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Certificate of Non-availability and Reasonableness of rent for Government Buildings

Certified that a suitable building belonging to Government is not available for the purpose of Mohan's School at Knaja Baori at Tonk for which the building is required and that the rented charges viz. Rs. 30/- (Rs. Thirty only) p.m. which works out of 5% of the present day cost of the building calculated according to the sub-section 'B' of Section 3 of the Rajasthan Premises (Requisition Evicition) Ordinance (Amendment Act 1958 dated 31-5-52) is reasonable.

The accommodation available in the building is as given below and is not in excess of the minimum requirements of Mohan's School Tonk for the purpose stated above.

1. Ground Floor Plinth area 892 Sq. ft.
2. First Floor Plinth area Nil

sd/
Executive Engineer, B&R,
P.W.D., Tonk Dn., Tonk.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८२ का उत्तर देखिए)

सूची जिन जागीरदारों को परमिट देते समय प्राथमिकता दी गई उदयपुर डिवीजन में गत तीन वर्षों में :

जनवरी १९६० रूट

१. श्री चिम्मनसिंह सलूम्बर-रिखबदेव

२. श्री जालमसिंह धबोक बड़ी

३. श्री बल्लभदास भीलवाड़ा-वदनौर

श्री जालमसिंह ने अपना परमिट नहीं उठाया।

नवम्बर १९६१

१. श्री राजेन्द्रसिंह उदयपुर-नाथद्वारा

२. श्री गोपालसिंह डूंगरपुर-पीथ

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८७ का उत्तर देखिए)

सूची कदेड़ा तालाब से जिन जिन गांवों में सिंचाई एवं सिंचित क्षेत्र होता है :—

नाम तालाब	नाम गांव	सिंचित क्षेत्र १९६०-६१ बीघा	बिस्वा
कदीला	मालोर	२७	११
	पीपलदा	२२	००
	लाधावास	६८	१३
	डाबली	२४८	६
	सोहनपुरा	४७३	१०
		८४०	००
	पाटन	१९१	३
	निम्बोर	१०५	७
		२१०	१०
	पाटन	३३०	१०

कदीला तालाब एवं उसकी नहरों की मरम्मत पर व्यय सूची :—

सन्	खर्चा
१९५१-५२	४६.००
१९५४-५५	३,२३९.००
१९५५-५६	१५०.००
१९५६-५७	१,२७१.००
१९५७-५८	४०९.००
१९५८-५९	२,६१९.००
१९५९-६०	३,३९९.८३
१९६१-६२	११६.२५
टोटल ..	११,८५०.०८

४७६९]

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिए)

सूची 'क'

आबूरोड-मंडार व आबूरोड-थनादरा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

१.	१३-१०-६०	इस तिथि को यह योजना जनरल मैनेजर राजस्थान स्टेट रोडवेज द्वारा राजस्थान राज-पत्र भाग ४ (ग) में प्रकाशित हुई ।
२.	२-२-६१	इस तिथि से लीगल रिमेम्बरेन्सर के सामने आपत्ति-पत्रों की सुनवाई प्रारंभ हुई ।
३.	६-१०-६१	इस तिथि को स्वीकृत राष्ट्रपति योजना-पत्र असाधारण भाग ४ (ग) में प्रकाशित हुई ।
४.	१-१२-६१	स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अनुसार यह योजना १ दिसम्बर सन् १९६१ से लागू होनी चाहिये थी ।
५.	३०-११-६१	राज्य सरकार की पत्र संख्या नं० डी. ९३४४ एच. बी. जी. आर. फर्स्ट।६१, दिनांक ३०-११-६१ से योजना को स्थगित करने का आदेश हुआ, चूंकि इस रूट को राष्ट्रीयकरण करने का फैसला कैबीनेट द्वारा नहीं लिया गया था ।
६.	३/४-४-६२	राज सरकार पत्र संख्या नं० एफ २।२०।एच. बी. जी. आर. १, दिनांक ३-४-६२ को इस मार्ग को चालू करने का आदेश हुआ ।
७.	१९-४-६२	इस तिथि को राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग ४ (ग) में जनरल मैनेजर राजस्थान स्टेट रोडवेज की ओर से योजना चालू करने के विषय में नोटिस प्रकाशित हुआ ।
८.	२५-४-६२	उपरोक्त नोटिस के अनुसार योजना २५ अप्रेल, १९६२ से लागू होनी थी ।
९.	२७-४-६२	यह पाया गया कि १९ अप्रेल, १९६२ के गजट नोटिस में निम्न त्रुटियां हैं:
		क: यह नोटिस जनरल मैनेजर राजस्थान रोडवेज के बजाय राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित होना चाहिये था ।
		ख: योजना चालू करने की तिथि ऐसे नोटिस के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ४२ दिन बाद ही हो सकती है । उसमें कमी होने की दशा में परमिट अवैध माने जाते हैं । अत: २७ अप्रेल, १९६२ की राजस्थान राज-पत्र (असाधारण) संख्या ७ (ख) में राज्य सरकार की ओर से नोटिस प्रकाशित हुआ कि योजना ११ जून, १९६२ से आबूरोड-मंडार-अनादर की योजना कार्यान्वित हो गई ।
१०.	११-६-६२	११ जून, १९६२ से आबू रोड-मंडार-अनादर की योजना कार्यान्वित हो गई ।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४५३४	१६	कोन कौन	कौन कौन
४५४१	अन्तिम से ५	म	में
४५४५	शीर्षक	२६ मां	२६ मार्च
४५५१	अन्तिम से २	श्री रामानन्द आवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
४५६१	१२	श्री मीखाभई	श्री मीखाभाई
४५७०	१७	एटे–	एस्टे–
४५७६	११	श्री भैवरलाल	श्री भैरवलाल
४५८५	शीर्षक	माच,	मार्च,
४५९०	४	राव श्री श्रीनारायण सिंह मसूदा	राव श्री नारायणसिंह मसूदा
४५९१	शीर्षक	कार्य० स० स० प्रतिवेदन-२६ मार्च, १९६३-स्थगन प्रस्ताव	गैर सरकारी दिन निश्चित -२६ मार्च, १९६३-कार्य. स० स०
४५९३	शीर्षक	मांग संख्या २७, ४४-२६ मार्च, १९६३-३, २८ व ४६ इत्यादि	एजुकेशन सम्बन्धी-२६ मार्च, १९६३-मांग संख्या २७,४४
४६२५	४	श्री हरदर्तसिंह	श्री हरदत्तसिंह
४६२८	१८	श्री हदत्तसिंह	श्री हरदत्तसिंह
४६४४	१४ व २१	म	में
४६७६	१०-११	के लिय खडे	के लिये खडे
४७१५	५	श्री निरन्जनाथ ाचा र्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
४७४१	१	श्री योगे द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
४७४७	१५	श्री मानिकचन्द्र सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	अन्तिम से २	,,	,,
४७७३	१	(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३)	–
,,	३	श्री नारायणसिंह	राव श्री नारायणसिंह
४७७५	शीर्षक	परिशिष्ट २६ मार्च, १९६३–परिशिष्ट परिशिष्ट	
४७७६ से ४७७८ तक	शीर्षक	–	परिशिष्ट